



क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना



ग्राम पंचायत- मवैया

पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन विभाग

उत्तर प्रदेश सरकार





क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना



ग्राम पंचायत- मवैया

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार



प्रकाशन

पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश (डीओई) (DOE) एवं उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

ईमेल: doeuplko@yahoo.com वेबसाइट: upenv.upsdc.gov.in

तकनीकी सहयोग

वसुधा फाउंडेशन

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

मार्गदर्शन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

श्री मनोज सिंह, आईएएस, अपर मुख्य सचिव

श्री आशीष तिवारी, आईएफएस, सचिव

ज़िला प्रशासन

श्री निखिल टीकाराम फुंडे, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), चंदौली

श्री सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ), चंदौली

वसुधा फाउंडेशन

श्री श्रीनिवास कृष्णास्वामी, सीईओ

श्री रमन मेहता, कार्यक्रम निदेशक

डॉ. एस. सतपथी, विशेषज्ञ परामर्शदाता

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

डॉ. शिराज़ वजीह, अध्यक्ष

लेखक

वसुधा फाउंडेशन

सुश्री स्वाति गुप्ता, श्री मोहित जेन, सुश्री शिविका सोलंकी, सुश्री रिनी दत्त

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

श्री विजय कुमार पांडे एवं श्री के. के. सिंह

शोध समर्थन

वसुधा फाउंडेशन

डॉ. प्रीति सिंह, श्री नवीन कुमार, सुश्री मोनिका चक्रवर्ती, सुश्री फातिमा सैला

मवैया ग्राम पंचायत

श्री संजय कुमार, ग्राम प्रधान

क्षेत्रीय शोध समर्थन

ग्राम्या, वाराणसी

श्री आशुतोष श्रीवास्तव, सुश्री सुरेन, सुश्री बिंदु, श्री त्रिभुवन, सुश्री नीतू

डिज़ाइन एवं लेआउट

वसुधा फाउंडेशन

श्री नरेश मेहरा, श्री रोहिन कुमार, श्री संतोष कुमार सिंह, सुश्री स्वाति बंसल, सुश्री प्रिया कालिया





—:: संदेश ::—

ग्राम पंचायतों को जलवायु सजग ग्राम पंचायत बनाने हेतु समर्पित क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत- मवैया, विकास खण्ड-चकिया, जनपद चन्दौली की कार्ययोजना हेतु संदेश लिखते हुए मुझे बहुत सम्मान अनुभव हो रहा है, जैसा कि हम जलवायु के परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को देख रहे हैं, हमारे लिए जमीनी स्तर पर तत्काल और व्यापक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। हमारी ग्राम पंचायतें समुदाय के निकटतम शासन की एक आवश्यक इकाई होने के कारण जलवायु संबंधी चुनौतियों को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। हमारे समुदाय, हमारी परिस्थितिकी तंत्र और हमारी अर्थव्यवस्था आपस में जुड़े हैं और हमारे लिए एक ऐसी रणनीतियों को अपनाना आवश्यक है जो जलवायु से जुड़े जोखिमों को कम करती हो।

ग्राम पंचायतों हेतु तैयार यह कार्ययोजना जलवायु पर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है जो पंचायतों को क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत बनाने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी।

मैं इस क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना निर्माण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन नई दिल्ली, संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी.) गोरखपुर एवं स्थानीय सहयोगी ग्राम्या संस्थान वाराणसी को धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि निर्मित कार्ययोजना ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने में सहयोगी होगी।

॥ शुभकामनाओं सहित ॥

भवदीय


(निखिल टी फुन्डे)

श्री सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव



मुख्य विकास अधिकारी
जनपद चन्दौली,
उत्तर प्रदेश
दिनांक:- 25.07.2024

:: संदेश ::

मैं क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत- मवैया, विकास खण्ड-चकिया, जनपद चन्दौली की कार्ययोजना विकसित करने में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन नई दिल्ली, गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी.) गोरखपुर तथा स्थानीय सहयोगी ग्राम्या संस्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश के समर्पित प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

जिस प्रकार हम और हमारी ग्राम पंचायतें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं उसमें यह कार्ययोजना सहयोगी होगी। स्मार्ट और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देकर हमारा लक्ष्य एक ऐसा मॉडल तैयार करना है जो न केवल हमारी पर्यावरण की रक्षा करे बल्कि समुदाय के समग्र कल्याण को भी बढ़ाये।

उक्त कार्ययोजना को लागू करके हम ग्राम पंचायतों में संवाद, सहयोग और क्रियान्वयन को प्रेरित कर सकते हैं तथा स्थायी लक्ष्यों को अपना सकते हैं और एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जो न केवल पर्यावरणीय रूप से मजबूत हो बल्कि समाजिक रूप से भी न्याय संगत हो।

एक बार फिर क्लाइमेट कार्य योजना तैयार करने में अमूल्य योगदान के लिये आप सभी को धन्यवाद। मैं योजना के सफल कार्यान्वयन और समुदाय एवं पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभाव की आशा करता हूँ।

॥ शुभकामनाओं सहित ॥

भवदीय

(सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव)

ग्राम पंचायत मवैया

विकास खण्ड - चकिया
जनपद - चन्दौली

संजय कुमार
प्रधान/अध्यक्ष

निवास - लेवा, मवैया, थाना बबुरी
चकिया जनपद चन्दौली, मो. 6392417299

आशुतोष जायसवाल
अध्यक्ष - निर्माण कार्य समिति

निवास - मवैया, थाना बबुरी
चकिया जनपद चन्दौली, मो. 9410853064

पत्रांक 765

दिनांक 19-07-2024

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत-मवैया
वि0ख0-चकिया, जिला-चन्दौली

अभार

सर्वप्रथम आप सभी को प्रधान ग्राम पंचायत मवैया, वि0ख0-चकिया, जिला-चन्दौली की ओर से सादर नमस्कार और अभिनन्दन। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की ओर बढ़ाये गये कदम प्रयास को आपसे साझा करते हुए रोमांचित हूँ।

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियां हर दिन अधिक स्पष्ट होती जा रही है। और हमारे समुदाय और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिए उनपर कार्य करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए हम ग्रामवासियों की सर्वसहमति से हमने अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया है। सर्वप्रथम आवश्यक था ग्राम पंचायत में जलवायु परिवर्तन सम्बन्धित समस्याओं और मुद्दों की पहचान करना जिसके लिए सामुदायिक सहभागिता के साथ-साथ ग्राम सभा की बैठक एवं समूह केन्द्रित चर्चा के आयोजन के अतिरिक्त व्यक्तिगत चर्चा की गयी और आँकड़ों को एकत्रित किया गया। आँकड़े एकत्रित करने की प्रक्रिया को पंचायत में क्रियान्वित करने के लिए मैं स्थानीय सहयोगी संस्था ग्राम्या संस्थान वाराणसी व गोरखपुर इन्व्हायरमेन्ट एक्शन ग्रुप (जी0ई0ए0जी0) गोरखपुर का आँकड़े एकत्रित करने में हमारे ग्रामवासियों के समर्थन व सक्रिय भागीदारी के लिए हृदय से धन्यवाद हम सभी साथ मिलकर हमारी ग्राम पंचायत में एक पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनायेंगे। जो न केवल हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा। अपितु प्रत्येक ग्रामीण के जीवन की समस्त गुणवत्ता को भी बढ़ायेगा।

इसके साथ ही पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन उ0प्र0 और तकनीकी सहयोगी पार्टनर वसुधा फाउण्डेशन, नई दिल्ली का भी आभारी हूँ। जिन्होंने एकत्र किये गये आँकड़ों को कार्य योजना का स्वरूप दिया तथा मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

मैं सभी ग्रामवासियों से अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिए हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का आग्रह करता हूँ। आइये हम सभी एक सकारात्मक बदलाव की ओर आगे बढ़ें और दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करें।

धन्यवाद



(ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत मवैया

विषय सूची

1	कार्यकारी सारांश	1
2	ग्राम पंचायत की रूपरेखा	4
	▪ मवैया ग्राम पंचायत एक नज़र में	4
	▪ जलवायु परिवर्तनशीलता की रूपरेखा	5
	▪ प्रमुख आर्थिक गतिविधियां	6
	▪ कार्यरत महिलाएं	7
	▪ कृषि	8
	▪ प्राकृतिक संसाधन	8
	▪ मवैया में सुविधाएं	9
3	कार्बन फुटप्रिंट	10
4	व्यापक मुद्दे	11
5	प्रस्तावित अनुशंसाएं	12
	1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प	13
	2. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना	18
	3. सतत कृषि	21
	4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	26
	5. स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच	31
	6. सतत एवं उन्नत गतिशीलता	41
	7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना	45
6	विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची	49
7	अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव	55
8	आगे की राह	60
9	संलग्नक	61

चित्रों की तालिका

चित्र 1: मवैया ग्राम पंचायत, चंदौली ज़िले का भूमि-उपयोग मानचित्र	5
चित्र 2: मवैया में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1990-2019	5
चित्र 3: मवैया में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1990- 2019	6
चित्र 4: मवैया में घरेलू स्तर पर आय का प्राथमिक स्रोत	6
चित्र 5 : मवैया में वार्षिक आय के आधार पर परिवारों का वितरण	7
चित्र 6: मवैया में राशन कार्ड वाले परिवार	7
चित्र 7: मवैया में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या	7
चित्र 8: मवैया में केवल कृषि पर निर्भर परिवार	8
चित्र 9: मवैया में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार वितरण	8
चित्र 10: 2022 में मवैया में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट	10
चित्र 11: 2022 में मवैया के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी	10



कार्यकारी सारांश

चंदौली जिले में मवैया ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आती है। मवैया की क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु संबंधी कार्यवाही को मजबूत करने और 2035 तक इसे क्लाइमेट स्मार्ट/लचीला बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। कार्ययोजना एक ग्राम पंचायत-विशिष्ट रोडमैप प्रदान करती है जो लचीला बनाने, अनुकूलन क्षमता बढ़ाने, कमजोरियों और संबंधित जोखिमों को कम करने के साथ-साथ ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने में सहायता करती है, साथ ही, अतिरिक्त राजस्व सृजन, समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन जैसे अन्य सह-लाभ भी प्रदान करती है।

यह कार्ययोजना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजनाओं के विकास के लिए तैयार किए गए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के मसौदे को अपनाकर तैयार की गई है। मवैया के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) को इस तरीके से तैयार किया गया है कि इसे मवैया ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी रूप से जोड़ा जा सके।

कार्य योजना¹ प्रमुख जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं, पूर्वी मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दों, जलवायु परिवर्तनशीलता, ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट विश्लेषण और प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति से संबंधित प्रमुख मुद्दों को शामिल करती है। कार्ययोजना में क्षेत्रीय सर्वेक्षणों, समूह केन्द्रित चर्चाओं और संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के माध्यम से एकत्र किए गए मवैया ग्राम पंचायत के समुदाय के सदस्यों के सुझावों को भी शामिल किया गया है। इससे आधार बनाने और मवैया के प्रमुख मुद्दों की पहचान करने में मदद मिली।

जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षणों से पता चला है कि ग्राम पंचायत में दो राजस्व गांव और 625 घर हैं जिनकी कुल जनसंख्या² 3,622 है। मुख्य आर्थिक गतिविधियों में मजदूरी एवं पशुपालन शामिल हैं। एक आधारभूत आकलन से पता चलता है कि मवैया ग्राम पंचायत का कार्बन फुटप्रिंट $\sim 1,620 \text{ tCO}_2\text{e}^3$ है।

मवैया ग्राम पंचायत में तत्काल कार्यवाही के लिए चिन्हित गए कुछ प्राथमिक क्षेत्र इस प्रकार हैं:

- 1 ग्राम पंचायत कार्ययोजना में शामिल हैं
- 2 जनगणना 2011 के डेटा नोट्स: कुल जनसंख्या - 2,260
- 3 ग्राम पंचायत के भीतर बिजली की खपत के कारण स्कोप 2 उत्सर्जन सम्मिलित है (UPPCL से प्राप्त डेटा और CEA से प्राप्त ग्रिड उत्सर्जन कारक)

दृष्टिकोण

प्राथमिक सर्वे टूल का विकास

सर्वेक्षण और प्राथमिक आंकड़े को एकत्र करना: पंचायत में सर्वेक्षण का कार्य ग्राम प्रधान और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से किया गया था। ग्रामीण सहभागी मूल्यांकन (PRA) की गतिविधियों में निवासियों और समुदाय के सदस्यों के साथ समूह केंद्रित चर्चा (FGD) करना, गांव का भ्रमण (ट्रांज़ेक्ट वॉक), सामाजिक संसाधन मानचित्र तैयार करना आदि को शामिल किया गया।

आंकड़ों का मूल्यांकन और योजना की तैयारी:

- **ग्राम पंचायत की रूपरेखा तैयार करना:** सर्वेक्षण प्रश्नावली पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर ग्राम पंचायत की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई थी। इस रूपरेखा में मवैया की जनसांख्यिकी, जलवायु परिवर्तनशीलता, प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ, प्राकृतिक संसाधन और सुविधाएं शामिल हैं।
- **प्रमुख मुद्दों की पहचान करना:** सर्वेक्षण प्रश्नावली और HRVCA में प्राप्त प्रतिक्रियाओं के माध्यम से प्रमुख विकासात्मक और पर्यावरण संबंधी मुद्दों की एक विस्तृत सूची की पहचान की गई।
- **कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान:** मवैया में प्रमुख गतिविधियों से* कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान लगाया गया था।
- **प्रस्तावित अनुशासण:** पहचाने गए पर्यावरण और जलवायु संबंधी मुद्दों के आधार पर मवैया के लिए अनुशासण तैयार की गई। इन अनुशासणों में पूर्वी मैदानों की प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, मवैया की क्षेत्र-वार अनुकूलन आवश्यकताओं और शमन क्षमता का निर्धारण किया गया है।

कार्ययोजना को तैयार करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान एक सहभागी दृष्टिकोण अपनाया गया। इससे जलवायु विषय पर कार्य करने के लिए समुदाय की क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

*गतिविधियों में शामिल हैं- बिजली की खपत आवासीय खाना पकाना, डीजल पंप के इस्तेमाल से उत्पन्न उत्सर्जन, परिवहन, फसलों के अवशेष को जलाना, पशुधन उत्सर्जन, उर्वरक उत्सर्जन, चावल की खेती और घरेलू अपशिष्ट जल।

- जलभराव को कम करने हेतु सड़क और जल निकासी के बुनियादी ढांचे में वृद्धि, स्वच्छता बुनियादी ढांचे में सुधार, और वर्षा जल पुनर्भरण में वृद्धि।
- 100 प्रतिशत बिजली पहुंच प्राप्त करने के लिए विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा (DRE) उत्पादन को बढ़ाना।
- ग्राम पंचायत में पानी की उपलब्धता और पहुंच को बढ़ाना।
- अपशिष्ट संग्रहण और पुनर्चक्रण प्रणालियों में सुधार करके ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ाना।

संवेदनशील क्षेत्रों समूह केंद्रित चर्चाओं और क्षेत्र सर्वेक्षणों से उभरकर सामने वाले मुद्दों, और ग्राम पंचायत में चल रही गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अनुशासण प्रस्तावित की गई हैं। अनुशासणों में कृषि, जल, स्वच्छ ऊर्जा, हरित स्थानों को बढ़ाना, टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन, सतत गतिशीलता और उन्नत आजीविका और हरित उद्यमिता के विषयगत क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

इन अनुशासणों के तहत गतिविधियों को 3 चरणों में विभाजित किया गया है - पहला चरण (2024-2027), दूसरा चरण (2027-2030) और तीसरा चरण (2030-34)। चरण-वार लक्ष्यों को ग्राम पंचायतों के विवेक के अनुसार आगे वार्षिक लक्ष्यों में विभाजित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, चरण-वार लक्ष्य, संभावित लागत, केंद्रीय और राज्य योजनाओं का समर्थन करने के साथ-साथ सुझाई गई गतिविधियों के लिए वित्तपोषण के रास्ते भी बताए गए हैं।

मवैया के लिए जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना को इस तरीके से तैयार किया गया है कि इसे मवैया ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना के साथ आसानी से और प्रभावी रूप से जोड़ा जा सके।

सीएसजीपीएपी निम्नलिखित द्वारा मवैया जीपीडीपी को पूरक और संपूरित करेगा:

- जलवायु परिप्रेक्ष्य के साथ मौजूदा विकास पहलों और गतिविधियों को व्यापक आधार देना।
- जीपीडीपी में प्रस्तावित विकास गतिविधियों के साथ जलवायु परिवर्तन पर चल रहे राष्ट्रीय और राज्य के कार्यक्रमों का समन्वय करना।

इस कार्ययोजना में हस्तक्षेप और वार्षिक लक्ष्यों को मवैया जीपीडीपी की योजनाबद्ध गतिविधियों के साथ जोड़ते हुए लागू किया जा सकता है। जीपीडीपी के अंतर्गत कुछ कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मौजूदा आवंटित बजट का इस्तेमाल इस योजना में प्रस्तावित जलवायु अनुकूलन और शमन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी योजनाओं के माध्यम से किए गए जल निकाय कायाकल्प से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लाभ भी होंगे। इसी प्रकार, ग्यारहवीं अनुसूची (जीपीडीपी के आधार) के 'गैर-पारंपरिक ऊर्जा' विषय के अंतर्गत निर्धारित धनराशि का इस्तेमाल नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।


इस योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से बचाई गई/कम की गई कुल उत्सर्जन मात्रा प्रति वर्ष 2,595 टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (tCO₂e प्रति वर्ष) से अधिक होने का अनुमान है, तथा अगले 20-25 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 1,23,200 tCO₂ तक बढ़ सकती है। तीन चरणों में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमानित कुल लागत लगभग ₹24 करोड़ (11 वर्षों के लिए) है, जिसमें सामुदायिक निवेश, सार्वजनिक वित्त, निजी वित्त और संभावित CSR फंडिंग शामिल हैं। इससे आवश्यक धनराशि का 30-35 प्रतिशत (लगभग ₹8 करोड़) केंद्रीय और राज्य योजनाओं/मिशन/कार्यक्रमों से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि शेष लागत CSR और निजी राशियों से प्राप्त की जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) को शामिल करने और निजी वित्त जुटाने के लिए 'पंचायत-निजी-भागीदारी' का एक नवीन दृष्टिकोण अपनाया है।

वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट और सतत ग्राम पंचायत

जलवायु संबंधी गतिविधियों को विकास कार्यों में शामिल करना



क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ



मवैया

मवैया ग्राम पंचायत एक नज़र में⁴

	स्थान	चकिया विकास खंड, चंदौली जिला
	कुल क्षेत्र⁵	174 हेक्टेयर
	संरचना	2 राजस्व गांव
	कुल आबादी⁶	3,622
	पुरुषों की संख्या	1,960
	महिलाओं की संख्या	1,662
	कुल घर⁷	650
	पंचायत अवसंरचना	9 (पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र (लेवा), कृषि उप प्रभाग कार्यालय, 2 आंगनबाड़ियां)
	प्राथमिक आर्थिक गतिविधि	दैनिक मजदूरी और पशुपालन
	जल संसाधन	5 तालाब चंद्रप्रभा नदी 2 नहरें (मवैया माइनर और सिकिडिया माइनर (चित्र 1 में मवैया का भूमि उपयोग मानचित्र देखें)

	भूमि-उपयोग	146 हेक्टेयर कृषि भूमि 3 हेक्टेयर संरक्षित वन 1 हेक्टेयर कृषि वानिकी वृक्षारोपण 0.72 हेक्टेयर सार्वजनिक भूमि 141.28 हेक्टेयर अन्य भूमि
	कृषि जलवायु क्षेत्र⁸	पूर्वी मैदान जलवायु की स्थिति: मध्यम वर्षा के साथ गर्म गर्मी का मौसम और ठंडी सर्दियों का मौसम अधिकतम तापमान: 41.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान: 5.7 डिग्री सेल्सियस औसत वार्षिक वर्षा-803 मिमी मिट्टी: मुख्य रूप से जलोढ़, जो सब्जियों के लिए उपयुक्त है संवेदनशीलता: बाढ़ प्रवण क्षेत्र
	जिले का समग्र भेद्यता सूचकांक (CVI)⁹	कम
	जिले की क्षेत्रीय भेद्यता	ऊर्जा भेद्यता: उच्च आपदा प्रबंधन भेद्यता: मध्यम ग्रामीण विकास की संवेदनशीलता: मध्यम जल भेद्यता: कम स्वास्थ्य भेद्यता: कम वन भेद्यता: बहुत कम कृषि भेद्यता: बहुत कम

4 योजना तैयार करने के लिए किए गए फील्ड सर्वेक्षण के आंकड़े (फरवरी, 2023)


5 भुवन के आंकड़े बताते हैं कि GP का क्षेत्रफल 191 हेक्टेयर है

6 जनगणना 2011 के आंकड़ों के नोट्स नोट: कुल जनसंख्या - 2260, पुरुष - 1203, महिला - 1057

7 कुल मकान-410 पक्के मकान और 240 कच्चे मकान

8 उत्तर प्रदेश कृषि विभाग

9 उ०प्र० एसएपीसीसी 2.0




Source: Space Based Information Support for Decentralized Planning
<https://bhuvan-panchayat3.nrsdc.gov.in/>

चित्र 1: मवैया ग्राम पंचायत, चंदौली ज़िले का भूमि-उपयोग मानचित्र


जलवायु परिवर्तनशीलता की रूपरेखा

भारतीय मौसम विभाग (IMD)¹⁰ के जलवायु परिवर्तनशीलता पर आंकड़ें – तापमान और वर्षा - क्षेत्र में अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। 2019 का अधिकतम तापमान 1990 की तुलना में 3 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जबकि 2019 का न्यूनतम तापमान 1990 की तुलना में 3.21 डिग्री सेल्सियस अधिक था। उसी समय सीमा के दौरान, वार्षिक वर्षा में कमी की प्रवृत्ति दिखाई देती है (चित्र 2 और 3 देखें)। हालांकि, IMD के आंकड़े पंचायत स्तर पर तापमान में होने वाली व्यापक परिवर्तनशीलता को नहीं दर्शाते हैं। इसके अलावा, कुछ ऐसे दिन भी हैं जिनके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।



चित्र 2: मवैया में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1990-2019

10 वाराणसी, वाराणसी (BHU) और गाजीपुर में IMD मौसम स्टेशनों से मवैया के लिए दैनिक तापमान (अधिकतम और न्यूनतम) के आंकड़े और दैनिक वर्षा के आंकड़े लिया गया।



चित्र 3: मवैया में वार्षिक वर्षा (mm), 1990-2019

विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि 1991 से 2023 के बीच समय रूप से एशिया, संपूर्ण विश्व की भूमि और महासागर की तुलना में औसत से अधिक तेजी से गर्म हुआ है¹¹ और 2010-2020 के दशक में दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में गर्म दिनों में स्पष्ट वृद्धि हुई है। इसी तरह के निष्कर्षों की पुष्टि IPCC¹², और MoES¹³ द्वारा भी की गई है।

इसके अलावा, क्षेत्र सर्वेक्षण और फोकस समूह चर्चा के दौरान समझी गई मौसम एवं जलवायु के बारे में समुदायों की धारणा बताती है कि 2010-2020 के दशक में, ग्राम पंचायत में गर्मियों के दिनों की संख्या में औसतन 45 दिनों की वृद्धि और सर्दियों के दिनों की संख्या में लगभग 45 दिनों की कमी देखी गई है। इसके अतिरिक्त, उनसे यह भी पता चला कि बारिश के दिनों की संख्या में भी लगभग 7-10 की कमी आई है।


ग्राम पंचायत के लिए किए गए जलवायु परिवर्तनशीलता के विश्लेषण में संतुलित दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए IMD के आंकड़ों के साथ-साथ ग्राम पंचायत में प्रचलित जलवायु परिवर्तनशीलता की सामुदायिक धारणा दोनों को ध्यान में रखा गया।

प्रमुख आर्थिक गतिविधियां

मवैया में लगभग 43 प्रतिशत परिवार गैर-कृषि मजदूरी में संलग्न हैं। इसके बाद पशुपालन, कृषि और स्थानीय व्यवसायों में परिवार संलग्न हैं (चित्र 4 देखें)।

समूह केंद्रित चर्चाओं से प्राप्त घरेलू स्तर की आय के अनुमानों से पता चलता है कि अधिकांश परिवार (~ 49 प्रतिशत) प्रति वर्ष ₹ 50,000 से कम कमाते हैं, जबकि लगभग 19 प्रतिशत परिवार प्रति वर्ष ₹2 लाख से ₹5 लाख के बीच कमाते हैं (चित्र 5 देखें)।

सर्वेक्षण के दौरान, 452 परिवार, यानी ग्राम पंचायत में कुल परिवारों का लगभग 8 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे (BPL) थे। जैसा कि चित्र 6 में दर्शाया गया है, राशन कार्ड के आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 71 प्रतिशत परिवार सार्वजनिक वितरण योजना का लाभ उठाते हैं और जिनके पास राशन कार्ड हैं, उनमें से 85 परिवारों के पास अंत्योदय¹⁴ कार्ड हैं।




चित्र 4: मवैया में घरेलू स्तर पर आय का प्राथमिक स्रोत

11 एशिया में 2023 में जलवायु की स्थिति <https://library.wmo.int/records/item/68890-state-of-the-climate-in-asia-2023>


12 AR6 संश्लेषण रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन 2023 (ipcc.ch)

13 भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES), भारत सरकार की एक रिपोर्ट | SpringerLink), भारत सरकार

14 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल (https://nfsa.gov.in/portal/Ration_Card_State_Portals_AA)




चित्र 5 : मवैया में वार्षिक आय के आधार पर परिवारों का वितरण



चित्र 6 : मवैया में राशन कार्ड वाले परिवार

कार्यरत महिलाएं

ग्राम पंचायत में लगभग 27 प्रतिशत महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं। इनमें से अधिकांश महिलाएं मुख्य रूप से पशुपालन क्षेत्र में संलग्न हैं। कुछ महिलाएं कृषि, मजदूरी और कला/हस्तशिल्प में संलग्न हैं। ग्राम पंचायत के भीतर 35 महिला-प्रधान परिवार हैं¹⁵, जो ग्राम पंचायत के कुल परिवारों का 7 प्रतिशत है। फ्रील्ड सर्वेक्षण में कृषि और स्थानीय दुकानों को चलाने जैसी गतिविधियों में शामिल 9 स्वयं सहायता समूह (SHG) हैं।




चित्र 7: मवैया में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या


15 महिला-प्रधान परिवार वे परिवार होते हैं जहां महिलाएं एकमात्र/मुख्य कमाने वाली होती हैं।

कृषि

कृषि में संलग्न 13 प्रतिशत परिवार (चित्र 4) विभिन्न व्यवस्थाओं के तहत कृषि से जुड़े हैं, जैसा चित्र 8 में दर्शाया गया है¹⁶, मवैया में बुवाई का कुल क्षेत्रफल 146 हेक्टेयर है, एवं कुल सकल फसल क्षेत्रफल 272 हेक्टेयर है¹⁷। इस क्षेत्र में खेती की जाने वाली प्रमुख खरीफ फसलें धान (~5,122 क्विंटल), अरहर (46 क्विंटल) और बाजरा (31 क्विंटल) हैं। रबी सीजन में, उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें गेहूँ (~4,005 क्विंटल), सरसों (150 क्विंटल), मटर (47 क्विंटल) और चना (66 क्विंटल) हैं। चित्र 9 मवैया में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों का क्षेत्रवार वितरण उपलब्ध है।



चित्र 8: मवैया में केवल कृषि पर निर्भर परिवार



चित्र 9: मवैया में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार वितरण

खेतों की सिंचाई के लिए नहरें सबसे प्रचलित विधि हैं। सिंचाई के अन्य स्रोत खुले कुएं हैं। सिंचाई के मौजूदा आधारभूत ढांचे में 9 डीजल पंप और 15 सबमर्सिबल पंप शामिल हैं।

लगभग 39 प्रतिशत यानी 250 परिवार पशुपालन में संलग्न हैं। कुल पशुधन आबादी 680 है जिसमें से 400 गाय (स्वदेशी और हाइब्रिड), 80 भैंस (स्वदेशी), 200 बकरियां और 1,500 पोल्ट्री पक्षी हैं।

प्राकृतिक संसाधन

मवैया में 3 हेक्टेयर का वन क्षेत्र है और क्षेत्र सर्वेक्षण से पता चलता है कि 0.29 हेक्टेयर सार्वजनिक भूमि उपलब्ध है। ग्राम पंचायत में 5 तालाब, 2 नहरें (मविया माइनर और सिकिडिया माइनर) और 1 नदी (चंद्रप्रभा नदी) हैं। लगभग 1 हेक्टेयर के क्षेत्र में कृषि वानिकी के रूप में वृक्षारोपण गतिविधियां की गई हैं। तालाबों के आसपास के क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के माध्यम से वृक्षारोपण किया गया है। निजी और सरकारी सहित कुल 3 उद्यान हैं।

16 उल्लेखनीय है कि अनेक परिवार एक से अधिक तरीकों से कृषि कार्य में संलग्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, छोटी जमीन के मालिक भी बड़े खेतों पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बड़े जमीन के मालिक किसान अनुबंध खेती भी कर सकते हैं।

17 फसल के कुल क्षेत्रफल का अनुमान ग्राम पंचायत के साथ की गई कई दौर की चर्चाओं से प्राप्त जानकारीयों पर आधारित है।

मवैया में सुविधाएं

बिजली और एलपीजी (LPG)

- बिजली तक पहुंच: 46% घर
- LPG कवरेज: 23.07% घर

जल

- घरेलू उपयोग और ग्राम पंचायत स्तर की आपूर्ति हेतु पानी का मुख्य स्रोत: भूजल (खुले कुएं और हैंडपंप)
- घरेलू स्तर पर पाइप से पानी की आपूर्ति¹⁸: 50%
- इंडिया मार्क हैंड पंप: 72

अपशिष्ट

- खुले में शौच से मुक्त (ODF) का दर्जा: प्राप्त है
- घरेलू शौचालय का कवरेज: 73%

आवागमन एवं बाज़ार तक पहुंच

- राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-19): 20 किमी
- ग्राम पंचायत के भीतर राज्य राजमार्ग
- रेलवे स्टेशन: 20 किमी
- बस स्टेशन: 12 किमी
- किसान मंडी: 2 किमी
- ग्राम पंचायत के भीतर बैंक
- ग्राम पंचायत के भीतर डाकघर
- राशन की दुकान: 5 किमी

शैक्षिक संस्थान

- प्राथमिक विद्यालय
- जूनियर हाई स्कूल

स्वास्थ्य संस्थान

- 2 आंगनवाड़ी केंद्र
- उप स्वास्थ्य केंद्र
- स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र




18 ग्राम पंचायत के प्रधान के साथ कई दौर की चर्चा के बाद प्राप्त आंकड़े



ग्रामीण क्षेत्रों से कार्बन फुटप्रिंट (अर्थात, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन) महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस अभ्यास का उद्देश्य ग्राम पंचायत की पूरी आधारभूत रेखा विकसित करना था। इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि इस योजना का उद्देश्य एक कार्बन शून्य ग्राम पंचायत नहीं, बल्कि एक क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकसित करना है। हालांकि, प्रस्तावित अनुशंसाओं से उत्सर्जन में कमी के भी लाभ होंगे जो शायद ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल या कार्बन नेगेटिव बना सकते हैं। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, इस अभ्यास में जीएचजी पूर्वानुमान सम्मिलित नहीं हैं।


इसके अतिरिक्त, कार्बन फुटप्रिंट, LiFE मिशन के सिद्धांतों के अनुरूप सतत विकास को सुनिश्चित करने हेतु अनुशंसाएं प्रदान करने में भी सहायता करता है। कुल मिलाकर, 2022 में, मवैया ग्राम पंचायत ने विभिन्न गतिविधियों से लगभग 1,620 टन कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष (tCO₂e) उत्सर्जित किया (चित्र 10 देखें)।

ऊर्जा, कृषि और अपशिष्ट क्षेत्रों की गतिविधियों ने मवैया के कार्बन फुटप्रिंट में योगदान दिया। ऊर्जा क्षेत्र का उत्सर्जन बिजली की खपत के कारण होता है¹⁹, खाना पकाने के लिए ईंधन की लकड़ी और रसोई गैस (LPG) जलाना, सिंचाई के लिए डीजल पंपों का इस्तेमाल, पावर बैकअप के लिए जनरेटर का इस्तेमाल और परिवहन के विभिन्न साधनों में जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) कृषि क्षेत्र में होने वाले उत्सर्जन में धान की खेती, खेतों में उर्वरक का उपयोग, पशुधन से उत्सर्जन, पशु अपशिष्ट का प्रबंधन तथा फसल के अवशेष को जलाने से होने वाले उत्सर्जन शामिल हैं। घरेलू अपशिष्ट जल के कारण होने वाले उत्सर्जन को अपशिष्ट क्षेत्र में शामिल किया गया है।



चित्र 10: 2022 में मवैया में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट

कृषि क्षेत्र से होने वाले उत्सर्जन, मवैया ग्राम पंचायत के कुल उत्सर्जन का 53 प्रतिशत है, जिसमें धान की खेती (440 tCO₂e) और पशुधन (~328.75 tCO₂e) से होने वाले उत्सर्जन, प्रमुख कारण हैं। कुल उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र का योगदान लगभग 38 प्रतिशत था। इस क्षेत्र के भीतर खाना पकाना (163 tCO₂e), बिजली की खपत (158 tCO₂e) और डीजल पंप (9.44 tCO₂e) उत्सर्जन का प्रमुख कारण थे। कुल उत्सर्जन में अपशिष्ट क्षेत्र का योगदान लगभग 9 प्रतिशत (150.74 tCO₂e) था (चित्र 11 देखें)।



चित्र 11: 2022 में मवैया के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी

¹⁹ बिजली की खपत के कारण होने वाले उत्सर्जन को स्कोप 2 उत्सर्जन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि बिजली उत्पादन के लिए ईंधन (कोयला) का दहन ग्राम पंचायत की सीमा के बाहर होता है

ग्राम पंचायत के व्यापक मुद्दों की पहचान एकत्र किए गए आंकड़ों और ग्राम पंचायत की आधार रेखा तैयार करने के लिए किए गए विश्लेषण, उस कृषि-जलवायु क्षेत्र की अंतर्निहित विशेषताओं, जिसमें ग्राम पंचायत स्थित है, के साथ-साथ क्षेत्रीय सर्वेक्षणों और समूह केंद्रित चर्चाओं के दौरान समुदाय के सदस्यों से प्राप्त जानकारी के आधार पर की गई है। जहां भी संभव हो सका है, इस जानकारी की पुष्टि उपलब्ध सरकारी आंकड़ों/स्रोतों से की गई है। हालाँकि, कुछ मुद्दे पूरी तरह से समुदाय से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं क्योंकि इनके लिए ग्राम पंचायत स्तर के आंकड़ें पुष्टि के लिए उपलब्ध नहीं थे। ग्राम पंचायत में पहचाने गए मुद्दों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, विस्तृत मुद्दों को प्रस्तावित अनुशासण अनुभाग के संबंधित विषयों में सूचीबद्ध किया गया है।

व्यापक मुद्दे:

- मौसम की अवधि में परिवर्तन और अनियमित वर्षा से बुवाई का समय, कटाई का समय और फसलों की सिंचाई की आवश्यकता प्रभावित होती है
- जून/अगस्त के मध्य में सूखे की लगातार घटना और जुलाई से सितंबर में जलभराव की समस्या
- अस्थायी कृषि और पशुपालन गतिविधियाँ
- सीमित स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाएं
- जल निकायों सहित प्राकृतिक संसाधनों का खराब रख-रखाव
- खाना पकाने, कृषि और परिवहन की आवश्यकताओं के लिए जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता
- सीमित इंटर और इंटरा विलेज कनेक्टिविटी/सीमित पैरा-ट्रांजिट
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जानकारी का अभाव
- स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता का अभाव

प्रत्येक विषयगत मुद्दे में कई सुझाव/ संस्तुतियाँ हैं, जिसमें शमन और अनुकूलन दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो पिछले अनुभाग में पहचाने गए प्रमुख मुद्दों को संबोधित करता है। गतिविधियों/संस्तुतियों को चरणबद्ध लक्ष्यों और लागत अनुमानों²⁰ (जहाँ तक संभव हो) के साथ वर्णित किया गया है। लक्ष्यों को तीन चरणों में बांटा गया है: चरण- I (2024-25 से 2026-27); चरण- II (2027-28 से 2029-30); और चरण-III (2030-31 से 2034-35)।

प्रत्येक चरण के अंतर्गत लक्ष्यों को प्रभावी और निगरानीपूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए आगे वार्षिक लक्ष्यों (वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य) में विभाजित किया जा सकता है। साल-दर-साल लक्ष्य विकसित करने के प्रारूप को 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)' दस्तावेज़ से संदर्भ लेते हुए तैयार किया जा सकता है। मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) एक चरण-दर-चरण दृष्टिकोण है जिसका उपयोग ग्राम प्रधानों, समुदाय के सदस्यों या अन्य हितधारक द्वारा अपने संबंधित ग्राम पंचायतों हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना विकसित करने के लिए किया जा सकता है।

पहचाने गए वित्तपोषण के विकल्पों/तरीकों में केंद्रीय या राज्य योजनाएं, ग्राम पंचायत की विभिन्न बंधित एवं अबंधित निधि या कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) हस्तक्षेप के माध्यम से निजी वित्त की पहचान की गई है। विस्तृत संस्तुतियाँ निम्नलिखित अनुभाग में हैं।

कार्ययोजना में प्रस्तावित गतिविधियां/संस्तुतियाँ निम्नलिखित विषयों पर आधारित हैं:

1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प
2. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना
3. सतत कृषि
4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच
6. सतत एवं उन्नत गतिशीलता
7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

इसके अतिरिक्त, संस्तुतियों का हिस्सा न बनाते हुए, पंचायतों द्वारा विचार के लिए संभावित पहलें भी सूचीबद्ध की गई हैं। इन पहलों को भारत के कुछ हिस्सों में ग्राम पंचायतों द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया है और इन्हें यहां दोहराया भी जा सकता है। हालाँकि, ये पहल/प्रयास/नवाचार उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान में संचालित किसी भी योजना/कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं, इसलिए इस समय इन पहलों/प्रयासों/नवाचरों के लिए धन को समुदायों द्वारा या सीएसआर और निजी स्रोतों द्वारा वहन किया जाएगा। इसलिए, उन्हें मुख्य अनुशंसाओं में शामिल नहीं किया गया है।

20 लागत का अनुमान विभिन्न तरीकों के आधार पर लगाया गया है जैसे: ग्राम पंचायत के प्रमुख सदस्यों से प्राप्त जानकारी, या प्रासंगिक योजनाओं और नीतियों के अनुसार लागत का अनुमान, अथवा आवश्यक इनपुट की प्रति इकाई अनुमानित लागत अथवा विभिन्न विभागों की दरों की अनुसूचियाँ।

1 जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प



संदर्भ और प्रमुख मुद्दे

- मवैया ग्राम पंचायत मुख्य रूप से ग्राम पंचायत में कृषि और घरेलू दोनों जरूरतों के लिए पानी के प्राथमिक स्रोत के रूप में भूजल एवं नहर पर निर्भर है। 2018 से 2022²¹ के बीच मई से अगस्त के महीनों में लगातार सूखे की घटनाएं हुई हैं। इसलिए मवैया में वाटरशेड प्रबंधन को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- मवैया में 5 तालाब और 2 नहरें हैं। अधिकांश तालाबों का रखाव खराब है और वे गाद, मलबे और कचरे से भरे हुए हैं। उन्हें साफ करने और जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है।
- ग्राम पंचायत में केवल 50% घरों में पाइप से पानी के कनेक्शन हैं। पीने के पानी तक पहुंच को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- मवैया में जलभराव एक प्रमुख चिंता का विषय है, विशेषकर मानसून के मौसम में - जुलाई से अक्टूबर²² तक। अकुशल और खराब रख-रखाव वाले जल निकासी के बुनियादी ढांचे के कारण यह समस्या और अधिक बढ़ गई है।

पिछले पांच वर्षों में भूजल पर निर्भरता और सूखे की लगातार घटनाएं जल संरक्षण और भूजल संसाधनों की पुनःपूर्ति करने के लिए वाटरशेड प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता को दर्शाती है। मवैया में भेद्यता को कम करने, लचीलापन बनाने और जल सुरक्षा को बेहतर करने के लिए निम्नलिखित अनुशासनों को प्रस्तावित है।

21 जैसा कि फ़ील्ड सर्वेक्षणों के दौरान बताया गया है

22 जैसा कि फ़ील्ड सर्वेक्षणों के दौरान बताया गया है



जल निकायों का रख-रखाव

चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

I

2024-25 से 2026-27

1. जल निकायों (कुओं, तालाबों और नहरों) की सफाई और गहरा बनाना
2. जल निकायों के आसपास ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण
3. हैंड पंप की स्थापना और रख-रखाव

II

2027-28 से 2029-30

1. जल निकायों के आसपास ट्री गार्ड के साथ लगाए 1000 पेड़ लगाए गए
2. जल निकायों का नियमित रख-रखाव

III

2030-31 से 2034-35

जल निकायों का नियमित रख-रखाव

लक्ष्य

1. जल निकायों को साफ करना, उनसे गाद निकालना, एवं गहरा करना (3 तालाब, 2 नहरें)²³
2. सामान्य एवं लुप्तप्राय वृक्षों के 1000 पौधे लगाए जाएंगे तथा कम से कम 65% जीवित रहने की दर सुनिश्चित की जाएगी (ट्री गार्ड का उपयोग करके) जिन्हें 'हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना' अनुभाग में शामिल किया गया है
3. खुले कुओं का जीर्णोद्धार
4. एक हैंडपंप की स्थापना एवं 20 हैंडपंपों की मरम्मत²⁴

1. जल निकायों के आसपास ट्री गार्ड के साथ 1000 पेड़ लगाना
2. जल निकायों का नियमित रख-रखाव
3. समुदाय एवं अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण

जल निकायों का नियमित रख-रखाव

अनुमानित लागत

1. जल निकायों की सफाई कराना और गहरा करना: तालाब: ₹21,00,000 नहर: ₹7,00,000²⁵
 2. जल निकायों के चारों ओर ट्री गार्ड के साथ पेड़ों का वृक्षारोपण: 'हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना' अनुभाग में शामिल किया गया है
 3. 5 खुले कुओं का जीर्णोद्धार : ₹2,00,000²⁶
 4. एक हैंड पंप की स्थापना : ₹90,000
 5. मौजूदा 20 हैंडपंप की मरम्मत: ₹2,00,000
- कुल लागत: ₹32.90 लाख

1. जल निकायों के चारों ओर पेड़ लगाना: 'हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना' अनुभाग में शामिल है
 2. जल निकायों का रख-रखाव
 - 5 तालाब: ₹18,75,000
 - 2 नहर: ₹50,000
- कुल लागत: ₹19.25 लाख

जल निकायों का रख-रखाव
5 तालाब: ₹18,75,000
2 नहर: ₹50,000
कुल लागत: ₹19.25 लाख

23 अधिक जानकारी के लिए HRVCA देखें

24 अधिक जानकारी के लिए HRVCA देखें

25 HRVCA में प्रदान की गई लागत के अनुसार

26 HRVCA में प्रदान की गई लागत के अनुसार



जल निकासी और नालों के बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	नई नालियों का निर्माण	नालियों का नियमित रख-रखाव	नालियों का नियमित रख-रखाव
लक्ष्य	7 स्थानों पर नालियों का निर्माण ²⁷ जिनकी कुल लंबाई 1,135 मीटर	नालियों का नियमित रख-रखाव	नालियों का नियमित रख-रखाव
अनुमानित लागत	1,135 मीटर की नालियों के निर्माण की लागत: ₹36,72,500	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

27 स्थानों की अधिक जानकारी के लिए HRVCA देखें



वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं

चरण

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत में सभी सरकारी भवनों में आरडब्ल्यूएच के बुनियादी ढांचे की स्थापना - पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय आंगनबाड़ियां, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जूनियर हाई स्कूल और सामुदायिक हॉल भूजल प्रबंधन के लिए रिचार्ज पिट का निर्माण सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को सम्मिलित करना मौजूदा जल प्रबंधन समिति या ग्राम पंचायतों की क्षमता निर्माण जल उपयोग दक्षता और जल संरक्षण में सुधार करने के लिए विभिन्न प्रमुख सामुदायिक समूहों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए जल और स्वच्छता समिति (VWSC) 	<ol style="list-style-type: none"> 1,500 वर्ग फीट से अधिक के भूखंड वाले आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच के बुनियादी ढांचे की स्थापना। पहचाने/चिन्हित किए गए जलग्रहण क्षेत्रों में अधिक पुनर्भरण गड्ढे खोदना/खाड़ियां बनाना सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को सम्मिलित करना 	<ol style="list-style-type: none"> 1,000 वर्ग फुट और उससे अधिक आकार के भूखंड वाले आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को सम्मिलित करना

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

<ol style="list-style-type: none"> 7 सरकारी भवनों में 10 m³ की औसत भंडारण क्षमता के साथ आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना 4 पुनर्भरण गड्ढे 	180 पक्के घरों में 10 m ³ की औसत भंडारण क्षमता वाले आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना करना	190 पक्के घरों में 10 m ³ की औसत भंडारण क्षमता वाले आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना करना
---	---	---

अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> 7 आरडब्ल्यूएच संरचनाओं आरडब्ल्यूएच: ₹2,45,000 पुनर्भरण गड्ढों की लागत: ₹1,40,000 कुल लागत: ₹3.85 लाख	180 आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की लागत: ₹63,00,000	190 आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की लागत: ₹66,50,000
---	--	--



पाइपड पेयजल कनेक्टिविटी का विस्तार

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	घरों के लिए पानी के पाइप के बुनियादी ढांचे का निर्माण ²⁸	पानी के पाइप के बुनियादी ढांचे का रख-रखाव	पानी के पाइप के बुनियादी ढांचे का रख-रखाव
लक्ष्य	मवैया और लेवा गांवों में घरों के लिए पानी के पाइप का बुनियादी ढांचा	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
अनुमानित लागत	अनुमानित लागत: ₹25 लाख	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- जल शक्ति अभियान: 'कैच द रेन' अभियान द्वारा उपलब्ध प्रावधानों और संसाधनों के माध्यम से वर्षा जल संचयन प्रणालियों का विकास किया जा सकता है।
- सिंचाई विभाग के अंतर्गत यूपी राज्य का वार्षिक बजट को ग्राम पंचायत स्तर के जल निकाय संरक्षण और जीर्णोद्धार गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- PMKSY के अंतर्गत मनरेगा और वाटरशेड विकास घटक के वार्षिक बजट का उपयोग वाटरशेड विकास गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
- जल जीवन मिशन (हर घर जल) के तहत प्रावधानों के माध्यम से घरेलू नल के पानी के कनेक्शन का विस्तार किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- जल निकायों और कुओं के अनुरक्षण और रख-रखाव में योगदान देने के लिए कॉर्पोरेट/CSR को 'जल निकाय को अपनाने' के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- ग्राम्य विकास विभाग
- सिंचाई और जल संसाधन विभाग
- उत्तर प्रदेश भूमि संसाधन विभाग
- जल जीवन मिशन-जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार

28 HRVCA के अनुसार मवैया और लेवा गांवों में

2

हरित स्थान और जैवविविधता को बढ़ाना



संदर्भ और प्रमुख मुद्दे

- मवेया में 3 हेक्टेयर का सीमांकित वन क्षेत्र है²⁹।
- ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण के अंतर्गत 1 हेक्टेयर में कृषि-वानिकी वृक्षारोपण है। इसके साथ 3 निजी और सरकारी उद्यान हैं।

मवेया ग्राम पंचायत में हरित क्षेत्रों की जगह बढ़ाने की क्षमता है। यह न केवल बढ़ते तापमान में सुधार करेगा और छाया प्रदान करेगा अपितु ग्राम पंचायत में कार्बन सिंक को बढ़ाने के अलावा, लंबी अवधि में मिट्टी के स्वास्थ्य और जल स्तर में भी सुधार करेगा।



हरित आवरण में सुधार

चरण

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> 1. विभिन्न पहलों के माध्यम से समुदाय-आधारित वार्षिक वृक्षारोपण संबंधी गतिविधियाँ:³⁰ <ul style="list-style-type: none"> » छात्रों के लिए ग्रीन स्टीवर्डशिप कार्यक्रम³¹ (5 छात्र चयनित) » देशी फल वाले पेड़ों को लगाकर खाद्य वन का निर्माण 2. आरोग्य वन तैयार करना - भूमि की खरीद और तैयारी, प्रजातियों का चयन और विभिन्न औषधीय जड़ी-बूटियों, झाड़ियों³² और पेड़ों का रोपण 	<ol style="list-style-type: none"> 1. मौजूदा रोपण क्षेत्र का रख-रखाव 2. बाल वन³³ के निर्माण के साथ अतिरिक्त वृक्षारोपण गतिविधियां जारी रखी गईं और उनमें वृद्धि हुई 3. किसानों को कृषि वानिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है³⁴ 4. आरोग्य वन की स्थापना की गई है 	<ol style="list-style-type: none"> 1. वन, बाल वन, खाद्य वन और अन्य रोपण क्षेत्र का रख-रखाव 2. 118 हेक्टेयर (कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त 100% भूमि) कृषि वानिकी पहल के अंतर्गत कवर की गई है 3. आरोग्य वन का रख-रखाव किया गया तथा प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए यूनिट स्थापित की गई।

29 जैसा कि फ़ील्ड सर्वेक्षणों के दौरान बताया गया है

30 संलग्नक VI में सूचीबद्ध वृक्षों की प्रजातियाँ

31 स्कूल के छात्रों को पेड़ लगाने के कार्यों में शामिल किया जाएगा और प्रत्येक कक्षा से छात्र नेता चुने जाएंगे जो अपने साथियों के साथ-साथ ग्राम पंचायत समुदाय को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेंगे।

32 उपयुक्त प्रजातियों को संलग्नक VI में सूचीबद्ध किया गया है

33 नए माता-पिता को उनके बच्चे को जन्म देने के उपलक्ष्य में देशी सदाबहार पेड़ों के पौधे उपहार में दिए जाएंगे तथा उन्हें उनके बच्चों की देखभाल के साथ-साथ इन पौधों की देखभाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

34 उपयुक्त भूमि पर कृषि वानिकी अपनाई गई। यहाँ हमने कुल 118 हेक्टेयर (गेहूँ और आलू) पर विचार किया है

लक्ष्य

1. जल निकायों के आसपास 1,000 पौधे लगाने और कम से कम 65% जीवित रहने की दर सुनिश्चित करने के लिए (ट्री गार्ड का उपयोग करके) जिसकी 15-20 वर्षों में 5,600 tCO₂ से 10,000 tCO₂ तक पृथक्करण क्षमता³⁵
2. आरोग्य वन स्थापित करने के लिए लगभग 0.2 हेक्टेयर भूमि आवंटित/सीमांकन

1. ग्राम पंचायत में सड़कों, रास्तों और जल निकायों के आसपास 1,000- 1,500 पौधे लगाए जाने का कार्य। 15-20 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 7,000 tCO₂ से 12,500 tCO₂
2. 47 हेक्टेयर भूमि में कृषि वानिकी अपनाई गई (40% भूमि कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त)³⁶ 4700 पेड़ लगाए गए. (15-20 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 26,300 tCO₂ से 47,000 tCO₂)
3. आरोग्य वन का रख-रखाव किया गया
4. प्राकृतिक औषधियों और अनुपूरकों के निर्माण और विपणन के लिए एफपीओ, महिला समूहों, युवा समूहों की क्षमता निर्माण

1. अतिरिक्त 1,000-1,500 लगाए गए पौधे की 15-20 सालों में 7,000 tCO₂ से 12,500 tCO₂ तक पृथक्करण क्षमता होगी
2. कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त शेष भूमि यानी 71 हेक्टेयर में कृषि वानिकी को अपनाया गया और 7100 पेड़ लगाए गए
पृथक्करण क्षमता: सागौन वृक्षारोपण के लिए 20 वर्षों में 39,700 tCO₂ से 71,000 tCO₂ तक
3. आरोग्य वन का रख-रखाव किया गया तथा प्राकृतिक औषधियों और पूरकों का उत्पादन जारी रखा गया

अनुमानित लागत

वृक्षारोपण गतिविधियाँ: ₹12,70,000
कुल लागत: ₹12,70,000

1. वृक्षारोपण गतिविधियाँ:
₹12,70,000 – ₹19,05,000
2. कृषि वानिकी गतिविधियाँ:
₹18,80,000
कुल लागत: ₹34,67,500

1. वृक्षारोपण गतिविधियाँ:
₹12,70,000 – ₹19,05,000
2. कृषि वानिकी गतिविधियाँ: ₹28,40,000
कुल लागत: ₹44,27,500



जन जैवविविधता रजिस्टर

I

2024-25 से 2026-27

1. जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन
2. समुदाय और सभी हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना

II

2027-28 से 2029-30

1. जन जैवविविधता रजिस्टर का नियमित अद्यतनीकरण
2. सभी हितधारकों के बीच जागरूकता को बढ़ाना

III

2030-31 से 2034-35

1. जन जैवविविधता रजिस्टर का नियमित अद्यतनीकरण
2. सभी हितधारकों के बीच जागरूकता को बढ़ाना

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

1. जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन और क्षमता विकास
2. जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन

जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी है

जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी है

35 सागवान की प्रजाति के आधार पर पृथक्करण क्षमता का अनुमान लगाया गया

36 118 हेक्टेयर उपयुक्त भूमि पर कृषि वानिकी को अपनाया गया (फलीदार पौधों और सब्जियों की खेती के तहत)

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रीन इंडिया मिशन, जल जीवन मिशन और उप्र राज्य वृक्षारोपण लक्ष्यों द्वारा 'भारत में वनों के बाहर पेड़' पहल के अंतर्गत प्रावधानों के माध्यम से वृक्षारोपण गतिविधियों को जोड़ा और संचालित किया जा सकता है।
- उप्र राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण निधि (राज्य कैम्पा निधि) के अंतर्गत वार्षिक बजटिंग के लिए निम्न गतिविधि हेतु निर्देशित किया जा सकता है:
 - » ग्राम पंचायत में वनरोपण, जैव-विविधता का संवर्धन, वन्यजीव आवास में सुधार, और मिट्टी एवं जल संरक्षण गतिविधियाँ।
 - » वृक्षारोपण गतिविधियों को मनरेगा के साथ जोड़ा जा सकता है और स्थानीय समुदाय को 'श्रमदान' करने में भी सम्मिलित किया जा सकता है।
- सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत कृषि वानिकी संबंधी उप-मिशन का लाभ उठाया जा सकता है
- जैवविविधता प्रबंधन समितियों (BMC) के संचालन के लिए दिशानिर्देश, 2013, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण। लिंक:
 - » कृषि वानिकी वृक्षारोपण के लिए प्रति हेक्टेयर ₹28,000 का लाभ उठा सकता है।
 - » वृक्षारोपण हेतु सहायता चार वर्षों के लिए 40:20:20:20 के वर्ष-वार अनुपात में प्राप्त की जा सकती है।
- केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम पंचायत में आरोग्य वन स्थापित करने में सहायक हो सकता है।
- बीएमसी के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के कार्यक्रमों का उपयोग किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित संसाधन तथा पंचायत के स्वयं की आय (OSR) से एकत्र राजस्व।
- पौधों की खरीद, वृक्षारोपण अभियान का आयोजन, पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्री गार्ड के निर्माण के लिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड का लाभ उठाया जा सकता है। CSR समर्थन का उपयोग आरोग्य वन के निर्माण और हर्बल उत्पादों के लिए उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए भी किया जा सकता है, जैसा कि 'आजीविका बढ़ाने और हरित उद्यमिता को बढ़ावा देने' की संस्तुतियों में वर्णित है।

प्रमुख विभाग

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- पंचायती राज विभाग
- राज्य जैवविविधता बोर्ड
- ग्राम्य विकास विभागकेंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ

37 जैवविविधता प्रबंधन समितियों (BMC) के संचालन के लिए दिशानिर्देश, 2013, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण।

3 सतत कृषि



संदर्भ और प्रमुख मुद्दे

- मवैया में कृषि के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल ~146 हेक्टेयर है और सकल फसल क्षेत्रफल लगभग 272 हेक्टेयर है।
- ग्राम पंचायत में 13% परिवार कृषि प्रथाओं पर निर्भर हैं और 39% परिवार आय के स्रोत के रूप में पशुपालन पर निर्भर हैं।
- खरीफ और रबी सीजन में गेहूं (~116 हेक्टेयर), धान (~129 हेक्टेयर), बाजरा (~3 हेक्टेयर), सरसों (~11 हेक्टेयर), चना (~5 हेक्टेयर) और मटर (~3 हेक्टेयर) प्रमुख उगाई जाने वाली फसलें हैं।
- ग्राम पंचायत में 2018 से 2022 के बीच सालाना 5 बार सूखा पड़ा है (आमतौर पर जुलाई-अगस्त के दौरान), जिसके कारण फसल खराब हुई है और चारे की कमी हुई है। ग्राम पंचायत में इन चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता है
- तीव्र गर्मी और सूखे के कारण धान की बुवाई का समय जुलाई से बदलकर अगस्त/सितंबर हो गया है। गेहूं के मामले में, बारिश में देरी के कारण बुवाई का समय नवंबर के पहले सप्ताह से दिसंबर के अंत तक बदल गया है।
- मवैया में किसान प्रति वर्ष ~65 टन यूरिया और अन्य नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उपयोग करते हैं जिससे प्रति वर्ष ~68 टन CO₂e GHG उत्सर्जन होता है। किसान कीटनाशकों और खरपतवारनाशी जैसे अन्य रासायनिक आदानों पर भी निर्भर हैं। मवैया में प्राकृतिक खेती नहीं की जाती है।
- जैसा कि फ्रील्ड सर्वेक्षणों से पता चला कि कृषि में जल की मांग में वृद्धि हुई है, जिसके कारण जल संरक्षण और बेहतर सिंचाई तकनीकों के इस्तेमाल पर ज़ोर दिये जाने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त बातें अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए सतत और सूखा प्रतिरोधी कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं।



जलवायु परिवर्तन अनुकूल खेती

चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> ड्रिप सिंचाई और स्प्रेकलर सिंचाई प्रणाली जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रथाओं को बढ़ावा देना और अपनाना खेतों के चारों ओर पेड़ों से मेडबंदी का निर्माण खेत में तालाब बनाना गेहूं की सूखा सहनशील किस्मों को अपनाना किसानों को फसल के नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करना उपयुक्त स्थान पर स्वचालित/छोटा मौसम निगरानी स्टेशन स्थापित करना 	<ol style="list-style-type: none"> सूक्ष्म सिंचाई की प्रथाओं का विस्तार करना मेडबंदी का विस्तार खेत में अतिरिक्त तालाब बनाना सूखा के प्रति सहनशील किस्मों को अपनाने के लिए चरण 1 की गतिविधियों का विस्तार करना सूखा प्रतिरोधी फसलों जैसे बाजरा और फलियां को अपनाना किसानों को फसल के नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए जागरूकता पैदा करने और किसानों को सहायता प्रदान करने की पहल 	<ol style="list-style-type: none"> सूक्ष्म सिंचाई की प्रथाओं का विस्तार करना मेडबंदी का रख-रखाव और वृक्षारोपण अतिरिक्त वृक्षारोपण (आवश्यकतानुसार) मौजूदा खेत के तालाबों का रख-रखाव धान और गेहूं की सूखे के प्रति सहनशील किस्मों के साथ-साथ सूखे के प्रति प्रतिरोधी फसलों को अपनाने में वृद्धि करना

लक्ष्य

<ol style="list-style-type: none"> ~7.5 हेक्टेयर पर सूक्ष्म सिंचाई (सब्जियों, फलियां और बाजरा के तहत 30% कृषि भूमि) 73 हेक्टेयर (50%) कृषि भूमि के चारों ओर वृक्षों सहित मेडबंदी का निर्माण 300 m³ प्रति क्षमता वाले 4 खेत तालाब बनाना सूखे के प्रति सहनशील किस्मों को अपनाने के लिए ज्ञान का प्रसार और प्रशिक्षण ग्राम पंचायत में उपयुक्त स्थान पर 1 मिनी मौसम निगरानी स्टेशन स्थापित करना 	<ol style="list-style-type: none"> अतिरिक्त 10 हेक्टेयर पर सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ाना (सब्जियों और फलियों के तहत कृषि भूमि का कुलमिलाकर 70%) शेष 73 हेक्टेयर (100%) कृषि भूमि के चारों ओर वृक्षों सहित मेडबंदी का निर्माण 300 m³ क्षमता वाले 10 खेत के तालाब बनाना। मौसम निगरानी स्टेशनों का समय-समय पर रख-रखाव 	<ol style="list-style-type: none"> कृषि भूमि के अतिरिक्त 7.5 हेक्टेयर (100%) में सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार मेडबंदी का रख-रखाव मौसम निगरानी स्टेशनों का समय-समय पर रख-रखाव
---	---	--

अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> सूक्ष्म सिंचाई: ₹7,50,000 मेडबंदी का निर्माण: ~₹1,28,160 खेत के तालाब: ₹3,60,000 1 मिनी मौसम स्टेशन स्थापित करने की लागत: ₹1,50,000 <p>कुल लागत: ₹13.9 लाख</p>	<ol style="list-style-type: none"> सूक्ष्म सिंचाई: ₹10,00,000 मेडबंदी का निर्माण: ~₹1,28,160 खेत के तालाब: ₹ 9,00,000 <p>कुल लागत: ₹20 लाख</p>	<p>सूक्ष्म सिंचाई: ₹7,50,000</p> <p>कुल लागत: ₹7.5 लाख</p>
---	---	--



प्राकृतिक खेती को अपनाना

चरण

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> 1. प्राकृतिक उर्वरकों, जैव-कीटनाशकों और जैव-खरपतवारनाशकों को अपनाना 2. जैविक उत्पाद प्रमाणन प्रक्रिया को स्थापित करना और उसे अपनाना 3. प्राकृतिक कृषि उपज के लिए बाजार स्थापना 4. मिश्रित फसल, फसल चक्र, मल्लिचिंग, जीरो टिलेज जैसी प्रक्रियाओं को अपनाना 5. किसानों, FPO और अन्य संबंधित हितधारक समूहों के लिए प्रशिक्षण सत्र और प्रदर्शन: <ol style="list-style-type: none"> a. प्राकृतिक खेती और सूखे के प्रति सहनशील फसलों का महत्व b. लचीले फसल के पैटर्न को अपनाने की तकनीकें c. सतत सिंचाई के तरीके d. प्रमाणन प्रणाली e. बाजार तक पहुंच और लाभप्रदता 	चरण I की गतिविधियों का विस्तार	चरण I की गतिविधियों का विस्तार

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

22 हेक्टेयर (15%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना	49 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना	शेष 75 हेक्टेयर (100% कवरेज) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना
--	--	---

अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): 60,000 2. भूमि का प्राकृतिक खेती में परिवर्तन: ₹54,36,200 <p>कुल लागत: ₹54.96 लाख</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): 60,000 2. भूमि का प्राकृतिक खेती में परिवर्तन: ₹1,21,07,900 <p>कुल लागत: ₹1.21 करोड़</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): 60,000 2. भूमि का प्राकृतिक खेती में परिवर्तन: ₹1,85,32,500 <p>कुल लागत: ₹1.85 करोड़</p>
---	--	--



सतत पशुधन प्रबंधन

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> पशुधन प्रबंधन के लिए पशुपालन में लगे परिवारों की जागरूकता बढ़ाना और क्षमता निर्माण करना पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए समुदाय के सदस्यों को पशु स्वास्थ्य कर्मचारी/पैरा-पशु चिकित्सक प्रशिक्षण के रूप में प्रशिक्षित करना पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने पर हस्तक्षेप के लिए अनुभाग "अतिरिक्त संस्तुतियों" देखें। 	<p>प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार</p> <p>आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण को बढ़ाना</p>	<p>प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार</p> <p>आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण को बढ़ाना</p>
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> पशुपालन में संलग्न परिवारों के लिए स्थाई पालन पद्धतियों, रोग की रोकथाम और पशुधन स्वास्थ्य प्रबंधन पर कार्यशालाओं का आयोजन दो पैरा वेट का प्रशिक्षण³⁸ 	<ol style="list-style-type: none"> रोग की रोकथाम और स्थायी/सतत पालन क्रियाएँ/प्रथाओं पर अतिरिक्त कार्यशालाएँ आयोजित करना पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> रोग की रोकथाम और स्थायी/सतत पालन क्रियाएँ/प्रथाओं पर अतिरिक्त कार्यशालाएँ आयोजित करना पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
अनुमानित लागत	कार्यशाला और पैरा-पशु चिकित्सक प्रशिक्षण की लागत: आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), उ0प्र0 बाजरा पुनरुद्धार कार्यक्रम, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना से धन और सब्सिडी के माध्यम से सूखा प्रबंधन और पूर्णिक प्रक्रियाओं का समर्थन किया जा सकता है।
- फसल योजना और आपदा प्रबंधन को बढ़ाने के लिए मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम (विंड्स) कार्यक्रम के तहत स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किए जा सकते हैं।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने विंड्स कार्यक्रम लागू करने की घोषणा की है, जिसके तहत प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर एक स्वचालित मौसम केंद्र तथा प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम दो स्वचालित वर्षामापी यंत्र स्थापित किए जाएंगे।
- सूखारोधी गतिविधियों, नर्सरी और बीज बैंकों के निर्माण को मनरेगा के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जा सकता है।

38 प्रशिक्षण दिए जाने वाले समुदाय आधारित पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या ग्राम पंचायत की आवश्यकता पर आधारित है

- जैविक खेती प्रथाओं को विभिन्न योजनाओं जैसे: परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि और सब्सिडी के माध्यम से समर्थन दिया जा सकता है।
- किसानों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहायता के साथ-साथ जैविक खेती प्रदर्शनों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्रों (NCOF और RCOF), कृषि विज्ञान केंद्र (KVVK), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के निकटतम जैविक खेती सेल के माध्यम से सक्षम किया जा सकता है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन और सतत खेती के लिए किसानों और एफपीओ के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA) का उपयोग किया जा सकता है।
- उत्तर प्रदेश सरकार की निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के तहत गौशाला निर्माण में सहायता की जा सकती है।
- कृषि रक्षा योजना विभिन्न पारिस्थितिक संसाधनों के माध्यम से कीट नियंत्रण और जैव-रसायनों के उपयोग को बढ़ावा देने में किसानों को सहायता करती है।
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी राज्य योजनाओं के माध्यम से पैरा-पशुचिकित्सक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का लाभ उठाया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करने के लिए 'स्वच्छ, टिकाऊ, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच' अनुभाग कोल्ड-स्टोरेज सुविधा में उल्लिखित योजनाओं के अनुरूप स्थापित और संचालन करें। जागरूकता बढ़ाना: जैविक खेती के तरीकों और लाभों, आवश्यक इनपुट, प्रदर्शन, सूचना और मार्गदर्शन के प्रासंगिक स्रोत, पंजीकरण प्रक्रिया, सत्यापन और प्रमाणन प्रक्रिया, बाजार से जुड़ाव और मौसम आधारित सूचना सेवाओं आदि के बारे में जानकारी।
- किसानों, FPO, SHG और अन्य समुदाय के सदस्यों को बीमा, विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के साथ-साथ क्लाउडमेट स्मार्ट कृषि प्रथाओं को लागू करने के तकनीकी पहलुओं के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना, जिसमें जैविक उर्वरकों को अपनाना, अंततः जैविक खेती में बदलाव, सूखे से बचाव वाली कृषि और टिकाऊ पशुधन प्रबंधन शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त, मवैया में सतत कृषि में लगे किसानों, FPO, SHG और अन्य समुदाय के सदस्यों की क्षमता निर्माण क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों और संस्थानों, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, CSO और कॉरपोरेट्स के सहयोग से किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग भूमि संसाधन विभाग
- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र (CIPM)
- जल शक्ति विभाग
- पशुपालन विभाग
- भूमि संसाधन विभाग
- कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA)
- जैविक खेती के लिए क्षेत्रीय केंद्र
- कृषि विज्ञान केन्द्र, चंदौली

4

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन



संदर्भ और प्रमुख मुद्दे

- ग्राम पंचायत में सभी घरेलू गतिविधियों (घरेलू, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक स्थान, तथा वाणिज्यिक क्षेत्र) से उत्पन्न कुल अपशिष्ट³⁹ लगभग 290 किलोग्राम प्रतिदिन है। इसमें से, 168 किलोग्राम प्रति दिन बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट और 122 किलोग्राम प्रति दिन गैर-बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है।
- फ़ील्ड सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार, मवैया में अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्करण और प्रभावी अपशिष्ट उपचार प्रणाली की कमी है, जिसके कारण ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर जल निकायों और खाली भूखंडों में अपशिष्ट फेंका जाता है। इसके परिणामस्वरूप जल निकाय प्रदूषित होते हैं, मानसून के दौरान बंद नालियों के कारण जलभराव होता है जिसके कारण कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।
- कृषि और पशु अपशिष्ट की बड़ी मात्रा भी अपशिष्ट प्रबंधन की समस्याओं को बढ़ा रही है। ग्राम पंचायत में कुल पशुधन की संख्या 680 है (जिसमें गाय, भैंस और बकरी शामिल हैं) और अनुमानित गोबर उत्पादन लगभग 5 टन प्रतिदिन है⁴⁰ जिसे मवैया में कम्पोस्ट, वर्मीकम्पोस्ट, प्राकृतिक उर्वरक उत्पादन और बायोगैस उत्पादन जैसे उपायों के माध्यम से स्थायी रूप से प्रबंधित किया जा सकता है।
- घरेलू शौचालय कवरेज ~73% है। फ़ील्ड सर्वेक्षण और समूह केंद्रित चर्चाओं में ग्राम पंचायत में सार्वजनिक शौचालयों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

इस पृष्ठभूमि में, ग्राम पंचायत में 100% ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं।

39 आकलन पद्धति के लिए संलग्नक IV देखें

40 अनुमानित अपशिष्ट मात्रा - गायें प्रतिदिन 10 किलोग्राम गोबर, भैंसें प्रतिदिन 15 किलोग्राम गोबर तथा बकरियां प्रतिदिन 150 ग्राम गोबर करती हैं।



अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना

चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत स्तर पर पृथक्करण और भंडारण सुविधा की स्थापना घरों से कचरे को एकत्र करने और ग्राम पंचायत स्तर पर पृथक्करण और भंडारण सुविधा तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन और श्रमिकों का चयन प्रमुख स्थानों (प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, PHC, आंगनवाड़ी, बाजार, दुकानें, चाय की दुकानें आदि) पर कचरा संग्रहण के कूड़ेदान रखना पंचायत, स्वयं सहायता समूहों, अनौपचारिक कूड़ा बीनने वालों, स्थानीय कबाड़ियों, स्थानीय व्यवसायों और MSME के बीच साझेदारी बनाना 	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा का रख-रखाव मौजूदा कूड़ेदानों का रख-रखाव और आवश्यकता के अनुसार नए प्रमुख/चयनित स्थानों पर अतिरिक्त कूड़ेदान लगाना ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत स्तर पर रख-रखाव: पृथक्करण और भंडारण सुविधा मौजूदा कचरे के डिब्बों का रख-रखाव ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना
<ol style="list-style-type: none"> 1 पृथक्करण और भंडारण केंद्र स्थापित करना दैनिक अपशिष्ट संग्रह के लिए 1 इलेक्ट्रिक वाहन 6 सफाई कर्मियों को काम पर रखा जाएगा ग्राम पंचायत की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के तहत 650 घरों (100%) को कवर किया गया प्रमुख/चयनित स्थानों पर 10 कूड़ेदान रखना 	<p>मौजूदा सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रख-रखाव</p>	<p>मौजूदा सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रख-रखाव</p>

अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> 1. पृथक्करण और भंडारण सुविधा स्थापना की लागत: ₹2,50,000 2. सफाई कर्मी: ₹21,60,000⁴¹ 3. 1 इलेक्ट्रिक वाहन: ₹1,05,000 4. 10 कचरे के डिब्बे/कंटेनर: ₹1,50,000 <p>कुल लागत: ₹26.65 लाख</p>	सफाई कर्मी: ₹21,60,000	सफाई कर्मी: ₹28,80,000
--	------------------------	------------------------



जैविक अपशिष्ट का सतत प्रबंधन

चरण

I	II	III
2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

<ol style="list-style-type: none"> 1. खाद गड्डों का निर्माण 2. बायोगैस संयंत्र की स्थापना ('स्वच्छ और सतत ऊर्जा तक पहुंच' अनुभाग में अधिक विस्तार से बताया गया है)। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. मौजूदा अपशिष्ट प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और प्रणाली का नियमित रख-रखाव 2. आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त खाद गड्डों का निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> 1. मौजूदा अपशिष्ट प्रबंधन का नियमित रख-रखाव 2. बुनियादी ढांचा और प्रणाली
---	--	---

लाक्ष्य

50 खाद गड्डों का निर्माण ⁴²	<ol style="list-style-type: none"> 1. आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त खाद गड्डों का निर्माण किया गया 2. खाद बिक्री विपणन उद्यम की स्थापना 	आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त खाद गड्डों का निर्माण किया गया
--	---	--

अनुमानित लागत

गड्डों के निर्माण की कुल लागत : ₹6,25,000	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
---	---------------	---------------

41 ग्राम पंचायत के प्रधान के साथ चर्चा के बाद निर्धारितलागत (प्रति वर्ष 1,20,000 रुपये / प्रति सफाई कर्मी)

42 अधिक जानकारी के लिए HRVCA देखें



एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

चरण	I	II	III
	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> निम्नलिखित के लिए जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन: <ol style="list-style-type: none"> ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) छात्र एवं युवा समूह समुदाय के सदस्य और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भागीदारी मॉडल: "आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाना" अनुभाग में विस्तार से बताया गया है 	<p>नियमित जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम</p>	<ol style="list-style-type: none"> नियमित जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम पिछले चरणों की सफलता का इस्तेमाल इस पहल को निकटवर्ती ग्राम पंचायतों तक बढ़ाने हेतु मॉडल के रूप में किया जा सकता है
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> एकल इस्तेमाल प्लास्टिक (SUP) पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध 100 महिलाओं को प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों के निर्माण में लगाया जाएगा (आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले अनुभाग में अधिक जानकारी) 	<ol style="list-style-type: none"> SUP पर प्रतिबंध लगाए रखा गया विकल्प आसानी से उपलब्ध होने से उपभोक्ता-व्यापी प्लास्टिक का इस्तेमाल और अधिक कम हो जाता है 	<ol style="list-style-type: none"> SUP पर प्रतिबंध लगाए रखा गया विकल्प आसानी से उपलब्ध होने से उपभोक्ता-व्यापी प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी



बुनियादी स्वच्छता ढांचे को बढ़ाना

चरण	I	II	III
	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	<p>घरों और आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालयों का निर्माण और मरम्मत⁴³</p>	<p>शौचालयों का निर्माण और रख-रखाव</p>	<p>शौचालयों का निर्माण और रख-रखाव</p>

43 अधिक जानकारी के लिए HRVCA देखें

लक्ष्य

40 घरों में शौचालयों का निर्माण और मरम्मत

1. आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त शौचालयों का निर्माण
2. मौजूदा शौचालयों का रख-रखाव

1. आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त शौचालयों का निर्माण
2. मौजूदा शौचालयों का रख-रखाव

अनुमानित लागत

1. 40 शौचालयों का निर्माण और मरम्मत: ₹6,00,000
 2. आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय की मरम्मत: ₹25,000
- कुल लागत: ₹6,25,000

आवश्यकतानुसार

आवश्यकतानुसार

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- समुदाय आधारित खाद सुविधाओं के निर्माण के लिए मनरेगा का उपयोग किया जा सकता है।
- बुनियादी ढांचे के विकास और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण को स्वच्छ भारत (ग्रामीण) मिशन के अंतर्गत प्रयासों द्वारा समर्थित किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंडिंग- पंचायत-प्राइवेट-पार्टनरशिप (PPP) मॉडल संयंत्र, पृथक्करण यार्ड, प्लास्टिक-वैकल्पिक उद्यम, विपणन, अपशिष्ट परिवहन के लिए ई-वाहनों की खरीद आदि जैसे बुनियादी ढांचे को विकसित और संचालित करने में मदद कर सकते हैं।
- इसके अलावा, प्लास्टिक के लिए वैकल्पिक उत्पादों के उत्पादन, खाद बनाने की प्रक्रिया में शामिल सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को बढ़ाने और व्यक्तिगत स्तर पर टिकाऊ उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने में CSR समर्थन महत्वपूर्ण होगा। स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) के दिशानिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए ग्राम पंचायत के अपने संसाधनों सहित, बद्ध और अनियोजित निधि का उपयोग किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- पंचायती राज विभाग
- सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

5

स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच



संदर्भ और प्रमुख मुद्दे

- मवैया ग्राम पंचायत ने 2022-23 में लगभग 1,92,086 यूनिट बिजली की खपत की। ग्राम पंचायत में 46 प्रतिशत घरों में बिजली कनेक्शन है और जैसा कि समुदाय के सदस्यों से पता चला है, बिजली की आपूर्ति 24*7 नहीं है। औसतन, ग्राम पंचायत को प्रतिदिन लगभग 8 घंटे⁴⁴ बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है।
- बिजली कटौती के कारण, पावर बैकअप के लिए ग्राम पंचायत में 7 डीजल जनरेटर चल रहे हैं जो सालाना लगभग ~15 किलोलीटर ईंधन का उपयोग करते हैं।
- इसके अतिरिक्त, यहां 9 डीजल पंप⁴⁵ हैं जो प्रतिवर्ष 4 किलोलीटर ईंधन की खपत करते हैं।
- कई घरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं में फ्लोरोसेंट लैंप, CFL (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट) लाइटें और अन्य कम दक्षता वाले इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस और उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत ने अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट (145 स्ट्रीटलाइट्स) की आवश्यकता बतायी है।⁴⁶
- 400 घरों में खाना पकाने के लिए उपलों और जलाने वाली लकड़ी का उपयोग किया जाता है।⁴⁷ रसोई में स्वच्छा ईंधन समाधानों को अपनाने की आवश्यकता है जिससे न केवल उत्सर्जन में कमी आएगी बल्कि घरों के भीतर की वायु की गुणवत्ता में सुधार जैसे सह-लाभ भी मिलेंगे।
- बढ़ते तापमान के साथ, घरों में थर्मल आराम का स्तर कम हो रहा है और सतत स्थान शीतलन समाधानों की आवश्यकता है।

ग्राम पंचायत की प्रमुख ऊर्जा संबंधी समस्याओं/चिंताओं के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकार के हाल ही में प्रारम्भ किए गए और साथ ही पूर्व से चल रहे कार्यक्रमों, जैसे कि अन्य के साथ पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना, पीएम कुसुम योजना, यूपी राज्य सौर नीति 2022 को संयुक्त रूप से जोड़ते हुए, मवैया में कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित समाधान/गतिविधियां प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित गतिविधियों का उद्देश्य ग्राम पंचायत में समुदायों के लिए स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इससे न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि ऊर्जा के उत्पादक उपयोग के माध्यम से आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

44 जैसा कि फ़िल्ड सर्वेक्षण में समुदाय द्वारा साझा किया गया है

45 सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले फ़िल्ड सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

46 ग्राम प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर

47 जैसा कि फ़िल्ड सर्वेक्षणों के दौरान बताया गया



सोलर रूफटॉप की स्थापना

चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

I

2024-25 से 2026-27

सभी सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप फोटोवोल्टिक

II

2027-28 से 2029-30

- 185 (50%) पक्के घरों के लिए सोलर रूफटॉप फोटोवोल्टिक सेट-अप
- सभी नए निर्माणों में सोलर पैनल होगा

III

2030-31 से 2034-35

- 185 शेष घरों के लिए सोलर रूफटॉप फोटोवोल्टिक सेट-अप (मौजूदा पक्के घरों का 100%)
- सभी नए निर्माणों में सोलर पैनल होगा

सोलर रूफटॉप क्षमता स्थापित किया गया:

- » पंचायत भवन⁴⁸ (232 वर्ग मीटर छत का क्षेत्रफल): 14 kWp
- » प्राथमिक विद्यालय (~140 वर्गमीटर छत का क्षेत्रफल): 10 kWp
- » जूनियर हाई स्कूल (~140 वर्ग मीटर छत का क्षेत्रफल): 8 kWp
- » प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र (~93 वर्ग मीटर छत का क्षेत्रफल): 6.5 kWp
- » सामुदायिक केंद्र (~186 वर्ग मीटर छत का क्षेत्रफल): 13 kWp
- » आंगनवाड़ी, लेवा (111 वर्गमीटर छत का क्षेत्रफल): 7.5 kWp
- » आंगनवाड़ी, मवैया (~111 वर्ग मीटर छत का क्षेत्रफल): 7.5 kWp

स्थापित की गई सोलर रूफटॉप क्षमता:

66.5 किलोवाट

उत्पादित बिजली: 89,057 kWh प्रति वर्ष;

244 यूनिट प्रति दिन कम किया गया

GHG उत्सर्जन: प्रति वर्ष लगभग 73

tCO₂e

हाल ही में शुरू की गई पीएम सूर्य घर योजना के बहुत आवश्यक और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, छतों पर सोलर फोटोवोल्टिक स्थापना के इस चरण में कुछ परिवार भी इसका हिस्सा बन सकते हैं।

प्रत्येक घर पर स्थापित सोलर रूफटॉप क्षमता (~90⁴⁹ वर्गमीटर रूफटॉप क्षेत्रफल उपलब्ध है): 3 kWp

- » सोलर रूफटॉप क्षमता स्थापित: 555 kWp
- » बिजली उत्पादन: प्रति वर्ष लगभग ~ 7,43,256⁵⁰ kWh (प्रति दिन 2,036 यूनिट बिजली)
- » कम किया गया GHG उत्सर्जन: प्रति वर्ष लगभग 609 tCO₂e

अतिरिक्त सोलर रूफटॉप क्षमता

स्थापित: 555 kWp

- » बिजली उत्पादन: प्रति वर्ष लगभग ~ 7,43,256 kWh (प्रति दिन 2,036 यूनिट बिजली)
- » कम किया गया GHG उत्सर्जन: प्रति वर्ष लगभग 609⁵¹ tCO₂e

लक्ष्य

48 पंचायत भवन पर 2 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप पहले से ही स्थापित है

49 घरों का औसत क्षेत्रफल 130 वर्ग मीटर माना जाता है, जिसमें 70% छत क्षेत्रफल - 90 वर्ग मीटर है।

50 ग्राम पंचायत में विभिन्न उद्देश्यों के लिए स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन वर्तमान बिजली खपत से तीन गुना अधिक है।

51 उत्सर्जन में कमी से ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल बनने में मदद मिलेगी।

अनुमानित लागत

कुल लागत: ₹33.25 लाख (50,000 रुपये / kWp)	कुल लागत: ₹2,77,50,000 (50,000 रुपये /kWp) सांकेतिक सब्सिडी ⁵² : ~40% (राज्य + CFA) प्रभावी लागत: ₹1.65 करोड़	कुल लागत: ₹2,77,50,000 (50,000 रुपये /kWp) सांकेतिक सब्सिडी: ~40% (राज्य + CFA) प्रभावी लागत: ₹1.65 करोड़
---	--	---



सौर पंप

चरण

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई व्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	9 (100%) मौजूदा डीजल पंप सेटों को सोलर पंप से बदलना* *यदि सौर पंप संभव नहीं हैं, तो ऊर्जा कुशल पंप (ईईएसएल द्वारा किसान ऊर्जा दक्ष पंप) पर विचार किया जा सकता है।	स्थापित सभी नए पंप सौर ऊर्जा संचालित हो सकते हैं	स्थापित सभी नए पंप सौर ऊर्जा संचालित हो सकते हैं

लक्ष्य

स्थापित क्षमता : 49.5 kWh » सौर ऊर्जा आधारित बिजली का उत्पादन: प्रति वर्ष 66,290 किलोवाट » डीजल की खपत में कमी: 13,650 लीटर/वर्ष » रोका गया उत्सर्जन: 9.45 tCO ₂ e प्रति वर्ष	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
---	---------------	---------------

अनुमानित लागत

कुल लागत: 27,00,000 से ₹45,00,000 (₹3,00,000 से 5,00,000 / 7.5 HP सोलर पंप) सांकेतिक सब्सिडी: ~60% (राज्य + CFA) प्रभावी लागत: ₹ 10.80 लाख से ₹18 लाख	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
---	---------------	---------------

52 सब्सिडी परिवर्तनशील होती है और राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित विभिन्न मापदंडों के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए, अनुमानित सब्सिडी की राशि पिछले रुझानों और औसत पर आधारित है और मौजूदा समय में सटीक नहीं हो सकती है।



रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग

चरण

I

2024-25 से 2026-27

II

2027-28 से 2029-30

III

2030-31 से 2034-35

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (LPG)

परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (LPG)

परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + उन्नत चूल्हे + रसोई गैस (LPG)

परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (LPG)

परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (LPG)

परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + उन्नत चूल्हे + रसोई गैस (LPG)

परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (LPG)

परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (LPG)

परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + उन्नत चूल्हे + रसोई गैस (LPG)

लक्ष्य

परिदृश्य 1: 63 परिवार बायोगैस संयंत्रों का उपयोग करते हैं (25% परिवार जिनके पास 2 से 4 मवेशी हैं) + 587 रसोई गैस (LPG) का उपयोग करते हैं

परिदृश्य 2: 21 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग करते हैं (25% घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) + 629 घर रसोई गैस (LPG) का उपयोग करते हैं

परिदृश्य 3: 21 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग करते हैं (25% घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) + 100 घर उन्नत चूल्हे का उपयोग करते हैं (25% घर जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं) + 529 रसोई गैस (LPG) का उपयोग करते हैं

परिदृश्य 1: अतिरिक्त 63 परिवार बायोगैस संयंत्रों का उपयोग करते हैं (25% परिवार के पास 2 से 4 मवेशी हैं) + 524 रसोई गैस (LPG) का उपयोग करते हैं

परिदृश्य 2: 21 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग करते हैं (25% घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) + 608 घर रसोई गैस (LPG) का उपयोग करते हैं

परिदृश्य 3: अतिरिक्त 21 घर सौर ऊर्जा से चलने वाले इंडक्शन कुकस्टोव्स का उपयोग करते हैं (शीर्ष आय वर्ग के अन्य 25% परिवार) + अतिरिक्त 100 परिवार उन्नत चूल्हे का उपयोग करते हैं (वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 100% परिवार) इसमें ग्राम पंचायत में शेष घरों में रसोई गैस (LPG) का निरंतर उपयोग भी शामिल है

परिदृश्य 1: अतिरिक्त 124 परिवार बायोगैस संयंत्रों का उपयोग करते हैं (100% परिवार में 2 से 4 मवेशी हैं) + 400 परिवार रसोई गैस (LPG) का उपयोग करते हैं

परिदृश्य 2: 43 सौर ऊर्जा से चलने वाले इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग करें (शीर्ष आय समूहों में 100% परिवार) + 565 रसोई गैस (LPG) का उपयोग करें (द्वितीय चरण में)

परिदृश्य 3: अतिरिक्त 43 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग करते हैं (शीर्ष आय वर्ग के 100% परिवार) + अतिरिक्त 200 परिवार उन्नत चूल्हे का उपयोग करते हैं (वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 100% परिवार) इसमें ग्राम पंचायत में शेष घरों में रसोई गैस (LPG) का निरंतर उपयोग भी शामिल है

अनुमानित लागत

परिदृश्य 1 की लागत: ₹31,50,000

परिदृश्य 2 की लागत: ₹9,45,000

परिदृश्य 3 की लागत: ₹12,45,000

औसत लागत: ₹17,80,000

परिदृश्य 1 की लागत: ₹31,50,000

परिदृश्य 2 की लागत: ₹9,45,000

परिदृश्य 3 की लागत: ₹12,45,000

औसत लागत: ₹17,80,000

परिदृश्य 1 की लागत: ₹62,00,000

परिदृश्य 2 की लागत: ₹18,90,000

परिदृश्य 3 की लागत: ₹24,90,000

औसत लागत: ₹35,26,666



एग्रो-फोटोवोल्टिक स्थापित करना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	किसान, किसान समूहों आदि के बीच जागरूकता बढ़ाना	बागवानी (सब्जियां और फल) और फलीदार फसलों (आलू, केला, फूलगोभी, टमाटर, अरहर, बाजरा, मसूर, उड़द) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में एग्रो-फोटोवोल्टिक की स्थापना	बागवानी (सब्जियां और फल) और फलीदार फसलों (आलू, केला, फूलगोभी, टमाटर, अरहर, बाजरा, मसूर, उड़द) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफलों में एग्रो-फोटोवोल्टिक की स्थापना का विस्तार करना
लक्ष्य	किसानों के बीच कृषि-फोटोवोल्टिक पहल को प्रोत्साहित करने हेतु जागरूकता अभियान और उन्मुखीकरण सत्रों का आयोजन करना	2 हेक्टेयर पर कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित किया गया स्थापित क्षमता : 500 kWp उत्पादित बिजली: 6,69,600 ⁵³ kWh प्रति वर्ष (~1,835 यूनिट प्रति दिन) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी: 549 tCO ₂ e प्रति वर्ष	2 हेक्टेयर पर कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित किया गया स्थापित क्षमता : 500 kWp उत्पादित बिजली: 6,69,600 kWh प्रति वर्ष (~1,835 यूनिट प्रति दिन) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी: 549 tCO ₂ e प्रति वर्ष
अनुमानित लागत	आवश्यकतानुसार	अनुमानित लागत ⁵⁴ : ₹5 करोड़	अनुमानित लागत: ₹5 करोड़

53 यह मान ग्राम पंचायत में उपयोग होने वाली बिजली के 3 गुना से अधिक है

54 प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ, एग्रो-फोटोवोल्टिक की लागत कम हो रही है। हालाँकि, इसकी लागत का एक रूढ़िवादी अनुमान उच्चतर स्तर पर लगाया गया है। इसके अलावा, यह माना गया है कि किसान बागवानी और इसी तरह की अन्य फसलों के लिए निर्धारित भूमि पर भी फसल चक्र को अपनाते हैं। इसलिए, बागवानी में उपलब्ध भूमि का केवल एक प्रतिशत ही एग्रो-फोटोवोल्टिक की स्थापना के लिए ध्यान में रखा गया है।



ऊर्जा कुशल फिक्स्चर

चरण

I

2024-25 से 2026-27

- सभी सरकारी भवनों (पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय) में सभी लाइट फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल उपकरणों से बदला जाएगा।
- ग्राम पंचायत के प्रत्येक घर में कम से कम 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को LED ट्यूब लाइट से बदलना
- निवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरण से अपग्रेड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए (BE द्वारा 4-5 स्टार रेटेड)
- सभी नए निर्माण में केवल LED बल्ब और ट्यूब लाइट लगाना

II

2027-28 से 2029-30

- घरों में फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों की जगह LED ट्यूब लाइटों के इस्तेमाल को बढ़ाना
- हर घर में 1 पारंपरिक पंखे को ऊर्जा कुशल पंखे से बदलना
- सभी नए निर्माण में केवल LED बल्ब और ट्यूब लाइट लगाना

III

2030-31 से 2034-35

घरों में पारंपरिक पंखे की जगह ऊर्जा कुशल पंखों का उपयोग बढ़ाना

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

- सभी सरकारी भवनों में सभी ट्यूब लाइट और पंखे (लगभग 25 LED ट्यूब लाइट और 20 पंखे) बदले जाएंगे
- 650 मौजूदा ट्यूब लाइट और सभी (100%) घरों में LED ट्यूब लाइट के साथ बदलना⁵⁵ (प्रत्येक घर में 1)

- 1,950 LED बल्ब और 1,300 ट्यूब सभी घरों में लगाई गई लाइट्स (प्रति घर 3 बल्ब और 2 ट्यूब लाइट बदली गई)
- प्रत्येक घर में 650 ऊर्जा कुशल पंखे लगाए गए (प्रति घर 1 पंखा बदला गया)

सभी घरों में 1,300 ऊर्जा कुशल पंखे लगाए गए (प्रति घर 2 पंखे बदले गए)

अनुमानित लागत

- सरकारी भवनों में ऊर्जा कुशल उपकरणों को अपग्रेड करने की लागत: ₹27,700
- LED ट्यूब लाइट की लागत: ₹1,43,000
- LED बल्ब की लागत: ₹45,500
कुल लागत: ₹2.11 लाख

- LED ट्यूब लाइट की लागत: ₹2,86,000
- LED बल्ब की लागत: ₹1,36,500
- ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹7,21,500
कुल लागत: ₹11.44 लाख

ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹14,43,000

कुल लागत: ₹14.43 लाख

⁵⁵ ग्राम प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर



सौर स्ट्रीट लाइटें

चरण

I

2024-25 से 2026-27

1. प्रमुख स्थानों पर हाई-मास्ट सोलर LED स्ट्रीट लाइट स्थापित करना⁵⁶
2. सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों पर सोलर LED स्ट्रीटलाइटें लगाना
3. मौजूदा स्ट्रीट लाइटों का रख-रखाव और मरम्मत (आवश्यकतानुसार)

II

2027-28 से 2029-30

1. अतिरिक्त LED स्ट्रीटलाइट्स को सोलर LED स्ट्रीटलाइट्स में अपग्रेड करना
2. सार्वजनिक स्थानों पर, जल निकायों और अन्य प्रमुख स्थानों पर सड़कों, फुटपथों, सरकारी भवनों पर नई सोलर LED और हाई-मास्ट सोलर LED स्ट्रीट लाइट लगाना
3. मौजूदा स्ट्रीट लाइटों का रख-रखाव और मरम्मत (आवश्यकतानुसार)

III

2030-31 से 2034-35

1. मौजूदा LED स्ट्रीटलाइट्स को सोलर LED स्ट्रीटलाइट्स में अपग्रेड करना
2. सार्वजनिक स्थानों पर, जल निकायों और अन्य प्रमुख स्थानों पर सड़कों, फुटपथों, सरकारी भवनों पर नई सोलर LED और हाई-मास्ट सोलर LED स्ट्रीट लाइट लगाना
3. मौजूदा स्ट्रीट लाइटों का रख-रखाव और मरम्मत (आवश्यकतानुसार)

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

1. पंचायत भवन और प्राथमिक विद्यालय में 2 सोलर हाई मास्ट लगाना।
2. सड़कों के किनारे 25 सोलर LED स्ट्रीट लाइट लगाना।

1. मौजूदा LED स्ट्रीट लाइट्स के अतिरिक्त 60 को सोलर LED स्ट्रीट लाइट्स में अपग्रेड करना
2. सरकारी भवनों के आसपास, सार्वजनिक स्थानों पर, जल निकायों और अन्य प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त 5 हाई-मास्ट सोलर LED स्ट्रीट लाइट लगाना
3. सड़कों, फुटपथों और मार्गों पर अतिरिक्त सोलर LED स्ट्रीट लाइट लगाना (आवश्यकतानुसार)

1. मौजूदा LED स्ट्रीट लाइट्स की शेष 60 स्ट्रीट लाइट्स को सोलर LED स्ट्रीट लाइट्स में अपग्रेड करना
2. सरकारी भवनों के आसपास, सार्वजनिक स्थानों पर, जल निकायों और अन्य प्रमुख स्थानों पर 5 हाई-मास्ट सोलर LED स्ट्रीट लाइट लगाना
3. सड़कों, फुटपथों और अंदर की सड़कों पर अतिरिक्त सोलर LED स्ट्रीट लाइट लगाना (आवश्यकतानुसार)

लक्ष्य

1. पंचायत भवन और प्राथमिक विद्यालय में 2 सोलर हाई मास्ट लगाना: ₹1,00,000
 2. 25 सोलर LED स्ट्रीट लाइटों की स्थापना ₹2,50,000
- कुल लागत: ₹3,50,000

1. सोलर LED स्ट्रीटलाइट की लागत ₹6,00,000
 2. सोलर हाई मास्ट की लागत: ₹2,50,000
- कुल लागत: ₹8,50,000

1. सोलर LED स्ट्रीटलाइट की लागत ₹6,00,000
 2. सोलर हाई मास्ट की लागत: ₹2,50,000
- कुल लागत: ₹8,50,000

56 फ्रीलड सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत से प्राप्त जानकारी और ग्राम प्रधान के साथ आगे की चर्चा के आधार पर

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022⁵⁷ निम्नलिखित प्रदान करती है:
 - » आवासीय क्षेत्र में सोलर इंस्टॉलेशन पर सब्सिडी: MNRE द्वारा केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त प्रति उपभोक्ता ₹15,000/किलोवाट से बढ़ाकर अधिकतम ₹30,000/- की सीमा।
 - » संस्थानों में स्वयं अथवा यूपीनेडा के परामर्श से RESCO⁵⁸ मोड में सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन के लिए संयंत्र की लागत के 3 प्रतिशत परामर्श शुल्क के साथ प्रावधान।
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप प्रोग्राम के माध्यम से MNRE (MNRE) द्वारा केन्द्रीय वित्तीय सहायता
 - » 3 किलोवाट क्षमता तक के आरटीएस (RTS) सिस्टम के लिए 40 प्रतिशत तक सीएफए (CFA) दिया जाएगा। 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक की क्षमता वाले आरटीएस (RTS) सिस्टम के लिए, 40 प्रतिशत का सीएफए (CFA) केवल पहले 3 किलोवाट की क्षमता के लिए लागू होगा और 3 किलोवाट से अधिक (10 किलोवाट तक) की क्षमता के लिए सीएफए (CFA) 20 प्रतिशत तक ही होगा।
 - » समूह आवास सोसायटियों/आवासीय कल्याण संघों (GHS/RWA) के लिए सामान्य सुविधाओं को बिजली की आपूर्ति के लिए CFA संयंत्र की स्थापना हेतु सीएफए 20 प्रतिशत तक सीमित रहेगा। जीएचएस/आरडब्ल्यूए (GHS/RWA) के लिए सीएफए (CFA) के लिए पात्र क्षमता प्रति घर 10 किलोवाट तक सीमित है और कुल 500 किलोवाट से अधिक नहीं होगी।
 - » गरीब परिवारों के लिए सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से किए जा सकते हैं⁵⁹। यह योजना 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणालियों के लिए प्रणाली लागत का 60% तथा 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाली प्रणालियों के लिए अतिरिक्त प्रणाली लागत का 40% CFA प्रदान करती है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता (CFA) को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा। मौजूदा बेंचमार्क कीमतों पर, 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट सिस्टम या उससे अधिक के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी होगी।
- प्रधानमंत्री कुसुम योजना निम्नलिखित प्रदान करती है:
 - » प्रधानमंत्री कुसुम योजना का घटक A, कृषि भूमि पर 500 किलोवाट और बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने को बढ़ावा देती है।
 - » प्रधानमंत्री कुसुम योजना के घटक B और C के तहत, केंद्र और राज्य सरकार प्रति पंप के आधार पर 30 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करेगी। किसानों को केवल 10 प्रतिशत की अग्रिम लागत का भुगतान करना होगा और बाकी का भुगतान बैंक को किश्तों में किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री कुसुम योजना में उत्तर प्रदेश सरकार का योगदान:
 - » घटक C -1 के तहत: किसानों को 60 प्रतिशत सब्सिडी के साथ स्थापित ऑन-ग्रिड पंपों का सौरीकरण (अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के किसानों को 70 प्रतिशत सब्सिडी); यह एमएनआरई (MNRE) की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार से उपलब्ध सब्सिडी के अतिरिक्त है
 - » घटक C-2 के तहत: एमएनआरई (MNRE) की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार द्वारा ₹ 50 लाख प्रति मेगावाट की वार्डएबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ (VGF)) प्रदान करके अलग-अलग कृषि फीडर्स का सोलराइजेशन
- ग्राम पंचायतों में LED स्ट्रीट लाइटिंग की परियोजना⁶⁰:
 - » EESL पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को अपनी स्वयं की लागत पर LED स्ट्रीट लाइटों से बदलता है और 7 वर्षों तक LED बल्बों को मुफ्त बदलता है और रख-रखाव करता है।
 - » अटल ज्योति योजना और MNRE सौर ऊर्जा स्ट्रीटलाइट प्रोग्राम 12 वाट की LED और 3 दिनों की बैटरी बैक-अप के साथ सौर ऊर्जा वाली स्ट्रीट लाइट की स्थापना हेतु सब्सिडी प्रदान करते हैं।
- ग्राम उजाला योजना⁶¹:
 - » ₹.10 प्रति बल्ब की सस्ती कीमत पर LED बल्ब उपलब्ध हैं।

57 https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/Uttar_Pradesh_Solar_Energy_Policy_2022.pdf

58 तृतीय पक्ष (RESCO मोड) (नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति कंपनी)

59 <https://pmsuryaghar.gov.in/>

60 ईईएसएल (EESL) द्वारा स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम।

61 ग्राम उजाला योजना ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ LED बल्ब वितरित करती है (फरवरी 2023), (PIB)।

- » ग्रामीण ग्राहकों को काम कर रहे इन्कन्डेसन्ट बल्बों के बदले में तीन साल की वारंटी के साथ 7-वाट और 12-वाट के LED बल्ब दिए जाएंगे
- कोल्ड स्टोरेज सेट-अप के लिए सब्सिडी
 - » परियोजना लागत के 35 प्रतिशत के बराबर ऋण से जुड़ी बैंक एंटेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता 2 योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध है: कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (DAC&FW) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) का क्रियान्वयन कर रहा है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) “बागवानी उत्पादों के लिए शीतगृहों और भंडारण गृहों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी” नामक एक योजना को क्रियान्वित कर रहा है।
 - » प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत, एकीकृत कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण अवसंरचना 35 प्रतिशत की दर से अनुदान-सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसे गैर-बागवानी, बागवानी, डेयरी, मांस और पोल्ट्री के वितरण की सुविधा के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला⁶² के साथ बुनियादी ढांचे की सुविधा के निर्माण हेतु प्राप्त किया जा सकता है। यह योजना खेत स्तर पर कोल्ड चेन के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ-साथ परियोजना नियोजन में लचीलेपन की अनुमति देती है।
- EESL कार्बन फाइनेंसिंग का लाभ उठाकर सौर ऊर्जा आधारित इंडकेशन कुकिंग सलूशन के लिए बाजार आधारित हस्तक्षेपों को शुरू करने की योजना बना रहा है
- 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) के अंतर्गत गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से धन का लाभ उठाना।
 - » SBM-G के अंतर्गत गोबरधन योजना 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए क्लस्टर/सामुदायिक स्तर के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना हेतु प्रति जिला रु. 50.00 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।⁶³
- उत्तर प्रदेश जैव-ऊर्जा नीति 2022⁶⁴ गोबरधन योजना के अंतर्गत भारत सरकार से उपलब्ध प्रोत्साहन के अतिरिक्त CBG संयंत्रों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है:
 - » कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) उत्पादन संयंत्र की स्थापना पर रु. 75 लाख प्रति टन से अधिकतम रु. 20 करोड़ तक का प्रोत्साहन
 - » विकास प्राधिकरणों द्वारा प्रभारित विकास शुल्क पर छूट
 - » स्टांप ड्यूटी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100 प्रतिशत की छूट
- MNRE ने राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत अपशिष्ट से ऊर्जा (WTE) कार्यक्रम लागू किया है:
 - » यह कार्यक्रम शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस के उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना का समर्थन करता है
 - » बायोगैस उत्पादन के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता रु. 0.25 करोड़ प्रति 12000 मीटर³/दिन⁶⁵ है
 - » प्रधानमंत्री उज्वला योजना 2.0 के तहत एलपीजी कनेक्शन का विस्तार किया जा सकता है

वित्त के अन्य स्रोत

- सोलर रूफटॉप, सोलर पंप आदि की खरीद हेतु ऋण के लिए स्थानीय बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों
- और सहकारी बैंकों के साथ संबंध का पता लगाना
- एग्रो-फोटोवोल्टिक के लिए सोलर डेवलपर्स के साथ साझेदारों का पता लगाना
- CSR निधियों का इस्तेमाल निम्नलिखित के लिया जा सकता है:
 - » सूक्ष्म-वित्त संस्थानों द्वारा दिए गए परिक्रामी निधि मॉडल के माध्यम से योजना/कार्यक्रम हेतु सब्सिडी के अतिरिक्त सोलर रूफटॉप/एग्रो-फोटोवोल्टिक्स/सोलर पंप की स्थापना हेतु पूंजीगत लागत सुरक्षित करना
 - » ग्राम पंचायत में अपनाई गई विभिन्न स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए ग्राम समुदाय के सदस्यों/SHG के सदस्यों को” संचालन एवं रख-रखाव “ का प्रशिक्षण प्रदान करना

62 यानी फार्म स्तर पर प्री-कूलिंग, वजन करना, छंटाई, ग्रेडिंग, वैक्सिंग सुविधाएं, बहु उत्पाद/बहु तापमान वाला कोल्ड स्टोरेज, CA स्टोरेज, पैकिंग सुविधा, IQF, वितरण केंद्र और रीफर वैन में ब्लास्ट फ्रीजिंग, मोबाइल कूलिंग यूनिट्स

63 <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1883926>

64 <https://invest.up.gov.in/bio-energy-enterprises-promotion-programme-2022/>

65 <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896067>

- » रूफटॉप सोलर (उत्तर प्रदेश सौर नीति, 2022) और सौर सिंचाई (प्रधानमंत्री-कुसुम, उत्तर प्रदेश सौर सिंचाई योजना) को बढ़ावा देने वाली वर्तमान सरकारी योजनाओं/ कार्यक्रमों पर जागरूकता अभियान का आयोजन करना
- यानी फार्म स्तर पर प्री-कूलिंग, वजन करना, छंटाई, ग्रेडिंग, वैक्सिंग सुविधाएं, बहु उत्पाद/बहु तापमान वाला कोल्ड स्टोरेज, CA स्टोरेज, पैकिंग सुविधा, IQF, वितरण केंद्र और रीफर वैन में ब्लास्ट फ्रीजिंग, मोबाइल कूलिंग यूनिट्स

प्रमुख विभाग

- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय योग्य ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA)
- उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL)
- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- शिक्षा विभाग
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार

6

सतत एवं उन्नत गतिशीलता



संदर्भ और प्रमुख मुद्दे

- मवैया में कुल 140 आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहन हैं; 120-दोपहिया वाहन, 25 कार, 12 ट्रैक्टर और 12 ऑटो-रिक्शा⁶⁶।
- इसके अलावा ग्राम पंचायत में 5 ई-रिक्शा हैं।
- किसानों द्वारा कृषि उपज / माल के परिवहन के लिए, छोटा हाथी (मिनी ट्रक) या ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। जिन किसानों के पास ऐसे वाहन नहीं हैं, वे उन्हें पड़ोसी किसानों से किराए पर लेते हैं⁶⁷।
- ICE वाहनों द्वारा कुल ईंधन खपत ~48 किलो लीटर (kL) डीजल और ~48 किलोलीटर (kL) पेट्रोल प्रति वर्ष है। कुल मिलाकर, परिवहन क्षेत्र में खपत किए गए ईंधन के कारण ~242 tCO₂e उत्सर्जन हुआ है⁶⁸।
- इसलिए, परिवहन अवसंरचना को बेहतर बनाने और ई-मोबिलिटी समाधानों की ओर बदलाव शुरू करने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त, फ्रील्ड सर्वेक्षण से पता चलता है कि ग्राम पंचायत के अंदर और बाहर सड़कों के कई हिस्से जलभराव से प्रभावित है और उन्हें ऊंचा करने की आवश्यकता है।



मौजूदा सड़क के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना

चरण
सुझाई गई क्लाइमेट
स्मार्ट गतिविधियाँ

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> जलभराव को रोकने के लिए सड़कों की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी मौजूदा आंतरिक सड़कों की मरम्मत 	<p>आवश्यक होने पर सड़क के बुनियादी ढांचे का रख-रखाव और मरम्मत</p>	<p>यदि आवश्यक हो तो सड़क के बुनियादी ढांचे का रख-रखाव और मरम्मत</p>

66 फ्रील्ड सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार

67 फ्रील्ड सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त जानकारी और ग्राम प्रधान के साथ चर्चा के आधार पर

68 फ्रील्ड सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

लक्ष्य

सड़क की ऊंचाई 2 फीट या कुल सड़क की लंबाई 150 मीटर⁶⁹

सभी सड़कों की नियमित मरम्मत और मेंटेनेंस

सभी सड़कों की नियमित मरम्मत और मेंटेनेंस

अनुमानित लागत

सड़कें ऊंची करना: ₹3,50,000

आवश्यकतानुसार

आवश्यकतानुसार



मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन

चरण

I

2024-25 से 2026-27

II

2027-28 से 2029-30

III

2030-31 से 2034-35

- ग्राम पंचायत में ऑटो - रिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से बदलना।
- निम्न के बीच ई-ऑटोरिक्शा किराये पर लेने के लिए साझेदारी निर्माण और व्यवसाय मॉडल/प्रणाली की स्थापना:
 - ई-ऑटोरिक्शा किराये पर देने वाले व्यवसाय/मालिक (आजीविका बढ़ाने और हरित उद्यमिता पर अनुभाग देखें)
 - काम करने वाले वर्ग/युवा ई-ऑटोरिक्शा को किराए पर लेते हैं

कनेक्टिविटी में सुधार के लिए अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा की खरीद

जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा खरीदे जा सकते हैं

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

बेड़े में 12 ई-ऑटोरिक्शा शामिल

बेड़े में 10 और ई-ऑटोरिक्शा शामिल

अनुमानित लागत

12 ई-ऑटोरिक्शा की लागत⁷⁰:
₹36,00,000
उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन ₹12,000 तक
प्रभावी लागत: ₹34,56,000
रोका गया GHG उत्सर्जन: 36 t CO₂e⁷¹

10 ई-ऑटोरिक्शा की लागत:
₹30,00,000
उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन ₹12,000 तक
प्रभावी लागत: ₹28,80,000

आवश्यकतानुसार

69 अधिक जानकारी के लिए HRVCA देखें

70 ई-ऑटोरिक्शा की कीमत ₹1,50,000 से ₹4,00,000 या इससे अधिक तक होती है, जो अन्य चीजों के अलावा कॉन्फिगरेशन, बैटरी के प्रकार आदि पर निर्भर करती है। ई-ऑटोरिक्शा की कीमत मूल्य बैंड के मध्य में मानी जाती है, जिसमें मुख्य रूप से परोपकारी संस्थाओं और अन्य फंडिंग एजेंसियों से संभावित सब्सिडी/अनुदान/प्रारंभिक पूंजी/व्यवहार्यता गैप फंडिंग को ध्यान में रखा गया है

71 समुदाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रति वाहन GHG उत्सर्जन में कमी का अनुमान ~3 tCO₂e प्रति वाहन लगाया गया है। डीजल ऑटोरिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से बदलने से उत्सर्जन में कमी आएगी और ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल और कार्बन नेगेटिव बनाने में सहायता करेगा।



ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> डीजल ट्रैक्टर और माल परिवहन वाहन के इलेक्ट्रिक विकल्प को बढ़ावा देना उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक्स मालिकों/उद्यमियों) को ICE वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के प्रति संवेदनशील बनाना माल/कृषि उपज के परिवहन के लिए ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहनों को किराये पर लेने की सुविधा स्थापित करना 	<ol style="list-style-type: none"> ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में विभिन्न समूहों को जागरूक करना मौजूदा ई-माल वाहकों और ई-ट्रैक्टरों का रख-रखाव और मरम्मत 	<ol style="list-style-type: none"> ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में विभिन्न समूहों को जागरूक करना मौजूदा ई-माल वाहकों और ई-ट्रैक्टरों का रख-रखाव और मरम्मत
लक्ष्य	कुल 5 ई-ट्रैक्टर और 5 ई-माल वाहक खरीदे गए	आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर को क्रय किया जाना	आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर को क्रय किया जाना
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> 5 ई-ट्रैक्टर: ₹ 30,00,000 5 ई-वाणिज्यिक वाहन: ₹25,00,000- ₹50,00,000 <p>कुल लागत: ₹55 लाख- ₹85 लाख</p>	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और MGNREGS की सहायता से सड़क के बुनियादी ढांचे की मरम्मत और उसमें सुधार किया जा सकता है
- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 में प्रावधान है
 - » खरीदारों के लिए 100% पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट (पॉलिसी अवधि के दौरान)
 - » 1 साल की अवधि में डीलरों के माध्यम से खरीदारों को शुरुआती प्रोत्साहन के रूप में⁷² (एक बार) खरीद सब्सिडी - ई-माल वाहक: प्रति वाहन ₹ 1,00,000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 10 प्रतिशत; 2-व्हीलर EV: प्रति वाहन ₹5000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत; 3-व्हीलर EV: प्रति वाहन ₹5000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत
- ई-रिक्शों के लिए सब्सिडी का लाभ फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फेज II (फेम II) स्कीम के तहत भी लिया जा सकता है

वित्त के अन्य स्रोत

- ग्राम पंचायत का रिसोर्स एनवलप और OSR
- CSR के समर्थन से बैंकों एवं सूक्ष्म वित्त संस्थानों से ऋण।

प्रमुख विभाग

- अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग
- परिवहन विभाग
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय योग्य ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA)

⁷² सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी में मात्रा और लाभार्थियों की संख्या दोनों के संदर्भ में आवधिक परिवर्तन किये जा सकते हैं। इसलिए, इस योजना के किसी भी हिस्से में उल्लिखित सब्सिडी केवल सांकेतिक हैं, और खरीद के समय इसकी पुष्टि की जानी चाहिए

7

आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना



मवैया में लगभग 80 प्रतिशत परिवार मजदूरी (गैर-कृषि) और पशुपालन गतिविधियों में संलग्न हैं। बदलती जलवायु एवं अस्थिर उत्पादन प्रथाओं से प्रभावित दोनों क्षेत्रों में (पशुपालन और उद्योग) वर्तमान समय में आजीविका की असुरक्षा है। इसलिए, आबादी के एक बड़े हिस्से की आजीविका अनिश्चित है। ग्राम पंचायत में आय के अन्य प्रमुख स्रोत कृषि आधारित और/या स्थानीय व्यवसाय/दुकानें चलाना हैं। पिछले 5 वर्षों में लगभग 3 परिवार बेहतर आजीविका की तलाश में ग्राम पंचायत से पलायन कर गए हैं।

वर्तमान में, बताई गई गतिविधियों के अलावा, ग्राम पंचायत के भीतर नौकरियों के अवसर सीमित हैं। इस कार्ययोजना में बताए गए सुझाव आने वाले वर्षों में नए व्यवसायों और नौकरी के अवसरों के लिए दिशा प्रदान करती हैं। इनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:



सतत उत्पादों के निर्माण में पहले से मौजूद SHG को शामिल करना

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

1. प्लास्टिक मुक्त विकल्प के निर्माण में महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को शामिल करना जैसे: बैग, टोपी और सजावट की वस्तुएं आदि।
2. मौजूदा SHG को शामिल करके स्थायी सैनिटरी नैपकिन उत्पादन इकाई की स्थापना
3. पंचायत, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमियों के बीच साझेदारी मॉडल की स्थापना
4. निम्न के लिए क्षमता निर्माण:
 - उत्पाद श्रेणी का विविधीकरण
 - ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर उत्पादों का विपणन/ बिक्री।

तत्काल लक्ष्य:

- 100 महिलाओं और स्थानीय लोगों को जोड़ना
- 9 SHG को शामिल करना
- ग्राम पंचायत में उगाए गए बांस जैसे स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करना
- दोबारा इस्तेमाल करने योग्य सैनिटरी पैड बनाने के लिए SHG की महिलाओं के लिए व्यापक प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से हरित उद्यमिता को बढ़ावा देना। साथ ही, एएनएम, आशा कार्यकर्ताओं, स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) सहित प्रमुख हितधारकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना।

लक्ष्य

इस ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों से दीर्घकालिक जुड़ाव:

- 200 महिलाओं को जोड़ना
- SHG, MSME और व्यक्तिगत उद्यमियों को जोड़ना
- एक आत्मनिर्भर उत्पादन इकाई की स्थापना करना जिसका उद्देश्य अतिरिक्त ग्राम पंचायतों तक परिचालन को बढ़ाना, तथा पर्यावरण अनुकूल मासिक धर्म स्वच्छता समाधानों को व्यापक रूप से अपनाना है।

**जैविक कचरे से बनी खाद की बिक्री**

1. खाद बनाने और उसकी बिक्री के लिए पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी स्थापित करना।
2. निम्न पर प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों का क्षमता निर्माण:
 - कम्पोस्ट और वर्मीकम्पोस्ट बनाने की तकनीकियाँ
 - ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर खाद का विपणन और बिक्री

तत्काल लक्ष्य:

घरेलू कचरे से उत्पन्न खाद/वर्मीकम्पोस्ट अपशिष्ट: 168 किग्रा/ प्रति दिन; 61,342 किग्रा/ प्रति वर्ष

दीर्घकालिक लक्ष्य:

जैविक अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार खाद उत्पादन को बढ़ाना (जनसंख्या वृद्धि के आधार पर)

**ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा**

1. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर को व्यवसायिक रूप से किराए पर लेना (किराये के आधार पर) उत्तर प्रदेश EV नीति 2022 और फेम-इंडिया स्कीम फेज- II के अंतर्गत प्रोत्साहन के माध्यम से हरित उद्यमिता के अवसर प्रस्तुत करता है।
2. ई-ट्रैक्टरों एवं ई-गुड्स कैरियर्स के इस्तेमाल के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक स्वामियों) को संवेदनशील बनाना
3. ई-ट्रैक्टरों का व्यावसायिक रूप से किराये पर लेना (किराये के आधार पर) युवाओं के लिए हरित उद्यमिता के अवसर प्रस्तुत करता है।

तत्काल लक्ष्य:

1. 2 या 3 ई-ट्रैक्टर (अनुमानित लागत: रु. 6 लाख प्रति ई-ट्रैक्टर)
2. 2 या 3 EV मिनी माल परिवहन ट्रक (मिनी माल EV परिवहन ट्रक की अनुमानित लागत: लगभग 9.2 लाख रुपये)

मध्यावधि लक्ष्य:

2-3 ई-ट्रैक्टर, 2/3 EV मिनी माल परिवहन ट्रकों की अतिरिक्त खरीद

(नोट: यह माना जाता है कि सरवन तारा में आमतौर पर 35 एचपी ई-ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है जिसकी कीमत लगभग ₹6 लाख है)



सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका में सुधार

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

1. फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने के लिए छोटे और मध्यम किसानों (ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों के भीतर) को सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज में जगह किराए पर देकर उद्यमिता के अवसर
2. फलों, सब्जियों, दूध और दूध उत्पादों के भंडारण के लिए उद्यमियों, किसान समूहों, सहकारी समितियों (जैसे पारस) और अन्य संस्थागत खरीदारों के बीच डेयरी प्रथाओं और व्यापार मॉडल/सम्बन्ध की स्थापना को बढ़ावा देना

लक्ष्य

5-10 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की स्थापना (~3.6 हेक्टेयर कुल फसली क्षेत्रफल पर सब्जी की खेती और 480 से अधिक मवेशियों से डेयरी प्रथाओं के तहत)

लागत: लगभग 8-15 लाख रुपये



फूलों की खेती, फलों की खेती, आरोग्य वन को बढ़ावा देना

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

1. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए आरोग्य वन के विकास और रख-रखाव के माध्यम से समुदायों के लिए आजीविका सृजन
2. कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय औषधीय एवं संगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के साथ साझेदारी
3. किसानों के बीच फूलों और फलों की खेती को बढ़ावा देना
4. आरोग्य वन और कृषि उपज जैसे मसाले, अगरबत्ती आदि से मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन के लिए NRLM और FPO के तहत सूक्ष्म, लघु उद्यम की स्थापना
5. सब्जियों के पौधों के लिए नर्सरी

लक्ष्य

1. स्वयं सहायता समूहों/व्यक्तियों/किसानों के साथ जुड़ना
2. लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि को आरोग्य वन के रूप में स्थापित किया जाएगा



विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सोलर और बायो-गैस) का संचालन एवं रख-रखाव

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

1. नवीकरणीय ऊर्जा रख-रखाव पर कौशल विकास के लिए समुदाय के सदस्यों विशेष रूप से स्नातकों, युवा समूहों और किसान समूहों का प्रशिक्षण और क्षमता विकास।
2. ग्राम पंचायत के भीतर सोलर और बायो-गैस स्थापना तथा संचालन एवं रख-रखाव व्यवसायों की स्थापना में CSR, केंद्र और राज्य सरकार की कौशल योजनाओं से सहायता।

वित्त पोषण एवं कौशल विकास

- हरित उद्यमिता और आजीविका का समर्थन करने के लिए बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को संवेदनशील बनाना (विभिन्न क्रेडिट योजनाओं, साझेदारी/राजस्व मॉडल के माध्यम से); सरकारी ऋण योजनाएं जैसे मुद्रा ऋण, स्त्री शक्ति योजना आदि महिला उद्यमियों का समर्थन कर सकती हैं।
- आवश्यक कौशल विकास सहायक सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किया जाता है जैसे: मेक इन इंडिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संचालित उद्यमी विकास कार्यक्रम।

इस अनुभाग में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त विचार के लिए संभावित संस्तुतियों की एक सूची दी गई है। इन संस्तुतियों को भारत के विभिन्न हिस्सों और भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है जिनमें उत्तर प्रदेश के साथ बहुत समानताएं हो सकती हैं।

इन्हें मुख्य अनुशंसाओं में शामिल न करने का कारण यह है कि यह संस्तुतियां/परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी वर्तमान योजना या कार्यक्रम या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के दायरे में नहीं आती हैं। इसलिए इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों, जैसे स्व-वित्तपोषण, CSR या ऐसे अन्य स्रोतों के माध्यम से करना होगा।

यदि यह परियोजनाएं लागू की जाती हैं, तो इनके माध्यम से समुदायों की अनुकूल क्षमताओं को और मजबूत करने की संभावना हो सकती है एवं इनके परिणामस्वरूप आजीविका में वृद्धि भी हो सकती है।

1. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज इकाई (एफपीओ, एसएचजी व किसान):

- फसल कटाई के बाद की दक्षता बढ़ाने और नुकसान को कम करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली कोल्ड स्टोरेज इकाई हैं।
- यह किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है और किसानों की आय में सुधार करता है।

ये गतिविधि "आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाना" अनुभाग में चर्चा की गई पहलों को मजबूत करने में सहायता करेगी

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण : 73,74,75

- हैदराबाद, तेलंगाना में कट्टनगुर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड।
- घुम्मर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के नाना गांव में स्थित है।

2. सौर निष्क्रिय डिजाइन और निष्क्रिय शीतलन:

नए निर्माण और रेट्रोफिटिंग के लिए (जहां भी संभव हो): ऊर्जा की मांग को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए आवासीय घरों और प्रशासनिक भवनों में टिकाऊ डिजाइन के साथ स्थानीय और पारंपरिक सामग्री को बढ़ावा देना चाहिए:

- घरों में सौर ज्यामिति के अनुसार भवन का अभिविन्यास करना चाहिए ।
- घरों में प्राकृतिक वायु का कुशल संचलन होना चाहिए ।
- घरों में सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर का उपयोग करना चाहिए ।
- घरों में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए (पारंपरिक प्रकाश यानी बिजली से चलने वाले बल्ब, ट्युबलाइट आदि को कम करना) ।
- घरों में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियाँ करनी चाहिए ।
- हरित जल निकाय और डिजाइन किए गए परिदृश्य (वृक्षारोपण/बागवानी) ।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग में चर्चित पहलों को मजबूत करेगी।

73 https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium_Updated_20230922.pdf

74 <https://www.opportunityindia.com/article/empowering-women-fpo-through-solar-power-ghummar-fpo-34521>

75 <https://www.ecozensolutions.com/ecofrost/fpos-leverage-agri-infra-funds-for-ecofrost.html>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

राजकुमारी रत्नावती बालिका विद्यालय⁷⁶, थार रेगिस्तान, राजस्थान का गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 400 से अधिक लड़कियों के लिए निर्माण किया गया है: जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित उपायों का उपयोग किया गया है:

- थर्मल आराम को अधिकतम करने के लिए बिल्डिंग ओरिएंटेशन पर ध्यान दिया गया है।
- प्रकाश और पंखे चलाने के लिए स्कूल के छत्तो पर सौर पैनल लगाये गए हैं।
- सोलर पैनल कैनोपी और स्क्रीन स्कूल के कमरों में ज्यादा गर्मी होने से बचाते हैं।
- छत्त का अण्डाकार आकार शीतलता (वायुप्रवाह) उत्पन्न करता है।
- इमारत की दीवारें हवा के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती हैं और धूप व रेत को स्कूल के कमरों में आने से रोकती हैं।
- निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया है।

सोलर पैसिव कॉम्प्लेक्स, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA), चंडीगढ़⁷⁷ :

- भवन में एकीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र से 25 किलोवाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है।
- सौर ज्यामिति के अनुसार अभिविन्यास किया गए हैं।
- भवन की छत्त (डिज़ाइन+सामग्री) गर्मी से रहत देने के उद्देश्य से बनाई गई।
- सौर ऊर्जा से कमरों में एयर कंडीशनर और प्रकाश की जरूरत को पूरा किया जाता है (उदाहरण के लिए, लाइट वॉल्ट, सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर)।
- शीतलन और वायु शोधन के लिए छोटे तालाब और वृक्षारोपण (पेड़, झाड़ियाँ और घास)

3. सौर ऊर्जा संचालित RO जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क का निर्माण:

सौर-आधारित आरओ (RO) जल शोधन प्रणाली स्वच्छ पेयजल की समस्या के लिए एक सतत और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है। यह पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा देते हुए समुदाय को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। पेयजल की गुणवत्ता की समस्या से जूझ रही ग्राम पंचायत के लिए यह पहल लाभदायक हो सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

हिवरा लाहे गांव, जिला-वाशिम, राज्य-महाराष्ट्र⁷⁸:

- सीएसआर समर्थन से सौर ऊर्जा संचालित जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क (समुदाय आधारित) को स्थापित किया गया।
- समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया।
- प्रणाली के संचालन और प्रबंधन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सक्षम बनाया गया।
- इसी तरह की पहल गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान आदि राज्यों में भी की गई है।

76 <https://www.avontuura.com/rajkumari-ratnavati-girls-school-diana-kellogg-architects>

77 <https://peda.gov.in/solar-passive-complex>

78 <https://yraindia.org/wp-content/uploads/2019/12/RO-plant-Success-story-in-Village-Hiwara-HDB-project.pdf>

4. सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड का निर्माण:

पशु शेड मवेशियों को तीव्र गर्मी और शीतलहर से बचाने के लिए सौर ऊर्जा संचालित अनुकूली उपाय हैं। इस पहल में पशु शेड की छतों पर सौर ऊर्जा पैनलों लगाना जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने में सहायक हैं। यह सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड बिजली की मांग की भी पूर्ति कर सकते हैं। यह ऊर्जा की मांग में कमी और निष्क्रिय शीतलन और वेंटिलेशन प्रदान करने में सहायक हैं, इसके अलावा पशु शेड अन्य ऊर्जा की जरूरत को पूरा करते हैं जैसे की चारे की तैयारी और शेड संचालन करने में ऊर्जा की ज़रूरत। अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में डाला जा सकता है जिससे किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने का स्रोत मिल सकता है।

इस तरह के पशु शेड बायोगैस उत्पादन और पशु अपशिष्ट (गोबर) से उर्वरक तैयार करने में भी मदद करेंगे। ये पशु शेड उचित पृथक और पशुओं को सुरक्षित स्थान प्रदान करके पशुओं में फैलने वाले रोगों के संचरण को कम करने में भी मदद का सकते हैं।

यह गतिविधि संस्त्रुतियों के " सतत कृषि" खंड में सतत पशुधन प्रबंधन सुझावों को मजबूत कर सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जिले: लुधियाना, बठिंडा और तरनतारन, पंजाब^{79,80}

- यह परियोजना 3 जिलों में 1-2 हेक्टेयर भूमि और 5-15 डेयरी पशुओं वाले छोटे और सीमांत किसानों के 3000 परिवारों के लिए कार्यान्वित की गई
- पशु शेडों जलवायु को सुरक्षित करने और छोटे और सीमांत पशुधन किसानों की स्थायी आजीविका को बढ़ावा देते हैं

निर्मल गुजरात अभियान⁸¹

- गुजरात के हिममतनगर में पशु छात्रावास गांवों को साफ रखने में मदद करते हैं।
- ऐसे पशु आश्रय स्थल (पशु छात्रावास) में बायोगैस और वर्मीकम्पोस्ट उत्पन्न करने के लिए गोबर एकत्र करने में भी प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए वर्मीकम्पोस्ट बेचा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, एक "अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी)⁸²" के तहत पशु शेड सब्सिडी योजना" है, जिसे गुजरात सरकार के पशुपालन, कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग निर्देशल्य द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 2 जानवरों के लिए मवेशी शेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (या तो ₹30,000/- या मवेशी शेड की लागत का 50%, जो भी कम हो) दी जाती है।

5. कूल रूफ/ठंडी छतें

घरों, सार्वजनिक इमारतों और सरकारी भवनों की छतों को सौर-परावर्तक पेंट से रंगना।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जोधपुर, भोपाल, सूरत और अहमदाबाद में झुग्गी-झोपड़ी वाले घर⁸³

- स्थानीय सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने परिवारों को अपनी खुद की ठंडी छत को पेंट करने के लिए प्रशिक्षित किया।
- प्रदर्शन आउटरीच: 460 से अधिक छतें में पेंट किया गया।
- पारंपरिक छतों की तुलना में घर के अंदर का तापमान 2 - 5°C कम पाया गया।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग से जुड़ी है।

79 <https://pscst.punjab.gov.in/en/climate-resilient-livestock-production-system>

80 <https://moef.gov.in/wp-content/uploads/2017/08/Punjab.pdf>

81 <https://jayshaktiengg.com/gujarat-government-launches-solar-scheme-for-farmers/>

82 <https://www.myscheme.gov.in/schemes/cssscscpscc>

83 <https://www.nrdc.org/bio/anjali-jaiswal/cool-roofs-community-led-initiatives-four-indian-cities>

6. चारे की संपूरक के उपयोग से मवेशियों से मीथेन उत्सर्जन को कम करना :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)¹²-राष्ट्रीय पशु पोषण और फिजियोलॉजी संस्थान ने पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद के लिए फ्रीड सप्लीमेंट (हरित धारा और टैमरिन प्लस) विकसित किए हैं।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण

- इन सम्पूरकों के उपयोग से आंत्रिय मीथेन उत्सर्जन में 17-20% तक कम हो सकता है⁸⁴।
- आईसीएआर की रिपोर्ट के अनुसार इन पूरक आहार की कीमत ₹ 6 प्रति किलोग्राम है।

7. सौर ऊर्जा संचालित ऊर्ध्वाधर चारा उगाने वाली इकाइयों (घरेलू स्तर/ सामुदायिक स्तर) का निर्माण:

सौर ऊर्जा से संचालित, माइक्रोकलाइमेट-नियंत्रित, ऊर्ध्वाधर चारा उगाने वाली इकाई उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन एक बाल्टी से भी कम पानी के साथ ताजा चारा काटने में सक्षम बनाती है। ऐसी इकाइयाँ सूखे की स्थिति में भी पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ा है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार राज्यों में⁸⁵

- चारा उत्पादक इकाइयों को अपनाने से पशुधन के लिए हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि।
- इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

8. पंचायत स्तरीय जल बजटिंग

जलवायु-अनुकूल कृषि-आधारित आजीविका के लिए जल प्रबंधन और 'जल बजटिंग'

- वार्षिक/त्रैमासिक जल बजट की गणना।
- ग्राम स्तर पर "जल की कमी" और "जल अधिशेष" की गणना।
- पानी की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक फसल उत्पादन योजना।
- जल बर्बादी को रोकने के लिए जल ऑडिट।

यह गतिविधि कार्ययोजना के सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन अनुभागों से जुड़ी है। यह पहल फसल चयन/योजना, खेत तालाब, बेहतर सिंचाई विधियों, जल पुनर्भरण आदि जैसे कई हस्तक्षेपों को सुदृढ़ बनाएगी।

84 भारतीय कृषि परिषद की रिपोर्ट के अनुसार <https://testicar.icar.gov.in/content/icar-nianp-commercializes-anti-methanogenic-feed-supplement-%E2%80%9Charit-dhara%E2%80%9D>

85 <https://india.mongabay.com/2024/04/amid-fodder-crisis-hydroponics-offers-new-hope-for-indian-farmers/>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

7 ग्राम पंचायतें (जीपी) और पड़ोसी बस्तियां, रंगारेड्डी और नागौरकुर्नूल जिले, तेलंगाना ⁸⁶

- यह गतिविधि पानी की खपत की वर्तमान स्थिति व खपत को अनुकूलित करने के उपाय दोनों को पहचानने में मदद करेगी।
- इस गतिविधि के द्वारा प्रत्येक कृषि मौसम यानी खरीफ़ (मानसून), रबी (सर्दी), और ज़ैद (गर्मी) के लिए योजना बनाने में भी सहायता मिल सकती है।

9. जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में ग्रामीण महिला उद्यमियों को सक्षम बनाना

गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाली जमीनी स्तर की उद्यमिता सहायता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:

- महिलाएं स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पाद की बिक्री करें।
- महिलाएं समुदायों को स्वच्छ-प्रौद्योगिकियों के महत्व पर शिक्षित करें।
- उदाहरण के लिए, स्वच्छ खाना पकाने (सौर कुकस्टोव), पोर्टेबल सौर जल शोधक, एनर्जी एफ़िफ़िसिएंट लाइट, आदि।
- महिलाओं को व्यवसाय विस्तार ऋण उपलब्ध कराया जाए।
- ग्रामीण विपणन और वितरण संबंधों को सुविधाजनक बनाया जाए।

ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में सक्षम बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी को मजबूत करना है। यह कार्य योजना के आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाने वाले अनुभाग से जुड़ा है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

4 राज्यों (महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु) में 14 जिले⁸⁷

स्वयं शिशन प्रयोग (एसएसपी) महिलाओं को उनके ग्रामीण समुदायों में स्वच्छ ऊर्जा उद्यमियों और जलवायु परिवर्तन नेताओं के रूप में सक्षम बनाता है:

- 60,000 से अधिक ग्रामीण महिला उद्यमियों को स्वच्छ ऊर्जा, सतत कृषि, स्वास्थ्य और पोषण, और सुरक्षित पानी और स्वच्छता में सक्षम बनाया गया।
- 1,000 से अधिक महिला उद्यमियों ने स्वच्छ-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण लिया और व्यवसाय शुरू किया।

10. सामुदायिक बीज बैंक

- सामुदायिक बीज बैंक क्षेत्र में फसल विविधीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देंगे एवं स्थानीय बीज प्रणालियों को मुख्यधारा में लाएंगे, तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ बनाएंगे।
- ऐसे बीज बैंक किसानों को सूखा-सहिष्णु और जलवायु परिवर्तन अनुरोधक फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- किसानों के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित करें, विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति और भोजन की कमी के दौरान।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

सामुदायिक बीज बैंक, डंगधोरा, जोरहाट, असम (UNEP-GEF परियोजना)⁸⁸

- बीज बैंक से जुड़े किसानों को स्थानीय बाजार में उपलब्ध बीजों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की कटाई, उपचार, भंडारण और गुणा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

⁸⁶ <https://wotr.org/2018/03/31/water-budgeting-in-telangana-the-need-and-the-objective-of-the-campaign/>

⁸⁷ <https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change>

⁸⁸ <https://alliancebioiversityciat.org/stories/community-seed-banks-empower-farmers-address-climate-risk-india>

- बीज बैंक की पहल सहभागी फसल सुधार और ज्ञान-साझाकरण रणनीतियों को बढ़ावा देती है।
- किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों तक सस्ते और आसान पहुंच प्रदान की जाती है व किसानों को बाज़ार से भी जोड़ती है।
- यह बीज प्रणालियाँ व इनकी मूल्य श्रृंखलाएँ स्थिरता और खाद्य सुरक्षा दोनों की रक्षा करती हैं।

11. जैव-संसाधन केंद्र (बीआरसी) की स्थापना

जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) प्राकृतिक खेती को अपनाने की सुविधा के लिए जैव-इनपुट तैयार करते हैं और आपूर्ति करते हैं। बीआरसी से किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जैव-इनपुट स्वयं तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जैव-इनपुट तैयार करना एक समय लेने वाली और श्रम-गहन गतिविधि है।

- मिट्टी के स्वास्थ्य, फसल उपज की वृद्धि, कीट या रोग प्रबंधन में सुधार के लिए उपयोगी जैविक संस्थाओं या जैविक रूप से व्युत्पन्न इनपुट का उपयोग करने वाले स्थानीय रूप से तैयार उत्पाद किसानों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।
- बीआरसी क्षेत्र के किसानों की सभी जैव इनपुट आवश्यकताओं के लिए सिंगल-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश राज्य में⁸⁹

- सतत जलवायु-अनुकूल कृषि में योगदान देता है।
- किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में मदद मिलती है क्योंकि उच्च कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिट्टी को बाढ़, सूखे और भूमि क्षरण प्रक्रियाओं के प्रति अधिक लचीला बनाती है।
- कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र और पैदावार में स्थिरता होने के परिणामस्वरूप जोखिम कम हो जाता है, और उत्पादन लागत भी कम हो जाती है।

⁸⁹ <https://www.apmas.org/pdf/csv/casestudy-1.pdf>



अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁹⁰
जल निकायों का रखरखाव 	<ul style="list-style-type: none"> प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पानी की कमी और पानी के तनाव से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है 	एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छ ता लक्ष्य 6.1 लक्ष्य 6.3 लक्ष्य 6.4 लक्ष्य 6.5
जल निकासी और नालों के बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण 	<ul style="list-style-type: none"> बेहतर भूजल पुनर्भरण पानी की गुणवत्ता में वृद्धि सूखा, लू जैसी आपदाओं के प्रति लचीलापन बढ़ना 	एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय लक्ष्य 11.4
वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं 	<ul style="list-style-type: none"> कृषि एवं पशुधन उत्पादकता में सुधार स्थानीय जैवविविधता को बढ़ावा 	एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना लक्ष्य 12.2
पाइपड पेयजल कनेक्टिविटी का विस्तार 		एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्रवाही लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2
		एसडीजी 15: भूमि पर जीवन लक्ष्य 15.1 लक्ष्य 15.5



90 संलग्नक III में एसडीजी और उनके लक्ष्यों की विस्तृत सूची है

हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁸⁸
<p>हरित आवरण में सुधार</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जलवायु घटनाओं/आपदाओं से प्राकृतिक बफ़र सूक्ष्म-जलवायु को विनियमित करने से हीटवेव और तीव्र गर्मी के तनाव से अनुकूलन में सहायता मिलेगी औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा बेहतर मृदा स्थिरता, जल संरक्षण और संबंधित कृषि लाभों के लिए प्राकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) 	<p>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय लक्ष्य 11.7 लक्ष्य 11.4</p> <p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना लक्ष्य 12.2</p> <p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्रवाही लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3</p>
<p>जन जैवविविधता रजिस्टर</p> 	<ul style="list-style-type: none"> पशुधन उत्पादकता में सुधार कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार 	<p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन लक्ष्य 15.1 लक्ष्य 15.2 लक्ष्य 15.3 लक्ष्य 15.5 लक्ष्य 15.9</p>



सतत कृषि

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁸⁸
<p>जलवायु परिवर्तन अनुकूल खेती</p> 	<ul style="list-style-type: none"> कृषि उत्पादकता एवं लाभ में वृद्धि⁹¹ मृदा स्वास्थ्य में सुधार रासायनिक आदानों के कम उपयोग के कारण पानी की गुणवत्ता में सुधार 	<p>एसडीजी 2: शून्य भूख लक्ष्य 2.3 लक्ष्य 2.4 लक्ष्य 2.ए; अनुच्छेद 10.3.ई</p>
<p>प्राकृतिक खेती को अपनाना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> कृषि जल सुरक्षा में सुधार शीत लहर और गर्मी की लहर के दौरान पशुधन की हानि कम हुई और उत्पादकता में वृद्धि हुई 	<p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छ ता लक्ष्य 6.4 लक्ष्य 13.1</p>
<p>सतत पशुधन प्रबंधन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और उत्सर्जन में कमी आई 	<p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्रवाही लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3</p>



91 पारिस्थितिकी-आपदा जोखिम में कमी

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁸⁸
<p>अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जलभराव में कमी जल और भूमि प्रदूषण में कमी/बेहतर स्वच्छता 100% कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग मुक्त वातावरण 	<p>एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली लक्ष्य 3.3 लक्ष्य 3.9</p> <p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छ ता लक्ष्य 6.3 लक्ष्य 6.8</p> <p>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास लक्ष्य 8.3</p> <p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा लक्ष्य 9.1</p> <p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8</p> <p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्रवाही लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3</p> <p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन लक्ष्य 15.1</p>
<p>जैविक अपशिष्ट का सतत प्रबंधन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> आजीविका और आय सृजन राजस्व और लाभ सृजन 	      
<p>एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध</p> 	<ul style="list-style-type: none"> सतत कृषि के लिए उन्नत आदान अपशिष्ट आधारित कृषि सर्कुलर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना 	
<p>बुनियादी स्वच्छता ढांचे को बढ़ाना</p> 		

स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁸⁸	
सोलर रूफटॉप स्थापना 	<ul style="list-style-type: none"> ऊर्जा सुरक्षा उष्ण आराम आजीविका के उन्नत विकल्प अतिरिक्त राजस्व सृजन उच्च तापमान/धूप के संपर्क से राहत प्रदान करता है जिसके परिणामस्वरूप उपज स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि होती है विषैले उत्सर्जन/स्थानीय वायु प्रदूषण में कमी चुकौती/पे-बैक अवधि के बाद आर्थिक लाभ घरों के अंदर वायु प्रदूषण में कमी सभी के स्वास्थ्य, मुख्य रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार ईंधन की लकड़ी एकत्र करने के कठिन परिश्रम/शारीरिक श्रम को समाप्त करता है आपदाओं के दौरान ग्रिड विफलताओं से निपटने की क्षमता में वृद्धि 	एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छ ता लक्ष्य 6.4 एसडीजी 7: किफायती और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य 7.1 लक्ष्य 7.2 लक्ष्य 7.3 लक्ष्य 7.a लक्ष्य 7.b एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा लक्ष्य 9.1 एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्रवाही लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3	
एग्रो-फोटोवोल्टिक की स्थापना 			
सौर पंप 			
रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग 			
ऊर्जा कुशल फिक्स्चर 			
सौर स्ट्रीट लाइटें 			



सतत एवं उन्नत गतिशीलता

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁸⁸	
मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार जोखिम वाले और कमज़ोर व्यक्तियों के लिए बेहतर पहुंच अतिरिक्त राजस्व सृजन वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि जलभराव कम करने जैसे सह-लाभों के साथ सड़क बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के माध्यम से लचीलेपान में सुधार 	एसडीजी 7: किफायती और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य 7.2 एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय लक्ष्य 11.2 एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा लक्ष्य 9.1 एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्रवाही लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3	
मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन 			
ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर 			



आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁸⁸
सतत उत्पादों के निर्माण में पहले से मौजूद SHG को शामिल करना 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय स्रोतों से प्राप्त कच्चे माल के माध्यम से आजीविका के उन्नत विकल्प जल और भूमि प्रदूषण में कमी सतत कृषि के लिए उन्नत आदान 	<p>एसडीजी 5: लैंगिक समानता का लक्ष्य प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण लक्ष्य 5.5</p>
जैविक कचरे से बनी खाद की बिक्री 	<ul style="list-style-type: none"> 100% कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग मुक्त वातावरण 	<p>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास लक्ष्य 8.3</p>
ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा 	<ul style="list-style-type: none"> औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन 	<p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना लक्ष्य 12.2 लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8</p>
सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका में सुधार 	<ul style="list-style-type: none"> जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार 	<p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्रवाही लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3</p>
फूलों की खेती, फलों की खेती, आरोग्य वन को बढ़ावा देना 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि 	
विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सोलर और बायो-गैस) का संचालन एवं रखरखाव 		



कार्यान्वयन पर प्रस्तावित गतिविधियों से मवैया के ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने में ही नहीं बल्कि ऊर्जा, खाद्य और जल सुरक्षा प्राप्त करने में भी सहायता होगी, जिससे ग्राम पंचायत क्लाइमेट स्मार्ट, लचीला और सतत बनेगा। इससे गांव के निवासियों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए ग्राम पंचायत के समग्र और निरंतर विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, ये संस्तुतियां प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगी। मवैया के लिए यह क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना ऊर्जा, कृषि निवेश, पानी, आदि पर व्यय में कमी लाकर मवैया को 'आत्मनिर्भर' बनाएगी जिससे आर्थिक विकास के नए मार्ग खुलेंगे।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन से जलवायु परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश राज्य कार्ययोजना II, 2022 में परिकल्पित के अनुसार, मवैया जलवायु कार्यवाही पर राज्य के दृष्टिकोण और लक्ष्यों में भी योगदान देगा, जो बदले में, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए देश के प्रयासों को सशक्त करेगा, जिससे एनडीसी, 2015 और इसके अद्यतन संस्करण, 2022 में सूचीबद्ध योगदान और 2030 तक सतत विकास लक्ष्य भी प्राप्त होंगे।

जलवायु संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से तैयार किए गए समाधानों की आवश्यकता है, जो पर्याप्त जलवायु वित्त और कार्यान्वयन के अन्य माध्यमों की उपलब्धता से ही सफल हो सकते हैं। इसे राज्य और केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत समर्थित ग्राम पंचायत विकास योजना में परिकल्पित जारी गतिविधियों में न्यूनीकरण और अनुकूलन दोनों जलवायु कार्यवाही को मिलाकर और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाकर प्राप्त किया जा सकता है। इससे सभी प्रासंगिक हितधारकों: समुदाय, सरकारी प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग में वृद्धि होगी। कार्ययोजना के कार्यान्वयन के बाद, नई अवसंरचना/प्रौद्योगिकी के कुशल प्रबंधन के रूप में निरंतर कार्यवाही मवैया को एक मॉडल क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनना सुनिश्चित करेगी। वर्तमान योजना की सफलता से संभवतः दूसरे ग्राम पंचायत भी कुशल, लचीले और सतत बनाने की प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, यह महत्वपूर्ण होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ़ मिशन के समान एक संवहनीय जीवन शैली को अपनाने के लिए सामुदायिक स्वामित्व की भावना और व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित किया जाए।

संलग्नक 1: पृष्ठभूमि और कार्यप्रणाली

पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध उन्नत और नवीन गतिविधियां अपना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी और प्रेरणादायक मार्गदर्शन के तहत राज्य ने शासन के विभिन्न स्तरों पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध विस्तृत गतिविधियां प्रारंभ की हैं। इनमें से एक है क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत के निर्माण के लिए कार्ययोजनाओं का निर्माण करना। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इस अवधारणा की परिकल्पना जून, 2022 में की थी। उनकी इस परिकल्पना को वास्तविक रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के 39 संवेदनशील जिलों में जलवायु अनुकूल ग्राम पंचायतों की पहचान करने के लिए एक त्वरित बहु-मानदंड मूल्यांकन संचालित किया गया⁹²। 5 जून, 2022 को आयोजित 'पंचायत सम्मेलन' (सीओपी) में इन चयनित ग्राम पंचायतों के नामों की घोषणा की गई और इनमें से कई पंचायतों को सम्मानित भी किया गया।

मवैया के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना⁹³ का विकास उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वसुधा फाउंडेशन और गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप के सहयोग से किया गया है। इस कार्ययोजना का लक्ष्य ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध गतिविधियों को मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए ग्राम पंचायत विशिष्ट ब्लूप्रिंट प्रदान करना है। यह न केवल स्थानीय जलवायु अभियानों को सुदृढ़ता प्रदान कर ग्राम पंचायत को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सहनशील बनाएगा बल्कि वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन/कार्बन तटस्थ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्सर्जनों में कमी भी लाएगा।

इस कार्ययोजना के निर्माण में भागीदारी दृष्टिकोण अपनाया गया है जो कि ऊर्ध्वगामी (बॉटम अप) योजना निर्माण की अवधारणा के अनुरूप है। इस कार्ययोजना की प्रस्तावित संस्तुतियों को व्यक्तिगत परियोजनाओं के रूप में किया जा सकता है जिन्हें पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व में जुटी कंपनियों, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं, उन्नत सार्वजनिक-निजी साझेदारियों, कार्बन वित्त और निजी निवेशों से धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है।

इसे व्यवहार्य बनाने के लक्ष्य से यह कार्ययोजना पंचायत-निजी-साझेदारी (पीपीपी) के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है और साथ ही, इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और गैर-राज्य सक्रियकों के बीच सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा भी प्रदान करती है। कार्यप्रणाली

इस रिपोर्ट में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के सहित भरी हुए प्रश्नावली, एचआरवीसीए (HRVCA) रिपोर्ट, ग्राम पंचायत के सामाजिक और संसाधन मानचित्र के रूप में फ्रील्ड से मिली जानकारी संलग्नक के रूप में सम्मिलित है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- सर्वेक्षण प्रश्नावली की तैयारी: मूलभूत स्थिति को समझने और ग्राम पंचायत के आधारभूत परिदृश्य का विकास करने के लिए मुख्य हितधारकों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के विचारों के आधार पर एक प्रश्नावली तैयार की गई। प्रश्नावली में विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया, जैसे कि जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक संकेतक, जलवायु परिवर्तनशीलता, जलवायु धारणा (पिछले 5 वर्ष की), ऊर्जा, कृषि और पशुधन, भूमि संसाधन, स्वच्छता और स्वास्थ्य। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की पहुंच को समझना भी था।
- हितधारकों के लिए परामर्श सत्र और क्षमता निर्माण: स्थानीय गैर-सरकारी साझेदारों, ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों के लिए परामर्श और क्षमता-निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। हितधारकों को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के उद्देश्यों और घटकों, इन कार्य योजनाओं के विकास और उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गई।

92 उत्तर प्रदेश के 39 अत्यधिक संवेदनशील जिलों की पहचान उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना 2.0 और डीओईएफसीसी (DoEFCC), गोयूपी (GoUP) द्वारा विकसित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना हेतु स्कोपिंग आकलन से की गई।

93 इस आलेख में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना सहित निम्न आलेख संलग्नक के रूप में सम्मिलित हैं: विस्तृत कार्यप्रणाली; उत्तर सहित प्रश्नावली; खतरा, जोखिम, भेद्यता और क्षमता आकलन (एचआरवीसीए) रिपोर्ट, और ग्राम पंचायत का सामाजिक और संसाधन मानचित्र।

- साथ ही, गैर सरकारी साझेदारों को मुख्य जलवायु परिवर्तन अवधारणाओं, अपनाने जाने वाली सर्वेक्षण प्रक्रियाओं और समूह केन्द्रित चर्चाओं के लिए विकसित प्रश्नावली के बारे में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।
- क्षेत्र सर्वेक्षण: समुदाय से अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम सभा और समूह केन्द्रित चर्चा के कुछ दौरों का आयोजन किया गया था जिसके माध्यम से प्राथमिक डेटा संग्रह किया गया।
 - » क्षेत्र सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत का दौरा (ट्रांसेक्ट वाक) किया गया और उसके आधार पर सामाजिक और संसाधन मानचित्र तैयार किए गए।
 - » ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं को समझने के लिए खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (एचआरवीसीए) भी किया गया।
 - » मवैया ग्राम पंचायत की जलवायु संबंधित समस्याओं को और उसके विकास लक्ष्यों को समझने के लिए समूह केन्द्रित चर्चाओं का भी आयोजन किया गया।
- प्राप्त आदानों के आधार पर, ग्राम पंचायत के लिए कार्ययोजना विकसित की गई और बेसलाइन मूल्यांकन का संचालन किया गया। इसमें क्लाइमेट-स्मार्ट गतिविधियों की पहचान करना सम्मिलित था जो न केवल पहचानी गई पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी समस्याओं को संबोधित करती हैं बल्कि ग्राम पंचायत में प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखती हैं। जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- ड्राफ्ट योजना को समीक्षा के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।
- ग्राम पंचायत से प्राप्त अपडेट को सम्मिलित करने के पश्चात, कार्ययोजना को अंतिम रूप प्रदान किया गया और समर्थन के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।

संलग्नक 2-: उत्तर सहित प्रश्नावली (हिंदी)



उत्तर प्रदेश क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत की सर्वे प्रजावली

ग्राम पंचायत: मवैया

विकासखण्ड: चक्रिया

जनपद: चंदौली

I. गाँव की रूपरेखा

	विवरण	संख्या (सूचना का स्रोत-समुदाय के सदस्य)
1	राजस्व गाँव की संख्या	2
2	टोलों की संख्या	0
3	a कुल जनसंख्या	3622
	b कुल पुरुषों की जनसंख्या	1960
	c कुल महिलाओं की जनसंख्या	1662
	d विकलांगजन की जनसंख्या	22
	e कुल बच्चों की जनसंख्या	450
	f वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग)	160
4	कुल परिवार की संख्या	650
a	गरीबीरेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की संख्या	458
5	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	174.00 Hec
6	a साक्षरतादर	60.44%
7	a पक्का घरों की संख्या	370
	b कच्चा घरों की संख्या (मुख्य रूप से उपयोग की गई सामग्री का उल्लेख करें)	220

नोट: पंचायत अंतर्गत गांवों में कुछ ऐसे घर/मकान हैं जिसमें एक से ज्यादा परिवार रहते हैं। इस कारण घरों की संख्या का योग और कुल परिवारों की संख्या से कम है।





II. सामाजिक आर्थिक

8	ग्रामपंचायतमेंकेवलकृषि (प्रकार) परआश्रितपरिवार	कुलपरिवारों की संख्या	
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	85	
	किराए की भूमि (हुण्डा)	150	
	अनुबंध खेती	0	
	दिहाड़ीमजदूर	320	
	अन्य व्यवस्था (रेहन, अधिया आदि)	25	
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिककृषितिविधि में शामिलपरिवार, उल्लेख करें)	70	
9	ग्रामपंचायतमेंआय के स्रोत	कुलपरिवारों की संख्या	
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारीनौकरी आदि)	20	
	कुटीर उद्योग	2	
	कृषि	85	
	कला/हस्तकला	0	
	पशुपालन	250	
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	15	
	व्यवसाय/उद्यम	2	
	दैनिक/दिहाड़ीमजदूर (अकृषिगत)	276	
	अन्य	0	
10	पलायन	हां	नहीं
A	क्यापिछलेपांचवर्षोंमेंआप के ग्रामपंचायत से ग्रामीणों ने पलायनकियाहै?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	पलायनकरनेवालेस्था न	03 घर	पलायन के मुख्य कारण
	अन्य गांव		
	निकट के शहर		
	राज्य के प्रमुख शहर	03	आजीविकाअर्जनहेतु
	देशकेप्रमुख महानगर		
c	क्यापिछलेपांचवर्षोंमेंआप के ग्रामपंचायतमेंपरिवार/व्यक्ति ने प्रवासकिए है?	हां <input checked="" type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>
d	पिछलेपांचवर्षोंमेंआप केग्रामपंचायतमेंकित	1 परिवार रोजगार के लिए	





	नेपरिवारप्रवासकिए हैं? मुख्य कारणस्पष्टकरें।
--	--

11 महिलाओं की स्थिति	
a	महिलाप्रमुख परिवारों की संख्या (आय का मुख्य स्रोत- महिला) 35
b	खेतीमेंकार्यरतमहिला कुलसंख्या 312
	निजीभूमि/स्वयं की भूमि 80
	किराएकी भूमि/हुण्डा 22
	अनुबंध खेती 0
	दिहाड़ीमजदूर 210
	अन्य व्यवस्था 0
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिककृषिगतिविधि मेंसंलग्नमहिलाएं, उल्लेख करें) 220
c	नौकरी/अन्य क्षेत्र मेंकार्यरतमहिलाएं कुलसंख्या 75
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारीनौकरी आदि) 10
	कुटीर उद्योग 3
	कृषि 80
	कला/हस्तकला 45
	पशुपालन 250
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान) 7
	दैनिक/दिहाड़ीमजदूर (अकृषिगत) 60
	अन्य 0





12	स्वयंसहायतासमूहों				
	स्वयंसहायतासमूह का नाम	सदस्यों की संख्या	अपनायीगईगतिविधियाँ	वार्षिकबचत (₹0)	बैंकों से जुड़ाव/अजुड़ाव
1	शिवगुरु आजीविका स्वयंसहायता समूह	10	दुकान व् इ रिक्सा	12000	हाँ
2	रविदास आजीविका स्वयंसहायता समूह	11	दुकान	13200	हाँ
3	अम्बेडकर आजीविका स्वयंसहायता समूह	10	खेती	12000	हाँ
4	भोलेनाथ आजीविका स्वयंसहायता समूह	10	खेती	12000	हाँ
5	आंचल आजीविका स्वयंसहायता समूह	10	खेती	12000	हाँ
6	सुहाना आजीविका स्वयंसहायता समूह	11	खेती	13200	हाँ
7	चाँद आजीविका स्वयंसहायता समूह	10	खेती	12000	हाँ
8	विकास आजीविका स्वयंसहायता समूह	10	खेती	12000	हाँ
9	दुर्गा आजीविका स्वयंसहायता समूह	10	खेती	12000	हाँ

13	कृषकउत्पादकसंगठन(एफ0पी0ओ0)					
	एफ0पी0ओ0 का नाम	क्या इस संगठन की प्रमुख महिलाएँ?	प्रत्येक एफ0पी0ओ0 मेंसदस्यों की संख्या	एफ0पी0ओ0 से प्राप्तवार्षिकराजस्व/बचत	कृषिउत्पाद	पोस्टहार्वेस्ट की गतिविधियाँ/ गतिविधियों का क्षेत्र
	Nil	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				






14	अन्य समुदाय आधारितसंगठन /					
	सामाजिकसंगठन / समितियों के नाम	क्यामहिलाप्रमुख संगठन / समिति हैं ?	सदस्यों की संख्या	प्राप्तवार्षिकराजस्व / बचत	उत्पाद / सेवा	विपणन / लक्षितउपभोगकर्ता
	Nil	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				

15	योजनाएं					
a	योजना के नाम	पंजीकृतलाभार्थी की संख्या	लाभप्राप्तलाभार्थियों की संख्या	श्वगतवर्षग्रामपंचायतमेंप्राप्तकुलभगतान (रु०)	अन्य कोईबकिया (रु०)	की गईगतिविधियाँ / कार्य
	मनरेगा	551	425	-		CCरोड , नाली निर्माण , तालाब,चकरोड , वृक्षरोपड
	प्रधानमंत्री गरीबकल्याणअन्न योजना / एन.एफ.एस.ए.	460	460	Nil	-	-
	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	460	285			
	प्रधानमंत्री कृषिसिंचाई योजना	-	-	-	-	-
	प्रधानमंत्री कुसुम योजना	-	-	-	-	-
b	अन्य योजनाएं					
	ग्रामउज्जवला योजना	-	-	-	-	-
	ऊर्जादक्षता योजना	-	-	-	-	-
	प्रधानमंत्री रोजगारसृजनकार्यक्रम	-	-	-	-	-
	प्रधानमंत्री आवास योजना	400	122	Nil	-	-





	सार्वजनिकवितरणप्रणाली (पीओडीएस0)	460	460	-	-	-
	कम्प्यूटरप्रशिक्षणकार्यक्रम	50	35	-	-	-
	उत्तरप्रदेशकौशलविकासमिशन	30	20	-	-	-
	राष्ट्रीय कौशलविकास योजना (RKVY)	6	6	-	-	-
	मौसमआधारितफसलबीमा	-	-	-	-	-
	प्रधानमंत्री फसलबीमा योजना (PMFBY)	-	-	-	-	-
	मृदास्वास्थ्य कार्ड	40	40	-	-	-
	किसानक्रेडिटकार्ड	130	130	-	-	-
	स्वच्छभारतमिशन	500	425	-	-	-
	सौरसिंचाईपम्प योजना	-	-	-	-	-
	नई/नवीनभारतीय बायोगैस व कार्बनिक खादकार्यक्रम	-	-	-	-	-
	विकेन्द्रितअनाज क्रय केन्द्र योजना	-	-	-	-	-
	गोवर्धन योजना	-	-	-	-	-
	जल पुनर्भरण योजना	-	-	-	-	-
	रेनवाटरहार्वेस्टिंग	-	-	-	-	-
	समन्वितवाटरषेडविकासकार्यक्रम	-	-	-	-	-
	अन्य वाटरषेडविकास योजनाएं	-	-	-	-	-
	अन्य (एकजिला-एक उत्पाद, मेकइनइण्डिया, अन्य)	-	-	-	-	-
	उद्यमिततासहायित योजनाएंआदि	14	4	-	-	-





16	सक्रिय बैंक खाताधारकोंकीसंख्या	3000
17	ई-बैंकिंग / डिजीटलभुगतान एप / यू.पी.आई आदिसेभुगतानकरनेवाले खाताधारकों की संख्या	250

8	निकटकृषिबाजार / क्रय केन्द्र / सरकारीकेंद्र	क्याग्रामपंचायत द्वाराबाजार / क्रय केन्द्र का उपयोगहोताहै		यदि नहीं, तोबाजार / केन्द्र का उपयोगक्यों नहीं कियाजाता	उत्पादित फसल(कु 0)	बिक्रीहुईफसल (कु0)	ग्रामपंचायत से दूरी(यदि ग्रामपंचायत से दूर है) (कि0मी0)
		हां	नहीं				
1	सिकंदरपुर क्रय केंद्र	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	दूरी व सुविधा शुल्क	-	-	7Km
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

19		शिक्षा (केवल ग्रामपंचायत में)				
	प्रकार / स्तर	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	कुलनामांकितविद्यार्थियों की संख्या	विगतवर्षमेंकुलड्रापआऊटविद्यार्थियों की संख्या	ड्रापआऊट के मुख्यकारण(स्वास्थ्य (1), पहुँच / उपलब्धता-(2), आर्थिक समस्या-(3), अन्य-(4) उल्लेख करें)	
a	प्राथमिकविद्यालय					
	मवैया	3200 sq. fit	175	10	(4)	
					(मजदूरी वर्ग ईट भट्टा, मजदूरी, माईग्रेशन)	
b	जू0 हाईस्कूल					
	मवैया	2400 sq. fit	154	5	(4)	
					(मजदूरी वर्ग ईट भट्टा, मजदूरी, माईग्रेशन)	





c	हाईस्कूल					
	Nil	-	-	-	-	-
d	अन्य संस्थान					
	Nil	-	-	-	-	-

20	कौशलविकास/व्यवसायिकप्रशिक्षण /पुनः कौशलसंस्थान(केवल ग्रामपंचायत में)	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	संस्थान के प्रकार (सरकारी 1, निजी 2)	नमांकितव्यक्तियों की संख्या	नमांकितव्यक्तियों की आयु
	Nil	-	-	-	-

21	राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग की उपलब्धता			
	राजमार्ग का नाम	राज्यमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2	ग्रामपंचायत से दूरी	सम्पर्कमार्ग की स्थितिअच्छा (1), खराब (2), घटिया (3), सबसे घटिया (4)
	G T Road	NH-19	18Km	खराब (2)





III. भूमिसंसाधनोंसंबंधितसूचनाएं/जानकारी

22	वनभूमि का विवरण	
a	वन का क्षेत्र	Nil
b	वनविभाग द्वाराअधिसूचित क्षेत्र	-
c	सार्वजनिकउपयोगहेतुउपलब्ध वन क्षेत्र	-
d	कितने क्षेत्र परअतिक्रमणहै?	-
e	विगतपांचवर्षोंमेंकोईवनउन्मूलन/वनकटाई की गतिविधियां	-
f	अनुमानितवनउन्मूलन/वनकटाई का क्षेत्रफल(एकड़)	-

23	अन्य भूमि का वर्गीकरण			
a	ग्रामपंचायत के पासग्रामसभा की कितनीभूमिउपलब्ध है?	0.720 एकड़		
b	कितनीभूमिपरअतिक्रमणहै? (एकड़)	-		
c	ग्रामपंचायतमें खननगतिविधियां	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input checked="" type="checkbox"/>	आच्छादित क्षेत्रफल
	खनन के प्रकार बालू खनन 1, खनिज खनन-(उल्लेख करें) 2, अन्य (उल्लेख करें) 3	Nil		
	अतिरिक्तसूचनाएं	-		

24	जल निकाय क्षेत्र	हां	नहीं
	विवरण		
a	क्याआप के ग्रामपंचायतमें जल निकाय क्षेत्र है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	ग्रामपंचायतमेंकुल जल निकाय क्षेत्रों की संख्या	5	
c	क्या जल निकाय क्षेत्र मेंअतिक्रमणहै?	2 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d	जल निकाय क्षेत्र मेंअतिक्रमण कब से है?	15 वर्षों से अधिक	
e	क्या जल निकाय क्षेत्र के आस-पास के भूमिपरअतिक्रमणकियागयाहै?	नहीं -	





25		जल आपूर्ति
a	ग्रामपंचायतमेंघरोंहेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोतक्याहै? नहर (1) वर्षा जल-(2) भूमिगत जल-(3) तालाब / झील-(4) अन्य- (5)	भूमिगत जल (3)
b	क्याउपरोक्त जल आपूर्ति के स्रोतमौसमी या बारहमासीहै?	बारहमासी
c	घरोंमें जल आपूर्तिकैसेहोतीहै? पाइपजलापूर्ति (1) ग्रामपंचायतमेंसामान्य संग्रहकेन्द्र (2) पानीटंकी (3) महिलाओं / बच्चों द्वारादूर से लायागया (4) हैण्डपम्प (5) ऊँचासतहीजलाशय (6) कूआ (7) अन्य (8), उल्लेखितकरें। अगर 4 है, तोकितनीदूर से लायाजारहाहै?	हैण्डपम्प (5)
d	कितने घरोंमेंजलापूर्तिपाइप से है?	Nil
e	क्यापानी का बहाव / प्रवाहदर कम, अधिक या संतोषजनकहै?	Nil
f	पाइपजलापूर्ति की नियमितता 24×7 घण्टे(1) काफीनियमित (2) अनियमित (3)	Nil
g	ग्रामपंचायतमेंकृषिसिंचाईहेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोतक्याहै? नहर (1) वर्षा जल (2) भूमिगत जल - (नलकूप (3A), कूआ (3B)) तालाब / झील (4)	नहर (1)



	पानीटैंक (5) नदी (6) अन्य (7)	
h	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	मौसमी है
i	क्या जलापूर्ति का बहाव/प्रवाह दर कम/अधिक या संतोषजनक है?	नहर का पानी समय से नहीं पहुँच पाता है।
j	अतिरिक्त जानकारी (उदाहरण : क्या घरेलू, कृषि व संबंधित गतिविधियों, उद्योगों आदि के लिए जल आपूर्ति पर्याप्त है) क्या विगत वर्षों में भूजल, नदी या नहर से जल की उपलब्धता बढ़ी/घटी या सूख गया? क्या सूखे या गर्मी के मौसम में पानी की टंकियों का उपयोग बढ़ जाता है?	जल आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। आपूर्ति घटी है। गर्भियों में पानी की टंकी का उपयोग बढ़ जाता है।





IV. जलवायु की धारणा

तापमान व वर्षाप्रमुख परिवर्तन/बदलाव				
26				
a	गर्मी के माहमेंदेखा गया			
b	गर्मी के तापमानमें देखे गए बदलाव (पिछले पांचवर्षों में)	गर्मदिनोंमेंवृद्धि <input type="checkbox"/>	गर्मदिनोंमेंकमी <input type="checkbox"/>	गर्मदिनोंमेंकोईपरिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	45 दिन		
d	अन्य सूचनाएं (गर्मी माहमेंकोई परिवर्तन)	किसी-किसी वर्ष ज्यादा गर्मी पड़ती है। गर्मी सीजन के प्रारम्भिक माह में ही तापमान में ज्यादा वृद्धि होना।		
27				
a	सर्दी के माहमेंमहसूसकियागया			
b	सर्दियों के तापमानमेंकोईपरिवर्तनपायागया (विगत पांचवर्षों में)	ठण्ड दिनोंमेंवृद्धि <input type="checkbox"/>	ठण्ड दिनोंमेंकमी <input type="checkbox"/>	ठण्ड दिनोंमेंकोईपरिवर्तननहीं <input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	45 दिन		
d	अन्य सूचनाएं (सर्दी माहमेंकोई परिवर्तन)	किसी-किसी वर्ष ज्यादा ठण्ड पड़ती है। जाड़े के मौसम में भी ठण्ड का अचानक बढ़ना और कम होना। 10 से 15 दिन अधिक ठण्ड रहती है।		
28				
a	मानसूनमाहमेंमहसूसकियागया			
b	मानसून ऋतु की वर्षामेंकोईपरिवर्तनदेखा गया (विगत पांचवर्षों में)	वर्षा के दिनोंमेंवृद्धि <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनोंमेंकमी <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनोंमेंकोईपरिवर्तननहीं <input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	60 दिन		
d	अन्य सूचनाएं (मानसून माहमेंकोई परिवर्तन)	वर्षा अनियमित है, वर्षा का असमान वितरण		
29				
a	क्यागैरमानसून ऋतु की वर्षामेंपरिवर्तनहुआहै? (विगत पांचवर्षों में)	वर्षा के दिनोंमेंवृद्धि <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनोंमेंकमी <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनोंमेंकोईपरिवर्तननहीं <input type="checkbox"/>
b	ग्रीष्म ऋतु की वर्षामेंदेखेगयेपरिवर्तन	वर्षादिनोंमेंवृद्धि <input type="checkbox"/>	वर्षादिनोंमेंकमी <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनोंमेंकोईपरिवर्तननहीं <input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	7 से 10 दिन		
d	शरद ऋतु की वर्षामेंदेखेगयेपरिवर्तन	वर्षा के दिनोंमेंवृद्धि <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनोंमेंकमी <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनोंमेंकोईपरिवर्तननहीं <input type="checkbox"/>



e	दिनों की संख्या	10 दिन				
f	अन्य सूचनाएं/जानकारी					
चरममौसमकी घटनाएं						
30 सूखा						
a	सूखे की घटना	प्रथमवर्ष (2022) √ <input type="checkbox"/>	द्वितीय वर्ष (2021) <input type="checkbox"/>	तृतीय वर्ष (2020) <input type="checkbox"/>	चतुर्थवर्ष (2019) √ <input type="checkbox"/>	पंचमवर्ष (2018) √ <input type="checkbox"/>
b	किसमाहमेंसूखा देखा गया	जुलाई अगस्त	Nil	Nil	जुलाई अगस्त	जुलाई अगस्त
c	सूखे का प्रबन्धनकैसेकियागया (सरकारी सहायता, निजीसहायता, कुएं खोदा आदि)	घरेलूस्तरपरप्रबन्धन (कुछ नहीं)			कृषिस्तरपरप्रबन्धन (कुछ नहीं)	
d	सूखे की आवृत्ति : सूखे की घटना (पिछले पांचवर्षों में)	वृद्धि √ <input type="checkbox"/>	कमी <input type="checkbox"/>	कोईपरिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्तसूचनाकोईपुरानीप्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	Nil	कोरोना	कोरोना	Nil	Nil
31 बाढ़						
	बाढ़ की घटना नहीं	प्रथमवर्ष (2022) <input type="checkbox"/>	द्वितीय वर्ष (2021) <input type="checkbox"/>	तृतीय वर्ष (2020) <input type="checkbox"/>	चतुर्थवर्ष (2019) <input type="checkbox"/>	पंचमवर्ष (2018) <input type="checkbox"/>
b	किसमाहमें बाढ़ देखागया	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
c	बाढ़ का प्रबन्धनकैसेकियागया (सरकारी सहायता, निजीसहायता आदि)	घरेलूस्तरपरप्रबन्धन			कृषिस्तरपरप्रबन्धन	
d	बाढ़ की आवृत्ति : बाढ़ की घटना (पिछले पांचवर्षों में)	वृद्धि <input type="checkbox"/>	कमी <input type="checkbox"/>	कोईपरिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्तसूचनाकोईपुरानीप्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
32 भूस्खलन						
a	भूस्खलन की घटना नहीं	प्रथमवर्ष (2022) <input type="checkbox"/>	द्वितीय वर्ष (2021) <input type="checkbox"/>	तृतीय वर्ष (2020) <input type="checkbox"/>	चतुर्थवर्ष (2019) <input type="checkbox"/>	पंचमवर्ष (2018) <input type="checkbox"/>
b	किसमाहमेंभूस्खलन देखीगई	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
c	भूस्खलन का प्रबन्धनकैसेकियागया (सरकारी सहायता, निजीसहायता आदि)	घरेलूस्तरपरप्रबन्धन			कृषिस्तरपरप्रबन्धन	





d	भूस्खलन की आवृत्ति : भूस्खलन की घटना (पिछले पांचवर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोईपरिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्तसूचनाकोईपुरानीप्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
33 ओलावृष्टि						
a	ओलावृष्टिकी घटना नहीं	प्रथमवर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थवर्ष (2019)	पंचमवर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>				
b	किसमाहमेंओलावृष्टिहुई	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
c	ओलावृष्टि का प्रबन्धनकैसेकियागया (सरकारी सहायता, निजीसहायता आदि)	घरेलूस्तरपरप्रबन्धन			कृषिस्तरपरप्रबन्धन	
d	ओलावृष्टि की आवृत्ति : ओलावृष्टिकी घटना (पिछले पांचवर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोईपरिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
34 फसलों के कीट/बीमारी						
a	कीट/बीमारीकी घटनाक्रम	प्रथमवर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थवर्ष (2019)	पंचमवर्ष (2018)
		<input checked="" type="checkbox"/>				
b	किसमाहमें टिड्डी कीट/बीमारीकोदेखा गया?	जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर	जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर	जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर	जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर	जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर
c	किस प्रकार के कीट/बीमारीकोदेखा गया?	खैरा रोग, झुलसा रोग, माहो, बाला रोग				
d	कीट/बीमारी का प्रबन्धनकैसेकियागया? (सरकारी सहायता, निजीसहायता आदि)	निजी सहायता				
e	कीट/बीमारी की आवृत्ति : कीटबीमारीका घटनाक्रम (पिछले पांचवर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोईपरिवर्तन नहीं		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	अतिरिक्तजानकारी/सूचनाएं	कुल फसल उत्पादन में कमी	-	-	-	-





35 ग्रामपंचायतमें आपदा की तैयारी					
		ग्रामपंचायतस्तरपर क्या आपदा प्रबन्धन / तैयारी के उपाय उपलब्ध है?		क्या ग्रामीणों तक इसकी पहुँच / उपलब्धता है?	
आपदा तैयारी के उपाय		हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
पूर्व चेतावनी प्रणाली / मौसमी चेतावनी प्रणाली / कृषि चेतावनी प्रणाली		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
आपातकाल अनाज बैंक		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
अन्य		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

36 अनाज भण्डारण		
a	ग्रामपंचायत के आपातकालिन खाद्य / अनाज बैंक में किस प्रकार का भोजन भण्डारित किया जाता है?	
	अनाज (विवरण दें)	Nil
	तेल	Nil
	चीनी	Nil
	अन्य खाद्य पदार्थ—उल्लेख करें	Nil
B	क्या ग्रामपंचायत में शीतगृह है, अगर है तो उसकी क्षमता क्या है?	
		Nil

37 ग्रामपंचायत में मौसम की चेतावनी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, कृषि आधारित चेतावनी के लिए उपलब्ध जानकारी के स्रोत	
स्थानीय कृषि अधिकारी	-
समाचार पत्र / समाचार / रेडियो	√
मोबाईल फोन / एप	√
मौखिक	√
कृषि विज्ञान केन्द्र / कृषि विज्ञान केन्द्र	-
पशुपालन विभाग	-
उद्यान विभाग	-





अन्य	-
------	---

कृषि एवंसंबंधितगतिविधियोंपरप्रभाव (विगत पांचवर्षों में)						
38	फसलहानि					
A	घटना का वर्ष	हानि की ऋतु/ मौसम खरीफ (1) रबी(2) जायद /अन्य ऋतु (3)	फसल का नाम	हानि के कारण रोग, चरम, घटनाक्रम-गर्मी, ठण्ड, वर्षा, ओलावृष्टि, मिट्टीआदि	अनुमानितहानि की मात्रा (कुन्तल)	परिणामस्वरुपआय मेंहानि (औसत रु0)
	प्रथमवर्ष (2022)	हानि नहीं हुयी (डैम का पानी उपलब्ध था)	-	-	-	-
	द्वितीय वर्ष (2021)	हानि नहीं हुयी	-	-	-	-
	तृतीय वर्ष (2020)	हानि नहीं हुयी	-	-	-	-
	चतुर्थवर्ष (2019)	हानि नहीं हुयी (डैम का पानी उपलब्ध था)	-	-	-	-
	पंचवांवर्ष (2018)	हानि नहीं हुयी (डैम का पानी उपलब्ध था)	-	-	-	-
b	क्याआपफसलबीमा के बारेमेंजानतेहैं?	हां	नहीं			
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	अतिरिक्तजानकारी (फसल बीमा के लाभार्थी-बड़ेकिसान, लघु एवंसीमान्तकिसान आदि) फसलबीमालाभाथी का संतुष्टिस्तरक्याहै?	फसल बीमा क्लेम की समुचित जानकारी नहीं।				





39 फसलपद्धतिमेंबदलाव					
a	सामान्य फसल	खरीफ धान बाजरा अरहर	रबी गेंहूँ सरसों मटर, चना	जायद / अन्य ऋतु जायद की फसल नहीं बोयी जाती	
b	फसल का नाम	पारम्परिकबोआई का समय	विगत 5 वर्षोंमेंबोआई के समय मेंपरिवर्तनहुआहै / देखा है	अभीबोआई का समय	परिवर्तन के कारण
अ	धान	जुलाई	परिवर्तन देखा गया है	अगस्त/ सितम्बर	वर्षा देर से होने के कारण परिवर्तन, सूखे की स्थिति परंतु घोषित नहीं
	गेंहूँ	नवम्बर	परिवर्तन देखा गया है	दिसम्बर/जनवरी	खरीफ की फसल देर से कटने या कम वर्षा/ सूखा पड़ना
c	अन्य सूचना / जानकारी (विलुप्त फसल / प्रजाति आदि उल्लेख करें)	जौ की फसल जो रबी सीजन में बोई जाती थी अब नहीं होती है. खरीफ सीजन में साँवा, ज्वार, बाजरा, उड़द की फसल अब नहीं बोई जाती है. अब ये फसलें लुप्तप्राय हैं.			

40 सिंचाईप्रणाली / पद्धतिमेंपरिवर्तन					
A	फसल का नाम	वर्तमानमें सिंचाईपद्धति का उपयोगफव्वारासिंचाई(1), टपक विधि (2), नहर(3), वर्षाआधारित(4), पारम्परिक(5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	वर्तमानमेंउपयोगकि ए गए पानी की मात्रा (रूपया / एकड़)	पूर्वमें सिंचाईपद्धति का उपयोगफव्वारासिंचाई(1), टपक विधि (2), नहर(3), वर्षाआधारित(4), पारम्परिक(5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	पूर्वमेंउपयोगकिए गए पानी की मात्रा (रूपया / एकड़)
	खरीफ रबी	नहर(2), वर्षा आधारित (3) अन्य (ट्यूबवेल/ डीजल पंपिंग सेट (6)	ट्यूबवेल/ डीजल पंपिंग सेट से औसतन 600/- से 700/- प्रति एकड़	नहर(2), वर्षा आधारित (3) अन्य	ट्यूबवेल/ डीजल पंपिंग सेट से औसतन 400/- से 500/- प्रति एकड़



					(ट्यूबवेल/ डीजल पंपिंग सेट (6)	
B	ग्रामपंचायतमेंसिंचाई हेतुपम्पों की संख्या	डीजलआधारित	विद्युतआधारित	सौरपम्प	पारम्परिकसिंचाईविधिय ि	
		09	00	00	-	-
C	अन्य सूचनाएं/ जानकारी अगरकोईहै	चन्द्रप्रभा नदी पर बना मूसाखांड डैम बना है जिससे सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता होती है यद्यपि समय से और सभी को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता है। डैम से नहर का जुड़ाव है लेकिन नहर की सफाई न होने और गन्दगी इत्यादि के कारण पानी टेल तक नहीं पहुँच पाता।				
41 पशुपालन/ पशुधन						
A	ग्रामपंचायतमेंप्रचलितपशुधनऔरपशुपालनसम्बन्धितगतिविधियां श्रेणी : डेयरी (1) मुर्गीपालन (2) मत्स्य पालन (3) सूअरपालन (4) मधुमक्खीपालन (5) अन्य-स्पष्टकरें (6)		1.डेयरी (गाय भैंस), 2. मुर्गी पालन, 4. सुअर पालन , 6. अन्य (बकरी पालन)			
B	डेयरीपरप्रभाव	पशुहानि गाय (1) भैंस (2) अन्य (3)	पशुहानि की संख्या (प्रत्येकपशुकोउल लेख करें)	हानि के कारण (रोग, आयु, दुर्घटना आदि)	हानि का मौसम	उत्पादकतामें कोईपरिवर्तनदेखा गया? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तननहीं (3)
	प्रथमवर्ष(2022)	Nil				
	द्वितीय वर्ष(2021)	Nil				
	तृतीय वर्ष(2020)	Nil				
	चतुर्थवर्ष(2019)	Nil				
	पंचमवर्ष(2018))	Nil				
	अन्य जानकारी/ सूचनाएं					





	c	मुर्गीपालनपरप्रभाव	पक्षीहानि मुर्गी (1) बत्तख (2) अन्य (3)	पक्षीहानि की संख्या (प्रत्येकपक्षी का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि के मौसम/ ऋतु	उत्पादकतामें कोईपरिवर्तनप ायागयाहै? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तनहीं (3)
		प्रथमवर्ष(2022)	Nil				
		द्वितीय वर्ष(2021)	Nil				
		तृतीय वर्ष(2020)	Nil				
		चतुर्थवर्ष(2019)	Nil				
		पंचमवर्ष(2018))	Nil				
		अन्य जानकारी / सूचनाएं	Nil				
	D	अन्य पशुओंपरप्रभाव	पशुहानि (कृपयानिर्दिष्टकरेंकि कौन से है)	पशुहानि की संख्या (प्रत्येक पशु का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि की ऋतु	उत्पादकतामें कोईपरिवर्तनप ायागयाहै? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तनहीं (3)
		प्रथमवर्ष(2022)	Nil				
		द्वितीय वर्ष(2021)	Nil				
		तृतीय वर्ष(2020)	Nil				
		चतुर्थवर्ष(2019)	Nil				
		पंचमवर्ष(2018)	Nil				
		अन्य जानकारी / सूचनाएं	Nil				





43 जैविक खेतीसम्बन्धितगतिविधियां					
	फसल	क्षेत्रफल	प्रतिफसलआय (रु0/कुन्तल)	बिक्रीहेतुबाजार	तृतीय पक्ष द्वाराप्रमाणित/सत्यापित
	Nil	-	-	-	-

44 अन्य स्थाई खेतीसम्बन्धीगतिविधियां (जैसे शून्य/जीरोबजटप्राकृतिक खेती)				
	फसल	स्थाईगतिविधियां (शून्य जुताई, मलिवंग, फसलचक्र, अन्तःफसलें, वर्मीकम्पोस्ट, कम्पोस्ट, मिश्रितफसले, प्राकृतिककीटप्रबन्धन, जैवपदार्थमेंवृद्धि आदि)	क्षेत्रफल(एकड़)	प्रतिफसलप्राप्तआय (रुपया)
	Nil	-	-	-



45 कृषिवानिकी, सामाजिकवानिकी, परलीभूमिविकासऔरअन्य वृक्षारोपणगतिविधियां

पौध रोपणगतिविधियों के प्रकार	आच्छादित क्षेत्रफल	स्थान	योजनाअन्तर्गतराष्ट्रीय कृषिवानिकीमिशन (1), समन्वितवाटरशेडप्रबन्धन कार्यक्रम (2), वर्षाआधारित क्षेत्र कार्यक्रम (3), मनरेगा (4), वृक्षारोपणजनआन्दोलन (5), अन्य (6) - उल्लेख करें	मोनोक्लचर (1), मिश्रितप्रजाति (2)	रोपितप्रजातियां	आरम्भदिनांक	सफलता (प्रतिशत)	कृषिवानिकीगतिविधियों के लाभतकलोगोंकी पहुंच /असर	पिछले 10 वर्षोंमेंपहुंच /अवसरोंमेंपरिवर्तन, वृद्धि (1), कमी (2), कोईपरिवर्तननहीं (3)	परिवर्तन के कारण- लाभमेंवृद्धि (1), लाभमेंवृद्धि (2), प्रजातिसम्बन्धित (3), वनउन्मूलन (4) -अन्य (5) -उल्लेख करें
सार्वजनिक	0.956 हेक्टेयर	ग्राम सभा			फलदार व छायादार	-	25%	मनरेगा के अंतर्गत वृक्षारोपण के लाभ तक पहुंच	3	-



46	अपनायेगयेस्थायीपशुधनप्रबन्धनतकनीक			
	पशुधन के प्रकार	ग्रामपंचायतमेंकुलसंख्या (लगभग)	अपनाईगईगतिविधियां (चारा मेंपरिवर्तन, पोषणपूरकअर्थात् पशुआहार, खुलेमेंचराई आदि)	प्राप्त/उत्पादितआय प्रतिपशुधन (प्रति माह)
	गाय (देशी नस्ल)	350	चारा में परिवर्तन +पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार	2400/-
	गाय (संकर नस्ल)	50	“	4800/-
	भैंस (देशी नस्ल)	80	“	4500/-
	भैंस (संकर नस्ल)	0	-	-
	बकरी	200	“	1000/-
	सुअर	300	“	600/-
	मुर्गी	1500	“	50/-
	मत्स्य	25000	“	20
	अन्य	0	-	-

VI. स्वच्छता एवंस्वास्थ्य

47	जल की गुणवत्ता (पेयजल या नल जल से आपूर्ति परिवार)						
a	आपूर्तिकियेजानेवालेपानों की गुणवत्ताकैसीहै?	उपयुक्त	अनुपयुक्त				
		√□	□				
b	जल का स्वादकैसालगताहै?	तीक्ष्ण	नमकीन	सामान्य			
		□	□	√□			
c	आपूर्तिहोनेवाले जल मेंसामान्यतः दूषितपदार्थक्याहै?	नमकीन	गन्दा	मटमैला	बालू/कीचड़	गन्ध	Nil
		□	□	□	□	□	Nil
d	जल को शुद्ध करने के लिए आपकिसविधि का प्रयोगकरतेहैं?	उबालकर	जल शोधक	आयोडीन / फिटकरीमिला कर	सौर शुद्धीकरण	क्लेवेसलि फिल्ट्रेशन	अन्य, (कृपयाउल्लेख करें)
		□	□	□	□	□	□





48 ठोसअपशिष्टउत्पादन / अपशिष्टप्रबन्धन							
a	अपने घरमेंप्रतिदिनउत्पन्नहोनेवालाअपशिष्टपदार्थ / कचरा	सब्जियों का छिलका, राख, प्लास्टिक, आदि	1.5-2 किलो				
b	आपकेग्रामपंचायतमेंअपशिष्टपदार्थ / कचराकैसेइकट्ठाकियाजाताहै ?	सड़क के किनारे गड्डों में फेंक दिया जाता है।					
c	कचरासंग्रहकितनीबारहोताहै?	<input checked="" type="checkbox"/> प्रतिदिन	<input type="checkbox"/> साप्ताहिक	<input type="checkbox"/> वैकल्पिकदिन			
		हां	नहीं				
d	क्याआपके क्षेत्र मेंकोईस्थानहै, जहांकचराइकट्ठाडालाजासकता है? यदिहांतोकृपयाआपकीग्रामपंचायत से कितनीदूरीपरहै या किसस्थानपरहै?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ग्रामपंचायत से दूरी / ग्रामपंचायतमेंअवस्थिति			सड़क के किनारे गड्डों में फेंक दिया जाता है।
e	क्याआपकेग्रामपंचायत क्षेत्र मेंसामान्य कूड़ेदान रखेगयेहैं?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
f	क्याआपकचरेकोसूखेऔरगीलेकचरे की श्रेणी मेंबांटतेहैं?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
g	आपगृहस्तरपरकचरे का उपचारकैसेकरतेहैं?	पुनःचक्रमण	कम्पोटिंग	वर्मीकम्पोस्ट	अपशिष्ट	जलाना	अन्य (उल्लेखित करें)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	लागू नहीं

49 खुलेमें शौचमुक्तस्थिति							
a	क्याआपकागांव खुलेमें शौचमुक्त घोषितहै?	<input checked="" type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं				
b	स्वयं के शौचालय वालेपरिवारों की संख्या	477	<input type="checkbox"/>				
c	सामुदायिक शौचालय / इज्जत घर की संख्या	1	<input type="checkbox"/>	प्रमुख स्थान			मवझ्या आंगनवाड़ी केन्द्र के पास
d	क्या शौचालय का उपयोगकियाजारहाहै?	हाँ					
e	अगर शौचालय का उपयोगनहींकियाजारहाहैतोक्यों? (साफ-सफाई का अभाव, रख-रखाव का अभाव, बहुतदूर आदि)	Nil					
50	अपशिष्ट जल	घरेलू	व्यवसायिक	औद्योगिक	कृषिगतिविधियां	गंदानाला	





a	अपशिष्ट जल का क्यास्रोतहै?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b	उत्पन्नअपशिष्ट जल की मात्रा (अनुमानित लीटर प्रतिदिन)	-	-	-	-	-
c	गांवमेंकियागयाअपशिष्ट जल उपचार, यदिकोईहैतो-	Nil	-	-	-	-
d	अपशिष्ट जल पुनःचक्रण या पुनः उपयोग की गतिविधि, यदिकोईहैतो-	Nil	-	-	-	-

51 स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा				
	स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धता	हां	नहीं	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
a	प्राथमिकस्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
b	सामुदायिकस्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
c	उपस्वास्थ्य केन्द्र	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600 वर्ग फीट
d	आंगनवाड़ी	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1200 वर्ग फीट
e	आशा(3 आशा)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
f	स्वास्थ्य कैम्प / मेला	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
g	डिजिटलस्वास्थ्य देखभाल	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-

52 रोग / बीमारी									
	विगतवर्षनिम्नवत् बीमारी / रोग से कितनेलोगप्रभावितहुंए हैं? आशा, आंगनवाड़ी	प्रभावितकुलव्यक्तियों की संख्या	प्रभावितआयुसमूह			सामान्य उपचार का विकल्प			
			प्रभावितबच्चों की संख्या	प्रभावितयुवकों की संख्या	प्रभावितवृष्टनागरिकों की संख्या	स्थानीय स्वास्थ्य देखभालसुविधाएं (उल्लेख करें)	घरेलू देखभाल	घर-घर जानेवाला	अन्य (उल्लेख करें)
a	वेक्टर-जनितरोग (मलेरिया, डेंगू, चिकेनगुनिया आदि)	80	50	20	10	CHC चक्रिया	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
b	जल-जनितरोग (हैजा / डायरिया / टाईफाइड / हैपेटाइटिस आदि)	120	70	30	20	CHC चक्रिया	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
c	श्वाससम्बन्धीरोगजोवायुप्रदूषण से होतेहैं (इनडोर एण्ड आउटडोर)	-	-	-	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
d	कुपोषण	1	1	0	0	उपकेन्द्र चालू नहीं है।	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-





VII. उर्जा

53		
a	आपकेग्रामपंचायतमेंकुलकितने घरविद्युतकृतहैं	300
b	ग्रामपंचायतमेंनिम्नलिखितअनुमानितविद्युतउपकरणों की संख्या	
	ए0सी0	08
	एयर कुलर	200
	रेफ्रिजरेटर / फ्रीज	80

54 विद्युतकटौती की आवृत्ति		
a	दिनमेंकुछबार	<input type="checkbox"/>
	दिनमें एकबार	<input type="checkbox"/>
	विद्युतकटौती नहीं	<input type="checkbox"/>
b	प्रतिदिनकितने घण्टेगुलरहतीहै?	8 घण्टे
	यदिप्रतिदिन नहीं तो सप्ताहमेंकितने घण्टेबिजलीगुलहोतीहै?	N.A.

55 वोल्टेजअस्थिरता / उतार-चढ़ाव की आवृत्तिक्याहै?		
	दिनमेंकुछबार	<input type="checkbox"/>
	दिनमें एकबार	<input type="checkbox"/>
	अस्थिरता / उतार-चढ़ाव नहीं	<input type="checkbox"/>

56 पावरबैकअप का मतलबविद्युतकटौती के दौरानउपयोग	संख्या
डीजलचलितजेनरेटर	7
सौरउर्जा	05
इमरजेंसीलाईट	250
इन्वर्टर	80
अन्य साधन (उल्लेख करें)	0





57 नवीकरणीय/अक्षयऊर्जा के स्रोत			
a	क्यागांवमेंनिम्नलिखितमें से कोईस्थापनाहै?	इंस्टालेशन (स्थापना) की संख्या	कुलस्थापित क्षमता (किलोवाट)
	घर की छतोंपरसौरउर्जास्थापना	7	1 KW प्रत्येक
	विद्यालय की छत परसौरउर्जास्थापना	1	2 KW
	चिकित्सालय की छत परसौरउर्जास्थापना	0	
	ग्रामपंचायतभवनपरसौरउर्जास्थापना	1	2 KW
	अन्य सौरउर्जास्थापना	0	-
	सौरस्ट्रीटलाइट	40	12 वाट प्रत्येक
	बायोगैस	0	-
	विकेंद्रितनवीनीकरणउर्जा / मिनीग्रीड	0	-
b	क्याआपसौरउर्जास्थापना के लिए उपलब्ध अनुदान के बारेमेंजानतेहैं (कुछ योजनाओं/कार्यकर्मों का उल्लेख करें)	नहीं है	-

58	भोजनबनानेहेतुप्रयुक्तईंधन	परिवारों की संख्या	प्रतिपरिवारप्रयुक्तऔसत मात्रा (किग्रा/महीना)
	पारम्परिकजलौनी (उपले/जलौनी लकड़ी)	400	150 किग्रा/महीना
	बायोगैस	0	-
	एलपीजीगैस	150	14.5 किग्रा/महीना
	विद्युत	0	-
	सौरउर्जा	0	-
	अन्य (कोयला, मिट्टी का तेल, चारकोल आदि)	0	-
59	वाहन की संख्या		





	वाहन के प्रकार	ग्रामपंचायतमेंवाहन संख्या (अनुमानित)	प्रयुक्तईंधन के प्रकार	तय की गईऔसतदूरी (किमी प्रतिदिन)
a	जीप	1	-	10 Km
b	कार	25		50Km
c	दोपहियावाहन	120		40Km
d	विद्युतचालितवाहन	0		-
e	आटो	12		100 Km
f	ई-रिक्शा	5		50Km
g	अन्य			-

	कृषि यंत्र	ग्रामपंचायतमेंकृषि यंत्रों/मशीनों की संख्या	प्रयुक्तईंधन के प्रकार	तय की गईऔसतदूरी(किमी प्रतिदिन)
a	टैक्टर	12	-	25 किमी
b	कम्बाईनहारवेस्टर	0	-	-
c	अन्य (कृपयाउल्लेख करें)	0	-	-

61 ग्रामपंचायतमेंअवस्थितपेट्रोलपम्प (अगर कोई है)										
	ईंधन के प्रकार	प्रतिदिन की बिक्री	पम्प से आपूर्तिवाले गांव की संख्या	कितनेप्रकार के वाहनएकदिन/महीनामेंपेट्रोलपम्प से ईंधनलेतेहैं? (समय/ अवधि का उल्लेख करें)						
				टैक्टर	कृषि यंत्र	जीप	कार	दोपहिया वाहन	आटो	ई-रिक्शा
a		Nil	-	-	-	-	-	-	-	-
b										





62 औद्योगिकइकाई				
	उद्योग के प्रकार	संख्या	उर्जा के स्रोत: ग्रिडविद्युत (1), डीजलजेनरेटर (2), नवीनीकरण/अक्षय उर्जा (3)	उर्जा की खपत प्रतिमाहविद्युत का उपयोग (किलोवाट) ईंधनउपयोग (लीटर प्रतिदिन)
	Nil	-	-	



संलग्नक 3:- एचआरवीसीए रिपोर्ट/फ़ील्ड रिपोर्ट



क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना

**ग्राम पंचायत- मवैया
विकास खण्ड- चक्रिया
जनपद- चन्दौली**


विषय सूची:

विषय	पेज संख्या
कवर पेज	01
विषय सूची	02
ग्राम पंचायत की रूपरेखा/प्रोफ़ाइल	03
क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण की सहभागी प्रक्रिया <ul style="list-style-type: none">✓ वातावरण निर्माण/खुली बैठक✓ ट्रांजेक्ट वॉक/गांव का भ्रमण✓ सामाजिक मानचित्रण	03-10
खतरा, जोखिम, नाजुकता एवं क्षमता आकलन <ul style="list-style-type: none">✓ जलवायु परिवर्तनशीलता: प्रकृति/परिवर्तन, मुख्य चुनौतियाँ व झटके अथवा तनाव✓ ऐतिहासिक समय रेखा✓ मौसमी कलेण्डर जैसे आपदा, मौसम विश्लेषण, बीमारी व स्वास्थ्य, और फसल व रोग✓ आपदाओं का प्राथमिकीकरण✓ नाजुकता विश्लेषण✓ क्षमता आकलन/वित्तीय संसाधन✓ संसाधन मैट्रिक्स/सेवा सुविधा चित्रण	11-21
क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत की कार्ययोजना का निर्माण	22-26
आपदा का आजीविका पर प्रभाव	27-28
क्लाइमेट स्मार्ट मॉडल	29-30

ग्राम पंचायत की रूपरेखा/प्रोफ़ाइल:

मवैया ग्राम पंचायत, उत्तर प्रदेश के चन्दौली जिले के चकिया ब्लॉक में है। यह चकिया मुगलसराय मार्ग पर स्थित है। इस मार्ग को अभी हाल ही में राज्य मार्ग का दर्जा मिला है। इस पंचायत से ब्लॉक मुख्यालय लगभग 12 किमी. एवं जिला मुख्यालय लगभग 35 किमी. दूर है। यहाँ से पं. दीनदयाल उपाध्याय (पूर्व नाम मुगलसराय) रेलवे स्टेशन लगभग 20 किमी. दूर है। सड़क किनारे स्थित होने के कारण यहाँ आवागमन के लिए ऑटो, जीप/मैजिक, बस सेवा उपलब्ध है।

चकिया ब्लॉक होने के साथ ही साथ तहसील भी है। मवैया ग्राम पंचायत में कुल 2 राजस्व गाँव हैं- (i) मवैया एवं (ii) लेवा। एक राजस्व गाँव दूसरे गाँव से निकट स्थित है। चकिया क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है एवं कृषि कार्य की अधिकता है। यहाँ प्रत्येक प्रकार की फसल ऋतु अनुसार उगाई जाती है। मवैया पंचायत चकिया ब्लॉक अंतर्गत सबसे पहले खुले में शौच से मुक्ति (ODF) वाली पंचायत घोषित की गयी थी।



क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण की सहभागी प्रक्रिया:

वातावरण निर्माण:

आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु ग्राम पंचायत मवैया की 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना' बनाने में ग्राम पंचायत के सभी वर्गों/लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार द्वारा पंचायत के दोनों गांवों में पंचायत प्रतिनिधियों/वार्ड सदस्यों, वरिष्ठजनों, समूह सखी, आशा बहुओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा पंचायत स्तर पर कार्यरत सरकारी स्टाफ इत्यादि के माध्यम से कम्पोजिट विद्यालय, मवैया पर नियोजित खुली बैठक में निर्धारित दिनांक एवं समय अनुसार प्रतिभाग करने हेतु सूचना कराई गयी जिससे सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो सके।



ग्राम सभा की खुली बैठक (Open Meeting of Gram Sabha):

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना निर्माण हेतु ग्राम पंचायत-मवैया, ब्लॉक चकिया, जनपद-चन्दौली में दिनांक 20-02-2023 को ग्राम्या संस्थान टीम द्वारा कम्पोजिट विद्यालय, मवैया के परिसर में एक खुली बैठक की गयी। इसके लिए प्रधान को पूर्व में सूचित किया गया था जिससे पंचायत अंतर्गत सभी गांवों से संबन्धित लोगों एवं स्थानीय हितभागियों की सहभागिता हो सके। प्रधान द्वारा अपने सहयोगियों के माध्यम से बैठक में प्रतिभाग करने हेतु समुदाय के साथ ही पंचायत स्तर पर कार्यरत सरकारी विभाग के स्टाफ को भी सूचित किया गया। इस बैठक में प्रधान, प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत सचिव, पंचायत सदस्य, लेखपाल, कम्पोजिट विद्यालय के प्रधानाध्यापक, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आशा, कृषि विभाग स्टाफ, एस.एच.जी. सदस्य, समूह सखी सहित मवैया एवं लेवा गाँव के महिलाओं एवं पुरुषों की सक्रिय सहभागिता रही।

बैठक की अध्यक्षता प्रधान ने की। बैठक में प्रतिभाग कर रहे सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया गया। इसके पश्चात बैठक के प्रमुख उद्देश्य के बारे में जानकारी दी गयी। इस क्रम में चर्चा आगे बढ़ते हुये गाँव की प्रमुख समस्याओं को चिन्हित करने हेतु सेक्टरवार चर्चा की गयी। इसके साथ ही समस्याओं के प्राथमिकीकरण करने का प्रयास किया गया। इस क्रम में जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन हेतु तैयारियों के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी। महिलाओं से संबन्धित मुद्दों के बारे में भी बातचीत की गई। बैठक में शामिल स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने समूहों में मासिक बचत जमा करती हैं। आय उपार्जन हेतु बहुत कम संख्या में महिलाएं समूह से ऋण लेकर कुछ व्यावसायिक गतिविधियां कर रही हैं। अधिकतर खेतिहर मजदूरी का कार्य करती हैं जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं की संख्या ज्यादा है क्योंकि इसके अतिरिक्त उनको रोजगार का अन्य कोई साधन पंचायत में उपलब्ध नहीं है।

इसके साथ ही प्रतिभागियों में से कुछ लोगों ने आवास की समस्या, गंदे पानी निकासी नहीं होने की समस्या, जल जमाव की समस्या, बस्तियों के अंदर समुचित संपर्क मार्गन बनाए जाने, बिजली कटौती, बिजली का बिल ज्यादा होने, पानी की अनुपलब्धता इत्यादि समस्या से भी अवगत कराया। इस सम्बंध में प्रधान द्वारा जरूरी जानकारी दी गयी एवं समस्याओं के क्रमशः निवारण के लिए योजना निर्माण की बात की गयी।

खुली बैठक फोटो:



स्थानीय लोगों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत सम्बन्धी मूलभूत आँकड़ा निम्नवत है:

#	विवरण	संख्या (सूचना का स्रोत-समुदाय के लोग)
1	राजस्व गाँव की संख्या	02
2	टोलों की संख्या	0
3	a कुल जनसंख्या	3622
	b कुल पुरुषों की जनसंख्या	1960
	c कुल महिलाओं की जनसंख्या	1662
	d विकलांगजन की संख्या	22
	e कुल बच्चों की संख्या	450
	f वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक आयु)	160
4	कुल परिवार संख्या	650
a	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की संख्या	458
5	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	174 हेक्टेयर
6	a साक्षरता दर	60.44%
7	a पक्का घरों की संख्या	370
	b कच्चा घरों की संख्या (मुख्य रूप से उपयोग की गयी सामग्री का उल्लेख करें)	220 (मिट्टी की दीवाल, खपरैल)

नोट: पंचायत अंतर्गत गांवों में कुछ ऐसे घर/मकान हैं जिसमें एक से ज्यादा परिवार रहते हैं। इस कारण घरों की संख्या का योग और कुल परिवारों की संख्या में अंतर है।

ग्राम पंचायत समितियों का विवरण:

नियोजन एवं विकास समिति संजय कुमार-अध्यक्ष (प्रधान) गंगाराम-सदस्य अनीता विश्वकर्मा-सदस्य आशुतोष जायसवाल-सदस्य बट्टी नारायण-सदस्य चौधरी-सदस्य उषा-सदस्य	शिक्षा समिति संजय कुमार-अध्यक्ष (प्रधान) चौधरी-सदस्य चन्द्रशेखर-सदस्य सर्वेश पाठक-सदस्य प्रभात रंजन-सदस्य उषा-सदस्य बट्टीनारायण-सदस्य	निर्माण कार्य समिति आशुतोष जायसवाल-अध्यक्ष उषा-सदस्य बट्टीनारायण-सदस्य अनीता विश्वकर्मा-सदस्य अंजनी-सदस्य गंगाराम-सदस्य विजय कुमार-सदस्य
स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति आशुतोष जायसवाल-अध्यक्ष विजय कुमार-सदस्य बट्टीनारायण-सदस्य अंजनी-सदस्य चन्द्रशेखर-सदस्य चौधरी-सदस्य उषा-सदस्य विकास पाठक (विशेष)	प्रशासनिक समिति संजय कुमार-अध्यक्ष (प्रधान) उषा-सदस्य बट्टीनारायण-सदस्य गंगाराम-सदस्य चौधरी-सदस्य अनीता विश्वकर्मा-सदस्य विजय कुमार-सदस्य	जल प्रबंधन समिति विजय कुमार-अध्यक्ष बट्टी नारायण-सदस्य सर्वेश पाठक-सदस्य चन्द्रशेखर-सदस्य प्रभात रंजन-सदस्य उषा-सदस्य गंगाराम-सदस्य

वार्ड सदस्यों की सूची

वार्ड संख्या	ग्राम पंचायत सदस्य का नाम
01	गंगाराम
02	अनीता विश्वकर्मा
03	बट्टीनारायण
04	आशुतोष जायसवाल
05	चौधरी
06	चन्द्रशेखर
07	सर्वेश पाठक
08	प्रभात रंजन
09	उर्मिला
10	विजय कुमार
11	मुन्नी
12	उषा
13	अंजनी

गाँव का भ्रमण (ट्रांजेक्ट वॉक):

गाँव भ्रमण के द्वारा टीम द्वारा ग्राम पंचायत अंतर्गत स्थित गांवों की भौगोलिक को जानने, नाजुकता की स्थिति को समझने, आपदा एवं इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्रों को जानने, निचले एवं ऊंचे स्थानों की पहचान करने, जातिगत बस्तियाँ/टोलों, घरों की बनावट (कच्चे-पक्के घर) की संख्या, जल निकासी की स्थिति, रोड/संपर्क मार्ग, कचरा प्रबन्धन, कूड़ा निस्तारण की सुविधाओं, गाँव में साफ-सफाई की स्थिति, आधारभूत सुविधाओं जैसे-पानी, बिजली, शौचालय इत्यादि को देखने के साथ ही साथ गाँव में उपलब्ध सुविधा संसाधनों को चिन्हित किया गया।

इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा एवं जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत कृषि कार्यो एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों में बदलाओं को समझने के लिए गाँव का भ्रमण संस्था के टीम सदस्यों ने पंचायत प्रधान प्रतिनिधि, पंचायत सदस्य, ग्राम विकास अधिकारी एवं स्थानीय लोगों के सहयोग से किया।



गाँव के भ्रमण के दौरान स्थिति का आकलन:

गाँव की बसाहट (घरों की संरचना)	<p>पंचायत से गुजरने वाली चकिया मुगलसराय मुख्य सड़क के दोनों तरफ घर बने हुये हैं। मुख्य सड़क से अंदर नहर के किनारे तक घरों की बसावट है। नहर के किनारे अनुमूचित जातियों की बस्ती है। इस गाँव में कच्चे एवं पक्के दोनों प्रकार के घर बने हुये हैं। घनी बस्तियों में घरों के बीच सकरी गलियाँ हैं।</p> <p>तकरीबन 62% घर पक्के बने हुये हैं। कुछ कच्चे घर वर्षा होने, रख-रखाव के अभाव एवं जल जमाव के कारण कमजोर होने से गिर गए हैं। ऐसे स्थानों पर जानवर जैसे- गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का बांधे जाते हैं। कहीं-कहीं ऐसी जगह पर गोबर से उपले बनाने तथा इसे ईंधन के रूप में रखा जाता है।</p>
तालाब व गड्ढे	<p>पंचायत में कुल तालाबों की संख्या 5 है। इसमें 02 तालाब मवैया में हैं। भू-लेख रिकार्ड अनुसार ये कम क्षेत्रफल वाले हैं जिसे पोखरी कहा जाता है तथा इन पर अतिक्रमण भी है और मुकदमा चल रहा है।</p> <p>03 तालाब लेवा गाँव में स्थित हैं तथा वहाँ कोई अतिक्रमण नहीं है। भ्रमण के दौरान मौजूद तालाबों में पानी नहीं पाया गया अथवा बहुत ही कम पानी था।</p>

	स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि वर्षा के दौरान तालाबों में एकत्रित जल का उपयोग आस-पास के खेतों की सिंचाई में उपयोग कर लिया जाता है। तालाबों में पुनः जल भरने की अन्य कोई व्यवस्था नहीं है। नहर के पानी से जल तो भरा जा सकता है लेकिन इसके लिए नहर की मरम्मत के साथ ही चौड़ी नालियों जिसे रजबहा भी कहा जाता है, को बनाने की जरूरत है।
नदी, नहर व नाला	इस पंचायत से लगभग 400 मीटर दूर चन्द्रप्रभा नदी है। यह इस पंचायत की एक सीमा भी है। इस नदी पर मूसाखाँड़ बना है जिससे पानी को नियंत्रित किया जाता है। भारी बारिश में बाँध से ज्यादा पानी छोड़े जाने पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। पंचायत में कुल 02 नहरें/माइनर (मवैया माइनर एवं सिकठिया माइनर) हैं जो पूरब एवं पश्चिम दिशाओं में स्थित है।
वन व हरित क्षेत्र	गाँव भ्रमण के दौरान 03 बाग-बगीचे पाये गये। 1 बाग ग्राम पंचायत के स्वामित्व में मवैया में है और 2 बाग व्यक्तिगत स्वामित्व वाले बाग हैं जिसमें से 1 मवैया और 1 लेवा गाँव में है। मनरेगा अंतर्गत सार्वजनिक तालाबों के आस-पास वृक्षारोपड़ कराया जाता है।
समतल व निचली भूमि	नहर किनारे बसे लगभग 25 अनुसूचित जाति वाले परिवार जल जमाव की दृष्टि से ज्यादा प्रभावित हैं। पंचायत भवन से लगभग 500 मीटर की दूरी पर मुख्य सड़क पर जहाँ बारिश या बाढ़ का पानी निकलता है, जिसे स्थानीय लोग 'छलका' के नाम से भी जानते हैं, वहाँ जलजमाव होता है। वहाँ स्थित कुछ घरों को उस समय परेशानी होती है। यद्यपि अब मुख्य सड़क पर निचले स्थानों को उच्चीकरण किया जा रहा है जिससे इस समस्या का निदान होने की संभावना है। चन्द्रप्रभा नदी से ज्यादा नज़दीक बसे लगभग 50 घरों को अधिक वर्षा होने की स्थिति में बाढ़ का ज्यादा खतरा होता है। यद्यपि ऐसा अधिक वर्षा होने के फलस्वरूप मूसाखाँड़ बांध से ज्यादा पाने छोड़े जाने के कारण होता है।
सिंचाई	सिंचाई के साधनों में इस पंचायत के लिए नहर एक प्रमुख साधन है। नहरों की समुचित साफ-सफाई नहीं होने से इसमें गंदगी पायी गयी। समय-समय पर नहर की खुदाई नहीं होने से सिंचाई हेतु टेल तक पानी नहीं पहुँच पाने की समस्या है। मवैया में 02 खुले कुओं का उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। लेवा में खुले कुओं का उपयोग अब नहीं होता है। लगभग 15 घरों में सब-मर्सिबल पम्प हैं। ज्यादातर परिवार घरेलू उपयोग के लिए पानी आपूर्ति हेतु हैंडपम्प पर निर्भर हैं।
ऊर्जा प्रयोग	ग्राम पंचायत के दोनों गाँवों में विद्युत आपूर्ति है। लगभग 300 परिवारों में विद्युत कनेक्शन है। घरेलू उपयोग में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रिक उपकरणों जैसे-टीवी, फ्रिज, कूलर, लाइट, पंखे इत्यादि के साथ ही सिंचाई के लिए पंपिंग सेट चलाने में विद्युत का उपयोग होता है। 05 घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जाता है। विद्युत कटौती दिन में कई बार होती है। औसतन दिन में 08 घण्टे विद्युत कटौती होती है।
ईंधन प्रयोग	खाना पकाने के लिए एलपीजी का उपयोग 150 परिवार करते हैं और लगभग 400 परिवार पारंपरिक जालौनी जैसे लकड़ी व गोबर के उपले का उपयोग करते हैं। पंचायत में वाहनों के लिए पेट्रोल का उपयोग मुख्यतः 120 मोटरसाइकल व 25 कार द्वारा, डीजल का उपयोग 1 जीप, 12 ऑटो, 12 ट्रैक्टर द्वारा तथा बैटरी का उपयोग 05 ई-रिक्शा द्वारा किया जाता है।
घरेलू उपयोग के लिए जल स्रोत	मवैया में 02 खुले कुओं का उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। लेवा में खुले कुओं का उपयोग अब नहीं होता है। लगभग 15 घरों में सब-मर्सिबल पम्प हैं। ज्यादातर परिवार घरेलू उपयोग के लिए पानी आपूर्ति हेतु हैंडपम्प पर निर्भर हैं।
जाति वर्ग अनुसार परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति	गाँवों में विभिन्न प्रकार की जातियाँ निवास करती हैं। स्थानीय स्तर पर बस्तियों/टोलों को ब्राह्मण टोला, बनिया बस्ती, कुम्हार बस्ती, ग्वाल बाल बस्ती, लोहार बस्ती, चमार बस्ती, लोहार बस्ती, गोंड बस्ती, बियार बस्ती, दर्जियान बस्ती इत्यादि नामों से जाना जाता है। यद्यपि भौतिक रूप से जातिवर्ग अनुसार टोलों/बस्तियों का कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं है। ये स्थानीय स्तर पर लोगों द्वारा

	<p>व्यावहारिक रूप में प्रचलन में है।</p> <p>पंचायत में अनुसूचित जाति(एससी) के कुल 338 परिवार, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कुल 182 परिवार एवं सामान्य वर्ग (जनरल) के कुल 130 परिवार हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग (एसटी) वाले परिवार यहाँ नहीं हैं।</p>
<p>उद्यम/व्यवसाय सम्बन्धी जानकारी</p>	<p>इस पंचायत में ज्यादातर लोग कृषि कार्य पर निर्भर हैं। खरीफ सीजन में मुख्यतः धान की फसल होती है। साथ ही बाजरा एवं कुछ लोग मक्का की भी खेती होती करते हैं। रबी सीजन में मुख्यतः गेहूँ की फसल होती है। इसके साथ सरसों की खेती एवं चना/मटर की भी खेती की जाती है।</p> <p>पशुपालन का कार्य दोनों पंचायत के दोनों गाँवों में किया जाता है। मवैया गाँव में 91 परिवार एवं लेवा गाँव में 20 परिवार गाय/भैंस का पालन निजी रूप में दुध आपूर्ति के लिए करते हैं। कुछ परिवार व्यवसाय के रूप में दूध बेचते हैं। डेयरी के रूप में कोई इकाई पंचायत में नहीं पायी गयी।</p> <p>बकरी पालन का कार्य मवैया गाँव में 31 परिवार एवं लेवा गाँव में 12 परिवार करते हैं। अच्छी नस्ल की बकरियों की बजाय देसी नस्ल की बकरियाँ ज्यादा पाली जाती हैं। मवैया गाँव में मुर्गी पालन करने वाले 17 परिवार तथा लेवा गाँव में 14 परिवार हैं।</p>
<p>आधारभूतसंरचना/ अवस्थापना सुविधाएं (Infrastructural Facilities)</p>	<p>पंचायत अंतर्गत मवैया गाँव में बच्चों की शिक्षा के लिए एक कम्पोजिट विद्यालय है जो कक्षा 8 तक की शिक्षा के लिए है। मवैया एवं लेवा गाँव के बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं।</p> <p>मिनी सचिवालय/पंचायत भवन मवैया में मुख्य सड़क किनारे निर्मित है। यहाँ 2 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। पंचायत अंतर्गत सामुदायिक शौचालय, हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर, उप-स्वास्थ्य केन्द्र बने हैं एवं संचालित हैं। कृषि सभाग का ऑफिस भी है। मवैया गाँव में एक पोस्ट ऑफिस भी है। सामुदायिक भवन, लेवा गाँव में सड़क किनारे बना हुआ है। बिजली आपूर्ति की सुविधा है। दिन में कई बार कटौती होती है। सोलर लाइट का उपयोग नहीं किया जाता है।</p> <p>गाँव में बस्तियों के अंदर जहाँ बहुत सकरी गलियाँ हैं वहाँ पर इंटरलाकिंग इत्यादि नहीं है। कहीं-कहीं पर खड़ंजा से मार्ग बना है। चौड़े स्थानों पर आरसीसी/इंटरलाकिंग द्वारा सड़क बनाई गयी है।</p>
<p>स्वच्छता की स्थिति</p>	<p>पंचायत में स्वच्छता की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। विशेषतः अनुसूचित जाति बस्तियों के 30 से 40 घरों के आस-पास गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से स्वच्छता की स्थिति ज्यादा खराब है। इससे जल जनित रोग उत्पन्न होने, मौसमी बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया इत्यादि फैलने का खतरा ज्यादा है जिससे बच्चों के साथ ही वयस्क लोग भी प्रभावित होते हैं। मवैया नहर/माइनर के किनारे गंदगी पायी गयी। घरों में व्यक्तिगत शौचालय बने हैं और इसका उपयोग होता है। सामुदायिक शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध है।</p> <p>कूड़ा प्रबंधन की समुचित विधियों की जानकारी नहीं है एवं कूड़ा निस्तारण संरचना निर्मित नहीं है। कूड़ेदान (डस्टबिन) की व्यवस्था नहीं है। सार्वजनिक कूड़ा निस्तारण संरचना का निर्माण नहीं किया गया है। इसकी एक वजह ग्राम पंचायत के पास बजट/संसाधन का उपलब्ध नहीं होना भी है।</p> <p>मुख्य सड़क से नहर के किनारे स्थित अनुसूचित जाति की बस्तियों तक जाने के लिए सीधे संपर्क मार्ग नहीं है। पक्का रास्ता बस्ती के अन्दर से होकर निर्मित किया गया है तथा यह जमीन/खेत से लगभग 1.5 से 2 फीट ऊंचा होने एवं चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर के अनुकूल पर्याप्त चौड़ा नहीं होने से वहाँ तक चार पहिया वाहन नहीं पहुँच सकता है। वर्षा इत्यादि के समय आस-पास के खेतों में वर्षा जल का जमाव होता है। पानी जमा होने के कारण जल जनित बीमारियाँ/मौसमी बुखार इत्यादि की संभावना बढ़ जाती है।</p>

सामाजिक मानचित्रण (Social Mapping):

गाँव भ्रमण के पश्चात सामाजिक मानचित्रण किया गया। इस प्रक्रिया में संस्था टीम द्वारा उपस्थित लोगों को सोशल मैपिंग के बारे में समझाया गया तथा इसे बनाने के उद्देश्य के बारे में बताया गया। इसके लिए सर्वप्रथम प्रतिभागियों को मैप पर पूब, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं को दर्शाया गया। तत्पश्चात मुख्य सड़क, गाँव के अंदर के संपर्क मार्ग, गाँव की बस्तियां, जल निकाय क्षेत्र जैसे- नदी, नहर, जल भराव वाले स्थान, तालाब, कुआं, हैंडपम्प इत्यादि के साथ संसाधन सुविधा केन्द्र जैसे-मिनी सचिवालय/ पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी केन्द्र, सामुदायिक भवन, राशन वितरण केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, खेत-खलिहान, बाग-बगीचा इत्यादि को दर्शाया गया।

तत्पश्चात अलग-अलग रंगों से श्रेणीवार चीजों को दर्शाया गया। सभी प्रतिभागियों ने सक्रियता से इस कार्य में सहभागिता की और अपनी पंचायत का नक्शा बनाना उनके लिए भी एक अच्छा व सीखने योग्य अनुभव था।



जातिवर्ग अनुसार परिवारों की संख्या:

(जानकारी का स्रोत: स्थानीय समुदाय/पंचायत)

अनुसूचित जाति वाले परिवारों की संख्या:	338
अनुसूचित जनजाति वाले परिवारों की संख्या	0
पिछड़ी जाति वाले परिवारों की संख्या:	182
सामान्य जाति वाले परिवारों की संख्या:	130

खतरा, जोखिम, नाजुकता एवं क्षमता विश्लेषण:

मवैया ग्राम पंचायत एक मैदानी क्षेत्र है। यहाँ जाड़ा, गर्मी व बरसात ऋतुएँ होती हैं। जलवायु परिवर्तनशीलता के कारण इस ग्राम पंचायत में मौसम में परिवर्तन हुआ है। स्थानीय समुदाय के लोगों से बातचीत के आधार पर यह पाया गया कि कम वर्षा होने के कारण भूमिगत जल द्वारा सिंचाई की निर्भरता बढ़ी है। सिंचाई के लिए खेतों को पानी भी ज्यादा लगता है क्योंकि वर्षा के अभाव में खेतों की नमी नहीं बनी रहती है। लगभग 15 से 20 वर्ष पूर्व 15 जून के आसपास मानसून का आगमन हो जाता था अब मानसून कोई निश्चित नहीं है। तो किसान लोग सिंचाई के लिए तालाबों, नहरों में एकत्रित पानी को डीजल इंजन/पंपिंग सेट इत्यादि के द्वारा निकाला जाता है जिससे वायु प्रदूषण भी फैलता है।

जलजमाव इस ग्राम पंचायत की प्रमुख समस्या है। जो प्रत्येक वर्ष निचले खेतों की फसलों को नुकसान पहुंचाता है साथ ही जहां सड़क नीचे है जिसे स्थानीय स्तर पर 'छलका' कहा जाता है वहाँ पर भी वर्षा के समय अथवा बाढ़ इत्यादि के समय जल जमाव हो जाता है जिससे आवागमन बाधित होता है। जल निकासी का समुचित प्रबन्ध न होने से मवैया गाँव में अनुसूचित जाति के 20 से 25 घरों के आस-पास घरों से निकला गंदा पानी एकत्र हो जाता है। इससे संक्रामक बीमारियों का खतरा उत्पन्न हो जाता है।

वर्षा में कमी होने से खरीफ ऋतु में मुख्यतः बोयी जाने वाली फसल धान की पैदावार में उतार चढ़ाव देखा गया है जिसके प्रमुख कारकों में वर्षा जल में कमी के कारण खेतों में आवश्यक नमी का अभाव, बीज की प्रजाति में अंतर, सिंचाई के साधनों की अनुपलब्धता, कीट-पतंगों इत्यादि का प्रकोप भी है। ऐसी स्थिति में खरीफ एवं रबी फसलों की बुवाई में देरी होती है एवं उतना उत्पादन भी नहीं हो पाता है। वर्षा जल के अभाव के कारण पहले कृत्रिम साधनों द्वारा एक या दो बार सिंचाई करनी पड़ती थी जो अब 3 से 4 बार करनी पड़ती है। इससे न सिर्फ सिंचाई लागत बढ़ रही है बल्कि भू-गर्भ जल का दोहन बढ़ रहा, डीजल पम्पों द्वारा वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। पहले वर्षा पर्याप्त होने से पशुओं के लिए तालाबों, गड्ढों इत्यादि में पानी एकत्र हो जाता था जो उनके पीने के काम आता था जो अब उपलब्ध नहीं होता है। इससे पशुओं के लिए पीने के पानी के साथ-साथ हरे चारे की भी उपलब्धता कम हो गयी है।

जाड़े में ज्यादा ठण्ड पड़ने या शीतलहर चलने के दौरान खुले स्थान में रहने वाले जानवरों को बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। गर्मियों के दिनों में पानी की टंकियों का उपयोग बढ़ जाता है तथा जल स्तर नीचे चले जाने के कारण ज्यादातर हैंडपम्पों से पानी मिलना बन्द हो जाता है। पीने के पानी के लिए हैंडपम्पों की रिबोरिंग/मरम्मत करानी पड़ती है। पंचायत के लोगों से प्राप्त सूचना अनुसार औसतन 150 फीट तक बोरिंग के पश्चात ही अच्छा पीने योग्य पानी मिल पाता है। इस ग्राम पंचायत में जल निकासी न होने से जल जमाव एवं बाढ़ प्रमुख समस्याओं के रूप में चिन्हित किया गया।

मवैया में दो नहरें हैं। एक नहर पंचायत भवन से लगभग 100 मीटर दूर पूरब तरफ 'सिकठिया माइनर' है, दूसरी नहर पश्चिम तरफ लगभग 350 मीटर दूर स्थित है। नहरों में साफ-सफाई नहीं होने, कूड़ा-कचरे व गंदगी जमा होने के कारण टेल तक पानी नहीं पहुँच पाता है। वैकल्पिक रूप में पंपिंग सेटों से खेतों की सिंचाई की जाती है।

जलवायु परिवर्तनशीलता- प्रवृत्ति/परिवर्तनशीलता, मुख्य चुनौतियाँ/झटके एवं तनाव

स्थानीय समुदाय के साथ बातचीत के आधार पर जलवायु परिवर्तन की प्रवृत्ति एवं प्रमुख चुनौतियों को चिन्हित किया गया। चर्चा क्रम में लोगों द्वारा बताया गया कि लगभग 15 से 20 वर्ष पहले जब वर्षा अधिक होती थी तो वर्षा जल मुख्य सड़क के साथ ही साथ गाँव के स्कूल प्रांगण में भर जाता था। जल-जमाव के कारण आवागमन में काफी परेशानी होती थी। वर्तमान समय में उतनी वर्षा ही नहीं होती है। पहले लगभग 4 महीने वर्षा होती थी। यह जून माह के दूसरे/तीसरे सप्ताह से प्रारम्भ होती थी, जुलाई व अगस्त महीनों में ज्यादा वर्षा होती थी एवं सितम्बर महीने में समाप्त होती थी। जाड़े के समय में भी चक्रवाती वर्षा होती थी।

विगत 2 दशकों में काफी परिवर्तन हुआ है। अब वर्षा जुलाई महीने में नाममात्र की होती है एवं अगस्त व सितम्बर महीने में कुछ ही दिन वर्षा होती है और यह पर्याप्त नहीं होती है। गर्मी के दिनों की संख्या पहले की अपेक्षा बढ़ गयी है। वहीं जाड़े के दिनों की संख्या में कमी आई है। देर से मानसून आने के कारण वर्षा भी देर से होती है और अपर्याप्त होती है। अनिश्चित मानसून के कारण कृषि की उपज लागत बढ़ रही है और उस अनुरूप मुनाफे में कमी होती जा रही है।

जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं का विश्लेषण:

मवैया ग्राम पंचायत से लगभग 400 मीटर दूर चन्द्रप्रभा नदी है। मूसाखाड़ बाँध इस नदी पर बना है। वर्षा ऋतु में इस बाँध के द्वारा काफी पानी छोड़ा जाता है जिससे आस-पास क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। मवैया गाँव के कुछ हिस्से में नदी में बाढ़ के कारण खेतों में जल जमाव हो जाता है जिससे फसलों को नुकसान होता है।

आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व चन्द्रप्रभा नदी में अत्यधिक बाढ़ आई थी। इस कारण मवैया से होकर गुजरने वाली चक्रिया मुगलसराय मुख्य सड़क पर बहुत ज्यादा पानी भर गया था और बहाव इतना ज्यादा था कि उस समय एक जीप बाढ़ में बह गयी थी। उस समय मुख्य सड़क नीचे होने के कारण जल जमाव ज्यादा होता था एवं पानी निकासी का समुचित प्रबन्ध नहीं था। अब मुख्य सड़क ऊंची होने के कारण एवं पानी निकासी होने से सड़क किनारे स्थित स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र इत्यादि में पानी का जमाव नहीं होता है। लेकिन निचले खेतों में अभी भी जल जमाव होता है। विगत 5 वर्षों में कम वर्षा या नाममात्र की वर्षा होने के कारण बाढ़ इत्यादि की समस्या नहीं पायी गयी।

आपदा की पहचान एवं प्राथमिकीकरण के आधार पर पंचायत के लोगों को निम्नलिखित आपदाएँ प्रभावित करती हैं:

- बाढ़
- जल-जमाव
- सूखा
- लू
- शीतलहर
- आँधी-तूफान

खतरा एवं जोखिम से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण:

क्र. सं.	आपदा/ खतरे	संभावित जोखिम क्षेत्र	संभावित जोखिम प्रभावित क्षेत्र				प्रभाव को कम करने हेतु समुदाय के कदम
			जोखिम	आबादी	घर	संसाधन	
1.	बाढ़	कृषि	निचले इलाके वाले या जल भराव वाले क्षेत्र के खेतों को नुकसान, धान की फसल हानि होना	मवैया गाँव	50 घर	मवैया गाँव में चन्द्रप्रभा नदी से निकट के 50 घरों को नुकसान	कच्चे घरों की बजाय पक्के घरों का निर्माण व पानी निकासी हेतु प्रबंध करना। बांध द्वारा बाढ़ का नियंत्रण
2.		स्वास्थ्य	बाढ़/जल जमाव से मौसमी/ संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका	मवैया व लेवा गाँव	100 घर	मानव स्वास्थ्य को नुकसान	साफ-सफाई की व्यवस्था करना, सरकारी स्वास्थ्य विभाग से मदद लेना
3.		पशुपालन	बाढ़ से पशु हानि की संभावना, बाढ़ में पशुओं के बह जाने की संभावना	मवैया व लेवा गाँव	50 घर	बाढ़ में बहकर आए हुए मरे पशुओं के कारण बीमारी फैलने की आशंका	बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की बजाय पशुओं को संभावित अन्यत्र जगह बांधने की व्यवस्था
4.		आजीविका	कृषि आधारित आजीविका कमाने वाले परिवारों की आय में कमी होना	मवैया व लेवा गाँव	150 घर	अनुमानित 50 एकड़ धान की फसल को नुकसान पहुंचाना	फसल हानि के मुआवजे हेतु सरकारी तंत्र से अनुरोध करना, फसल बीमा कराये हुये लोगों द्वारा क्लेम करना।
5.	जल जमाव	कृषि	वर्षा जल जमाव से धान की फसल को नुकसान की संभावना।	मवैया व लेवा गाँव	30 से 40 घर	40 से 50 एकड़ धान की फसल को नुकसान	वर्षा जल जमाव के कारण पानी निकासी हेतु मुख्य सड़क के दोनों ओर नालों की समुचित साफ-सफाई।
6.		पेयजल स्वच्छता	पेयजल दूषित होना एवं कीचड़ इत्यादि के कारण गंदगी होना।	मवैया व लेवा गाँव	100 से 120 घर	10 हैण्डपम्प का पानी दूषित होना। गाँव के रास्ते/सड़क का क्षतिग्रस्त होना।	हैण्डपम्प के आस-पास गंदे पानी की निकासी का प्रबंध, एवं साफ-सफाई।
7.		स्वास्थ्य	जल जनित बीमारियों का खतरा जैसे-डायरिया, बुखार, फोड़ा-फुंसी इत्यादि रोग।	मवैया व लेवा गाँव	120 से 150 घर	प्रभावित घरों के सदस्य विशेषतः छोटे बच्चे, शिशु	डायरिया, बुखार इत्यादि बीमारियों की रोकथाम हेतु उपलब्ध दवाओं, घोल इत्यादि का प्रयोग करना।
8.	कम वर्षा/सूखा	कृषि	कृषि उत्पादन/कुल कृषि पैदावार में कमी	मवैया व लेवा गाँव	260 घर	अनुमानित 250 एकड़ खरीफ फसल का प्रभावित होना।	ग्राम पंचायत के तालाबों में पानी की उपलब्धता होना।

क्र. सं.	आपदा/ खतरे	संभावित जोखिम क्षेत्र	संभावित जोखिम प्रभावित क्षेत्र				प्रभाव को कम करने हेतु समुदाय के कदम
			जोखिम	आबादी	घर	संसाधन	
9.		भू-जल	भूजल पर निर्भरता बढ़ना एवं इसके अत्यधिक दोहन के कारण जल स्तर में कमी होना।	मवैया व लेवा गाँव	120 घर	15 हैण्डपम्प द्वारा घरों को समुचित जलपूर्ति न होना का निष्क्रिय होना।	रेनवॉटर रिचार्ज की व्यवस्था करना तालाबों की साफ-सफाई कर वर्षा जल संचयन करना।
10.		पशु पालन	पशुओं के लिए पानी का संकट, पशु चारे की समस्या	मवैया व लेवा गाँव	150 घर	गाय, भैंस एवं बकरी पर प्रभाव	पशुओं के लिए पानी हेतु निजी पंपिंग सेट का उपयोग, चारे का प्रबंध करना
11.		खाद्यान्न (अनाज आपूर्ति)	कम फसल उत्पादन के कारण खाद्यान्न संकट की संभावना	मवैया व लेवा गाँव	458 घर		सरकारी मदद (राशन वितरण प्रणाली) द्वारा या बाजार से मंहगे दर पर अनाज खरीदना।
12.		पर्यावरण	तापमान में वृद्धि एवं इससे संबन्धित अन्य पर्यावरणीय/ व स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ	मवैया व लेवा गाँव	-	मानव संसाधन के साथ पशुओं के स्वास्थ्य पर पर्यावरणीय बदलाव का नकारात्मक प्रभाव	वृक्षारोपण करना। दैनिक मजदूरी वाले कार्यों, खेतिहर मजदूरी कार्यों को ज्यादा धूप में करने से बचना।
13.		आजीविका	कृषि पर निर्भर कृषक मजदूर, छोटे/सीमांत किसानों की आजीविका ज्यादा प्रभावित होना	मवैया व लेवा गाँव	250 घर	खेतों में नमी कम होना, कृत्रिम सिंचाई के साधनों के उपयोग बढ़ने के कारण भूजल का दोहन बढ़ जाना।	वैकल्पिक रूप में मनरेगा कार्यों की मांग करना, दैनिक मजदूरी वाले कार्य ढूँढना।
14.	लू	स्वास्थ्य	मानव एवं जानवरों को लू लगना व बीमार होना	मवैया व लेवा गाँव	-	मानव एवं जानवर (गाय, भैंस, बकरी इत्यादी)	दोपहर में या ज्यादा तापमान होने पर आने-जाने, भारी श्रम वाले कार्यों नहीं करना।
15.	शीत लहर	कृषि	फसलों को नुकसान होना (आलू)	मवैया व लेवा गाँव	-	खेत में बोयी गयी आलू की फसल	-
16.		स्वास्थ्य	मानवीय स्वास्थ्य को नुकसान। पशु हानि की भी संभावना	मवैया व लेवा गाँव	250 घर	-	अलाव/आग इत्यादी के द्वारा शरीर गर्म रखना। पशुओं को खुले में नहीं बांधना
17.	आँधी-तूफान/ओला वृष्टि	कृषि व भौतिक संसाधन	भौतिक संसाधन को नुकसान, झुग्गी-झोपड़ी वाले परिवार	मवैया व लेवा गाँव	50 घर	चारा/भूसा की हानि होना। झोपड़ पट्टी वाले घरों की क्षति होना।	समय रहते हर संभव चारे/भूसे को सुरक्षित करना। झोपड़ पट्टी की मरम्मत करना।

आपदाओं का ऐतिहासिक समय रेखा एवं घटनाक्रम :

ग्राम पंचायत मवैया के पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्थानीय लोगों से विगत 15-20 वर्षों की आपदाओं का ऐतिहासिक समय रेखा जानने का प्रयास किया गया। चर्चा क्रम में कोई ऐसी आपदा नहीं चिन्हित हो पायी जो प्रत्येक वर्ष वहाँ के लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रही हो। जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप बरसात में उतार चढ़ाव, वर्षा में देरी, अनिश्चित मानसून या सूखे जैसी स्थितियों, बाढ़ आपदा, बीमारी इत्यादि से संबन्धित प्रमुख घटनाओं की जानकारी बातचीत द्वारा एकत्रित की गयी।

चर्चा में यह पाया गया कि किसी-किसी वर्ष ज्यादा बरसात होने पर मूसाखाँड़ बांध से पानी छोड़े जाने के कारण नदी किनारे वाले कुछ घर बाढ़ से प्रभावित होते हैं यद्यपि ऐसा प्रत्येक वर्ष नहीं होता। सूखे जैसी स्थिति होने के बावजूद अक्सर सरकारी स्तर पर इसे घोषित नहीं किया जाना एक प्रमुख मुद्दा है। इसके कारण फसल नुकसान के एवज में किसानों को मुवावजा नहीं मिल पाता है। कोरोना वैश्विक बीमारी का प्रकोप इस पंचायत के लोगों पर भी रहा जिसके कारण आजीविका सम्बन्धी सभी गतिविधियां प्रभावित रहीं। देशव्यापी लॉकडाउन के कारण लोग अपने-अपने घरों में बन्द रहे। इस कारण दैनिक मजदूरी पर निर्भर परिवार, छोटे किसान, प्राइवेट नौकरी-पेशा वाले लोग, छोटे दुकानदार की आजीविका अधिक प्रभावित हुई। प्राप्त सूचना अनुसार आपदाओं का विवरण इस प्रकार है :

क्रमांक	वर्ष	आपदा/खतरा	घटनाओं का कारण	मृतकों की संख्या	प्रभावित लोगों की संख्या	आर्थिक क्षति	न्यूनीकरण हेतु किया गया कार्य
1.	1981	सूखा	बारिश कम होना, जल संचय क्षेत्र पर अतिक्रमण	-	500	105 हेक्टेयर	कम वर्षा की स्थिति में कृषि सिंचाई हेतु निजी रूप से सब-मर्सिबल इत्यादि द्वारा सिंचाई।
2.	1985	आँधी-तूफान	प्राकृतिक असंतुलन	7	पूरा गाँव	25-30 एकड़ फसल का नुकसान। 15 से 20 झोपड़ी का नष्ट होना	कच्चे घरों की मरम्मत करना। तेज आँधी तूफान के दौरान जर्जर झोपड़ी इत्यादि से दूर रहना /सजग रहना।
3.	1995	ओलावृष्टि	मौसम की खराबी	-	पूरा गाँव	75-80 एकड़ गेहूँ व मटर की फसल को नुकसान	-
4.	1998	डायरिया का प्रकोप	गर्मी व गंदगी	5 से 8	मवैया गाँव	-	साफ-सफाई कराई गयी, डायरिया रोकथाम हेतु घरेलू उपचार करना।
5.	2020	कोरोना	कोरोना वायरस संक्रमण	2	पूरा गाँव	रोजगार बाधित होना, भरण पोषण समस्या	सरकारी आदेशों का अनुपालन करना। कोरोना से बचाव के तरीकों को अपनाना।
6.	2022	सूखा	बारिश कम होना	-	30 से 40 परिवार	लगभग 25 से 30 एकड़ फसल	-

आपदाओं का मौसमी कलेण्डर:

आपदा का नाम	जन.	फर.	मार्च	अप्रै.	मई	जून	जुला.	अग.	सित.	अक्टू.	नव.	दिस.
जल जमाव							■	■	■			
बाढ़							■	■	■			
सूखा						■	■	■				
लू					■	■						
शीतलहर	■											■
आँधी-तूफान					■	■						

जल-जमाव की समस्या नहर किनारे बसी बस्तियों में तथा उन घरों/स्थानों के आस-पास ज्यादातर नाली जाम होने या नाली में टूटी-फूटी होने के कारण पानी निकासी नहीं हो पाती है। विशेषतः बारिश के महीनों (जुलाई से सितंबर) में यह ज्यादा बढ़ जाती है। अत्यधिक बारिश होने पर नदी में बाढ़ आती है। बाढ़ का प्रकोप अगस्त एवं सितम्बर महीने में ज्यादा संभावित होता है। सूखे की आपदा मध्य जून से अगस्त तक होती है। जून व जुलाई महीने की बजाय अगस्त के अंतिम मस्राह या सितंबर महीने में कम वर्षा होने या नाममात्र की वर्षा होने से गले जैसी स्थिति हो जाती है। बारिश नहीं

बीमारी व स्वास्थ्य की स्थिति का मौसमी कलेण्डर:

बीमारी	जन.	फर.	मार्च	अप्रै.	मई	जून	जुला.	अग.	सित.	अक्टू	नव.	दिस.
सर्दी, जुकाम व खांसी												
मलेरिया												
टायफाइड/बुखार												
निमोनिया												
फोड़ा-फुंसी												
डायरिया व उल्टी दस्त												

बीमारी व स्वास्थ्य की स्थिति से संबंधित तालिका से देखने पर यह पता चलता है कि मौसमी बीमारियों का प्रकोप इस पंचायत में भी रहता है। विशेषतः जून महीने से लेकर सितम्बर/अक्तूबर महीने तक मौसमी बीमारियों का प्रकोप ज्यादा पाया गया। जाड़े के मौसम में भी निमोनिया, सर्दी, जुकाम, खांसी का प्रकोप पाया गया है।

फसल व रोग का मौसमी कलेण्डर:

फसल व रोग	जन.	फर.	मार्च	अप्रै.	मई	जून	जुला.	अग.	सित.	अक्टू	नव.	दिस.
खरीफ फसल चक्र												
धान								खैरा रोग	झुलसा रोग			
बाजरा								कीट		कीट		
अरहर	कुहरा										कुहरा	ओला/ कुहरा
रबी फसल चक्र												
गेंहूँ		तेज हवा	का असर									
आलू	कुहरा											ओला/ कुहरा
मटर												
चना		बाला रोग										
सरसों	माहो रोग	माहो रोग										

खरीफ फसल में मुख्यतः धान की फसल की रोपाई मध्य जून से जुलाई तक की जाती है और अक्तूबर मध्य तक फसल तैयार हो जाती है। धान की फसल में खैरा रोग एवं झुलसा रोग अगस्त व सितंबर महीने में लगता है। बाजरा मध्य जुलाई से मध्य नवंबर तक होता है। दलहनी फसल में अरहर की खेती सीमित रूप में की जाती है जिसकी समयावधि जुलाई मध्य से फरवरी मध्य तक होती है। रबी फसल में मुख्यतः गेंहूँ की फसल उगाई जाती है। इसके साथ ही आलू, मटर, चना एवं सरसों की भी खेती होती है। औसतन ये फसलें नवम्बर मध्य से दिसंबर तक में बोयी जाती हैं और मार्च महीने में तैयार हो जाती है। गेंहूँ की फसल पर तेज हवा, गर्मियों में बारिश व तेज हवा का विपरीत प्रभाव पड़ता है। आलू की फसल पर कोहरा/पाला का प्रभाव दिसंबर/जनवरी महीने में होता है। सरसों में माहो रोग ज्यादातर लगता है। बाजार में उपलब्ध कीटनाशक का उपयोग किसानों द्वारा किया जाता है।

आपदाओं का प्राथमिकीकरण:

आपदा	प्रभाव का क्षेत्र							योग
	मानव	पशु	खेती	आजीविका	पशुचारा	मकान	सड़क	
जल-जमाव	9	5	7	5	5	6	5	42
बाढ़	8	6	9	8	7	0	0	38
सूखा	7	4	6	4	4	3	4	32
लू	6	5	2	4	6	0	0	23
शीतलहर	8	5	3	4	0	0	0	20
आँधी तूफान	5	2	4	0	0	4	0	15

उपरोक्त तालिका के आधार पर इस पंचायत में जल-जमाव पहले नंबर की आपदा है क्योंकि बस्तियों के बीच में खेत हैं और पानी निकासी का प्रबंध समुचित नहीं है। किसी-किसी वर्ष ज्यादा बरसात होने पर नदी में बाढ़ आती है जिससे कारण किनारे पर बसे घरों/बस्तियों को ज्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। मानसून देरी से आने, पूर्व के वर्षों की अपेक्षा कम वर्षा, वर्षा ऋतु की समाप्ति वाले महीने (सितम्बर) में थोड़े दिनों के लिए किन्तु ज्यादा वर्षा जैसे स्थितियाँ सूखा की स्थिति उत्पन्न करती हैं जिससे कृषि को काफी नुकसान पहुंचता है। अपर्याप्त वर्षा/सूखा के कारण भू-जल स्तर भी नीचे खिसक रहा है। अंको के आधार पर सूखा तीसरे नंबर की आपदा है। इसी क्रम में लू चौथे नंबर की, शीतलहर पांचवें नंबर की और आँधी-तूफान छठवें नंबर की आपदा चिन्हित की गयी।

नाजुकता विश्लेषण:

आपदा के प्राथमिकीकरण के पश्चात इसके न्यूनीकरण हेतु नाजुकता का विश्लेषण महत्वपूर्ण है जिससे विभिन्न आपदाओं/खतरों का कितना प्रभाव है और किन क्षेत्रों और वर्गों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, इसको जाना जा सके। इसके साथ ही उपलब्ध संसाधन को चिन्हित करना जरूरी है। पंचायत के विभिन्न हितभागियों जैसे-प्रधान, सचिव, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, आशाइत्यादि से चर्चा कर नाजुक वर्ग, स्थल एवं आपदा के कारण प्रभावित होने वाले क्षेत्रों एवं वर्गों के साथ ही उपलब्ध संसाधनों के बारे में जानकारी एकत्र की गयी जो नीचे तालिकामें दी गयी है।

खतरा	घर/खेती		नाजुकता संवर्ग एवं उनकी संख्या			
	क्षेत्र	संख्या	लोग/समुदाय		संसाधन	
			वर्ग	संख्या	प्रकार	संख्या
जल जमाव	खेती	40 से 50 एकड़ खेती	छोटे/ सीमांत किसान	50 से 60 घर	नहर	2
	आजीविका (कृषि/ पशुपालन)	1 गाँव	छोटे किसान/ गरीब परिवार	150 घर	पशु खेतिहर मजदूर	-
	स्वच्छता एवं स्वास्थ्य	2 गाँव	बच्चे, वयोवृद्ध दिव्यांग	30 घर	नाला तालाब	1 8
बाढ़	खेती	50 से 60 एकड़ खेती	छोटे/ सीमांत किसान	50 घर	नदी तालाब	1 1
	आजीविका	2 गाँव	पशुपालक दिहाड़ी मजदूर	200 घर	गाय, भैंस, बकरी	-

	स्वच्छता एवं स्वास्थ्य	2 गाँव	बच्चे, वयोवृद्ध व दिव्यांग	300 घर	नदी	1
सूखा	खेती	2 गाँव	छोटे किसान	लगभग 250 घर	तालाब गड्ढे	08 02
	पेयजल	02 गाँव	60% आबादी	लगभग 150 घर	हैण्डपम्प	30
	आजीविका	02 गाँव	कृषि आधारित दैनिक मजदूर/ पशुपालक	लगभग 350 घर	-	-
लू	स्वास्थ्य	2 गाँव	पूरी आबादी	450 घर	मानव संसाधन पशुधन (गाय, भैंस, बकरी)	-
ओलावृष्टि/ आँधी तूफान	फसल	2 गाँव	किसान	250 घर	-	-

क्षमता आकलन:

आपदाओं के कारण होने वाले संभावित नुकसान को कम करने के दृष्टिकोण से पंचायत में उपलब्ध संसाधनों को वहाँ के स्थानीय समुदाय से मिलकर चिन्हित किया गया जिससे क्षमता का आकलन किया जा सके। संसाधनों को भी श्रेणीवार तरीके से अलग-अलग चिन्हित किया गया। भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधन को सामाजिक मानचित्रण में भी चिन्हित किया गया। साथ ही मानवीय संसाधन एवं वित्तीय संसाधन संबंधी सूचनों/आंकड़ों को चर्चा के माध्यम से एकत्र किया गया। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य स्थानीय समुदाय को आपदा के समय उपलब्ध संसाधनों के प्रति जानकारी साझा करना एवं संबन्धित व्यक्तियों/संसाधनों की उपयोगिता के प्रति सजग करना था। इस सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं को नीचे दी गयी तालिका में संकलित किया गया है जो इस प्रकार है।

पंचायत में उपलब्ध संसाधनों की सूची

संसाधन के प्रकार	उपलब्ध संसाधन	संख्या	संपर्क व्यक्ति का नाम व नंबर	गाँव से दूरी
भौतिक संसाधन	मिनी सचिवालय / पंचायत भवन	01	संजय कुमार (प्रधान) मोबाइल नं: 9410853064	0 किमी
	आंगनवाड़ी केन्द्र मवैया-प्रथम	01	रामगीता देवी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री	0 किमी
	आंगनवाड़ी केन्द्र मवैया-द्वितीय	03	उर्मिला यादव आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री	1.0 किमी
	कम्पोजिट विद्यालय, मवैया	01	जितेन्द्र तिवारी-प्रधानाध्यापक मोबाइल नं: 8299318998	0 किमी
	सामुदायिक शौचालय	01	केयर टेकर /संचालक	0.3 किमी
	मंदिर	02	-	0.5 किमी

	उप-स्वास्थ्य केन्द्र	01	संजू भारती-ANM मोबाइल नं: 7839756552	0.5 किमी
	हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर	01	डॉक्टर/काउन्सलर	0.3 किमी
	सामुदायिक केंद्र, लेवा	01	प्रधान, मोबाइल नं: 9410853064	0.8 किमी
	सार्वजनिक राशन वितरण	01	काशी प्रसाद- कोटेदार	0.3 किमी
	कृषि संभाग कार्यालय	01	संतोष कुमार सिंह	0.4 किमी
प्राकृतिक संसाधन	तालाब	05	-	0.5 किमी
	गड्ढे	02	-	0 किमी
	नाला	0	-	0.3 किमी
	नहर	02	-	1 किमी
	कृषिगत क्षेत्र	-	-	0 किमी
	बाग	03	-	0 किमी
मानव संसाधन	प्रधान	01	संजय कुमार मो. नं.: 9410853064	0 किमी
	ग्राम पंचायत अधिकारी	01	अश्वनी कुमार मो. नं.: 6386889237	0 किमी
	पंचायत सहायक	01	रोशनी मो. नं.: 7309387835	0 किमी
	ग्राम रोजगार सेवक	01	निर्जला मो. नं.: 8887626162	0 किमी
	लेखपाल	01	अनिल सोनकर मो. नं.: 7905492020	12 किमी
	आशा (मवैया)	01	सरोज मो. नं.: 8188085762	0 किमी
	आशा (लेवा)	01	प्रमिला देवी मो. नं.: 9793524259	1.0 किमी
	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री (मवैया प्रथम)	01	रामगीता देवी मो. नं.: 8922023987	0.2 किमी
	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री (मवैया द्वितीय)	01	उर्मिला यादव मो. नं.: 6388291433	0.2 किमी
	ए.एन.एम.	01	संजू भारती मो. नं.: 7839756552	1 किमी
	प्रधानाध्यापक-कम्पोजिट विद्यालय-मवैया	01	जितेन्द्र कुमार उपाध्याय मो. नं.: 8299318998	0.3 किमी
	कृषि अधिकारी (कृषि संभाग कार्या.)	01	संतोष कुमार सिंह	0.4 किमी

वित्तीय संसाधन विवरण:

ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	मद का नाम	वर्ष (2022-23) में आवंटित धनराशि	वर्ष 2023-24 के लिए संभावित धनराशि
1.	15वाँ वित्त आयोग	450,000.00	-
2.	मनरेगा	-	-
2.	स्वयं के राजस्व का स्रोत (ओ.एस.आर.)	0	-

संसाधन मैट्रिक्स/सेवा-सुविधा चित्रण

इसी क्रम में पंचायत सीमा से बाहर उपलब्ध सेवा एवं सुविधादाताओं की सूची तैयार की गयी जिससे आपदा के दौरान इनकी मदद से आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके। साथ ही आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा के पश्चात की स्थिति में इनका उपयोग किया जा सके एवं आवश्यकता पड़ने पर और अधिक क्षमतायुक्त किया जा सके। संसाधन मैट्रिक्स से प्राप्त सूचनाओं का विवरण नीचे तालिका उल्लेखित है-

संसाधन विवरण	कुल संख्या	गाँव से दूरी
जिला मुख्यालय (चन्दौली)	1	35 किमी
तहसील मुख्यालय (चकिया)	1	12 किमी
जिला अस्पताल, चन्दौली	1	35 किमी
पुलिस स्टेशन (थाना)-बबुरी, चकिया विकास खण्ड	1	4.5 किमी
पावर हाउस (चकिया)	1	12 किमी
बस स्टैंड (चकिया बाजार)	1	12 किमी
रेलवे स्टेशन-पं० दीनदयाल उपाध्याय (मुगलसराय)	1	20 किमी
पेट्रोल पम्प (इंडियन आयल)	1	4.5किमी
राज्य मार्ग	1	0 किमी
राष्ट्रीय राज्य मार्ग (NH-19)	1	20 किमी
स्थानीय बाजार, चौराहा	1	05 किमी
सब्जी मण्डी (स्थानीय हाट)	1	02 किमी
सहज सेवा केंद्र	2	05 किमी
डिग्री कालेज	1	13 किमी
इंटरमीडियट कालेज	2	13 किमी

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना निर्माण के लिए पंचायत स्तर पर खुली बैठक के माध्यम से समस्याओं को चिन्हित किया गया एवं प्राथमिकता तय की गयी। ग्राम पंचायत के दोनों राजस्व गांवों में भ्रमण कर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों/जल निकाय क्षेत्रों जैसे-नदी,तालाब, कुओं इत्यादि का स्थलीय निरीक्षण किया गया जिससे इनकी वर्तमान स्थिति को समझा जा सके। जल निकाय क्षेत्रों की स्थिति में सुधार के साथ ही साथ प्राथमिकता वाले अन्य कार्यों को शामिल करने हेतु विभिन्न हितभागियों से संपर्क किया गया।

उक्त आधार पर प्रस्तावित कार्ययोजना इस प्रकार है-

क्र. सं	कार्यका क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य विवरण	परिसंपत्ति का स्थान	अनुमानित व्यय (रु. में)	प्रस्तावित अवधि	योजना हेतु वित्तीय स्रोत
1.	मानव विकास, सामाजिक सुरक्षा, साफ-सफाई और स्वच्छता	सड़क/ जल भराव स्थानों का उच्चीकरण	जल भराव वाले क्षेत्रों को ऊंचा करना। पूर्व प्रधान के घर से 'छलका' तक। माप/ लम्बाई: (लगभग 150 मीटर)	पंचायत की मुख्य सड़क पर (चकिया मुगलसराय मार्ग)	450,000	मई से जुलाई-2023	15वां वित्त आयोग/ अन्य स्रोत
2.		पानी निकासी हेतु पाइप लगाना	अधिक वर्षा या बाढ़ जैसी स्थिति में पानी निकासी हेतु मुख्य सड़क के दोनों ओर चौड़े पाइप लगाना। (लम्बाई: 200 मी०)	पंचायत की मुख्य सड़क के किनारे	375,000	मई से जुलाई-2023	15वां वित्त आयोग/ अन्य स्रोत
3.		सार्वजनिक कूड़ा निस्तारण संरचना निर्माण कार्य	कूड़ा के समुचित निस्तारण हेतु सार्वजनिक कूड़ा निस्तारण संरचना निर्माण कार्य	ग्राम सभा की उपलब्ध भूमि पर-1	250,000	अक्टूबर से दिसंबर-2023	15वां वित्त आयोग एस.बी.एम.-G/ अन्य स्रोत
4.		कूड़ेदान (डस्टबिन) को उपलब्ध कराना	कम्पोजिट स्कूल, आंगनवाड़ी, हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर, इत्यादि सार्वजनिक जगहों से कूड़ा एकत्रित एवं इसके समुचित निस्तारण हेतु कूड़ेदान (डस्टबिन) की व्यवस्था करना	मवैया गाँव में (लगभग 10 जगहों पर)	150,000	जनवरी 2023 से मार्च-2024	15वां वित्त आयोग एस.बी.एम.-G/ अन्य स्रोत
5.		नाली निर्माण कार्य	रमजान दर्जी के घर से टीकर चौबे के घर तक (लम्बाई: 180 मी०)	दर्जियान बस्ती, मवैया	675,000	अप्रैल 2023 से मार्च 2024	अन्य स्रोत

क्र. सं.	कार्यका क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य विवरण	परिसंपत्ति का स्थान	अनुमानित व्यय (रु. में)	प्रस्तावित अवधि	योजना हेतु वित्तीय स्रोत
6.		नाली निर्माण कार्य	जय प्रकाश चमार के घर से अजय चौकीदार के घर तक नाली निर्माण कार्य (लम्बाई: 100 मी.)	मवैया गाँव	350,000	अप्रैल 2023 से मार्च 2024	अन्य स्रोत
7.		नाली निर्माण कार्य	आंगनवाड़ी केन्द्र से काशीनाथ यादव के घर तक नाली निर्माण (लम्बाई: 125 मीटर)	मवैया गाँव	437,500	अप्रैल 2023 से मार्च 2024	अन्य स्रोत
8.		नाली निर्माण कार्य	राम प्रकाश पाण्डेय के घर से श्रीधर पाण्डेय के घर तक नाली निर्माण (लम्बाई: 200 मी.)	मवैया गाँव	700,000	अप्रैल 2023 से मार्च 2024	अन्य स्रोत
9.		नाली निर्माण कार्य	वकील अहमद के घर से नेमत सोनकर के घर तक नाली निर्माण (लम्बाई 220 मीटर)	मवैया गाँव	750,000	अप्रैल 2023 से मार्च 2024	अन्य स्रोत
10.		नाली निर्माण कार्य	अमरनाथ पाठक के घर से जियालाल पाठक के घर तक नाली निर्माण (लम्बाई: 110 मी.)	मवैया गाँव	385,000	अप्रैल 2023 से मार्च 2024	अन्य स्रोत
11.		व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कार्य	क्षतिग्रस्त हो चुके शौचालयों या जरूरतमन्द परिवारों के लिए व्यक्तिगत शौचालय निर्माण	मवैया एवं लेवा गाँव में - 40 घर	600,000	अक्तूबर से दिसंबर-2023	एस.बी.एम-G/ अन्य स्रोत
12.		शौचालय मरम्मत कार्य	आंगनवाड़ी केन्द्र में शौचालय का मरम्मत कार्य	मवैया प्रथम आंगनवाड़ी केन्द्र, मवैया	25,000	जून व जुलाई-2023	एस.बी.एम-G/ अन्य स्रोत
13.		सोखता गड्ढा निर्माण कार्य	जलभराव वाले स्थानों/ घरों के पास गन्दे पानी की समुचित निकासी हेतु सोखता गड्ढा निर्माण कार्य (ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित स्थानों/लाभार्थियों के अनुसार)	मवैया गाँव में- 50 सोखता गड्ढा	625,000	अप्रैल 2023 से मार्च-2024	15वां वित्त आयोग/ मनरेगा/ अन्य स्रोत

क्र. सं.	कार्यका क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य विवरण	परिसंपत्ति का स्थान	अनुमानित व्यय (रु. में)	प्रस्तावित अवधि	योजना हेतु वित्तीय स्रोत
14.	बुनियादी/ आधारभूत संरचना एवं पर्यावरण	तालाब में जलभरण हेतु कच्ची चौड़ी नाली (रजबहा) निर्माण कार्य	काली माता मन्दिर के सामने तालाब में नहर द्वारा पानी भरने हेतु कच्ची चौड़ी नाली बनाना व सफाई कार्य (लम्बाई: 700 मी०)	सामुदायिक भवन के पास, लेवा	350,000	अप्रैल से जून-2023	मनरेगा/ अन्य स्रोत
15.		तालाब की गहरी खुदाई एवं साफ-सफाई कार्य	अमरनाथ चौबे के खेत के पास तालाब की गहरी खुदाई कार्य (क्षेत्रफल: 3.5 बीघा)	सामुदायिक भवन के पास, लेवा	175,000	अप्रैल से जून-2023	मनरेगा/ अन्य स्रोत
16.		तालाब की गहरी खुदाई एवं साफ-सफाई कार्य	बासुदेव बियार के घर के पास तालाब की गहरी खुदाई एवं साफ-सफाई कार्य (क्षेत्रफल: 3.5 बीघा)	सामुदायिक भवन के पास, लेवा	190,000	अप्रैल से जून-2023	मनरेगा/ अन्य स्रोत
17.		कुओं का पुनरुद्धार करना	जलस्रोतों के पुनरुद्धार हेतु खुले कुओं की साफ-सफाई, मरम्मत/ व घेराबंदी कार्य।	मवैया गाँव में स्थित कुल 3 कुओं की सफाई	120,000	अप्रैल से जून-2023	मनरेगा/ अन्य स्रोत
18.		कुओं का पुनरुद्धार करना	जलस्रोतों के पुनरुद्धार हेतु खुले कुओं की साफ-सफाई, मरम्मत/ व घेराबंदी कार्य।	लेवा गाँव में स्थित कुल 2 कुओं की सफाई	80,000	अप्रैल से जून-2023	मनरेगा/ अन्य स्रोत
19.		रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम निर्माण	वर्षा जल संचयन के हेतु रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम	कम्पोजिट विद्यालय, मवैया-1	110,000	जुलाई से सितं० 2023	मनरेगा/ 15वां वित्त आयोग/ अन्य स्रोत
20.		रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम	वर्षा जल संचयन के लिए रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण कार्य	पंचायत भवन/ मिनी सचिवालय मवैया-1	110,000	जुलाई से सितं० 2023	मनरेगा/ 15वां वित्त आयोग/ अन्य स्रोत
21.		माइनर/ नहर की गहरी खुदाई एवं साफ-सफाई कार्य	लेवा एवं मवैया गाँव में कृषि सिंचाई हेतु 'सिकठिया माइनर' की खुदाई, साफ-सफाई (लम्बाई: 750 मी०)	पंचायत भवन, मवैया से लगभग 100 मी० पश्चिम तरफ	350,000	अप्रैल से मई-2023	मनरेगा/ सिंचाई विभाग के तहत अनुमान्य बजट/ अन्य स्रोत
22.		माइनर/ नहर की गहरी खुदाई एवं साफ-सफाई कार्य	कृषि सिंचाई हेतु 'मवैया माइनर' की खुदाई / साफ-सफाई कराना। (लम्बाई: 750 मी०)	पंचायत भवन, मवैया से लगभग 300 मी० पूरब तरफ	350,000	अप्रैल से मई-2023	मनरेगा/ सिंचाई विभाग के तहत अनुमान्य बजट/ अन्य स्रोत

क्र. सं	कार्यका क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य विवरण	परिसंपत्ति का स्थान	अनुमानित व्यय (रु. में)	प्रस्तावित अवधि	योजना हेतु वित्तीय स्रोत
23.		सार्वजनिक वृक्षारोपण कार्य	ग्राम पंचायत की उपलब्ध भूमि/ सड़क किनारे, तालाब के आस-पास वृक्षारोपण पर वृक्षारोपण कार्य	मवैया एवं लेवा में	60,000	जुलाई व अगस्त-2023	मनरेगा/ अन्य स्रोत
24.		हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	पेयजल की उपलब्धता हेतु खराब पड़े हैण्डपम्प की मरम्मत कार्य	मवैया- 12 हैण्डपम्प लेवा- 8 हैण्डपम्प	200,000	अप्रैल से जून- 2023	15वां वित्त आयोग/ अन्य स्रोत
25.		नया हैण्डपम्प लगाना	पेयजल की उपलब्धता हेतु नया हैण्डपम्प लगाना।	गोंड बस्ती, मवैया गाँव में- 1	90,000	अप्रैल से जून- 2023	अन्य स्रोत
26.		पाइप वॉटर सप्लाई हेतु आवश्यक संरचना निर्माण	घरेलू उपयोग के लिए पाइप वॉटर के द्वारा जल आपूर्ति की व्यवस्था करना	मवैया में एवं लेवा गाँव में	25,00,000	अप्रैल 2023 से मार्च 2024	जल जीवन मिशन/अन्य स्रोत
27.		सार्वजनिक सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइट लगाना	नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक जगहों पर सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाइट लगाना	मवैया गाँव में 15 स्थानों पर लेवा गाँव में 10 स्थानों पर	625,000	अक्टूबर 2023 से मार्च 2024	अन्य स्रोत
28.		घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा आधारित इकाई लगाना	घरेलू ऊर्जा की आपूर्ति हेतु सौर ऊर्जा इकाई (सोलर पैनल की स्थापना)	मवैया में: 75 लेवा में: 50	62,50,000	जुलाई से दिसम्बर 2023	अन्य स्रोत
29.		विद्यालय में 'मिड डे मील' शोड का निर्माण	विद्यालय में 'मिड डे मील' वाले स्थान पर शोड का निर्माण।	कम्पोजिट विद्यालय मवैया में-1	150,000	मई व जून- 2023	अन्य स्रोत
30.		विद्यालय में इन्सिनरेटर की स्थापना (ऑटोमैटिक)	इस्तेमाल किए गए सैनीटरी पैड एवं कूड़ा जलाने/ निस्तारण के लिए इन्सिनरेटर	मवैया के कम्पोजिट विद्यालय में-1	125,000	मई व जून- 2023	एस.बी.एम-G/अन्य स्रोत
31.	आजीविका, कृषि/ पशुपालन	जैविक खाद बनाने हेतु संरचना इकाई का निर्माण कार्य	रासायनिक उर्वरक के प्रयोग को कम करने हेतु गोबर से जैविक खाद बनाने, वर्मी कम्पोस्ट बनाने हेतु संरचना निर्माण कार्य	मवैया ग्राम पंचायत में उपलब्ध ग्राम सभा की भूमि	95,000	जनवरी 2023 से मार्च-2024	मनरेगा कृषि विभाग के तहत अनुमन्य बजट/ अन्य स्रोत
32.		उर्वरक केंद्र की स्थापना करना	रासायनिक उर्वरक की उपलब्धता हेतु उर्वरक केंद्र बनाना	मवैया में पहले निर्मित व जर्जर भवन के स्थान	450,000	अक्टूबर 2023 से मार्च-2024	अन्य स्रोत

क्र. सं.	कार्यका क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य विवरण	परिसंपत्ति का स्थान	अनुमानित व्यय (रु. में)	प्रस्तावित अवधि	योजना हेतु वित्तीय स्रोत
33.		गौशाला/ आवारा पशु आश्रय का निर्माण	गौशाला के द्वारा आवारा पशुओं के लिए समुचित चारे की व्यवस्था करना। इनसे होनी वाली फसल हानि की रोकथाम करना।	मवैया ग्राम सभा की उपलब्ध जगह पर	550,000	मई व जून-2023	अन्य स्रोत
34.		गोबर गैस संयंत्र की स्थापना करना	वैकल्पिक ईंधन स्रोत के लिए बायोगैस संयंत्र की स्थापना करना।	पंचायत स्तर पर ग्राम सभा की उपलब्ध भूमि पर	450,000	अप्रैल से जून-2023	अन्य स्रोत
35.		नर्सरी लगाना	आजीविका सृजन हेतु स्वयं सहायता समूहों के जरिये नर्सरी लगाना।	इच्छुक एसएचजी सदस्यों की निजी भूमि पर	150,000	जून व जुलाई 2023	NRLM व अन्य वित्तीय संस्थान
36.		पशुपालन एवं डेयरी उद्योग	आजीविका सृजन हेतु स्वयं सहायता समूहों के जरिये/ व्यक्तिगत रूप से पशुपालन एवं डेयरी उद्योग लगाना।	स्वयं सहायता समूह सदस्यों के पास उपलब्ध भूमि पर	450,000	अक्टूबर से दिसंबर 2023	NRLM व अन्य वित्तीय संस्थान
37.		फूलों की खेती को प्रोत्साहन	आजीविका हेतु फूलों की खेती (गेंदा, गुलाब, चमेली इत्यादि) के साथ नवीन कृषि प्रजातियों को बढ़ावा देना।	मवैया एवं लेवा गाँव के इच्छुक लाभार्थियों की निजी भूमि पर	150,000	जुलाई से सितंबर-2023	NRLM व अन्य स्रोत
38.		फलोद्यान को प्रोत्साहन	आजीविका हेतु फलदार वृक्षों (जैसे- पपीता, नींबू आम, अमरूद इत्यादि) लगवाना	मवैया एवं लेवा गाँव के इच्छुक लाभार्थियों की निजी भूमि पर	250,000	जुलाई से सितंबर-2023	NRLM व अन्य स्रोत
39.		कुटीर उद्योगों की स्थापना।	एफ.पी.ओ. / NRLM के तहत गठित ग्राम संगठन के माध्यम से कुटीर उद्योगों की स्थापना। (मसाला, अगरबत्ती, अनाज /दलिया पैकिंग, इत्यादि लगाना)	स्वयं सहायता समूह सदस्यों के पास उपलब्ध भूमि पर	250,000	जनवरी 2023 से मार्च-2024	नाबार्ड, कृषि विभाग व अन्य सम्बद्ध विभाग व संस्थान/अन्य स्रोत

आपदा का आजीविका पर प्रभाव:

क्र. सं.	आजीविका के साधन	परिवार की संख्या	आपदा	आपदा का प्रभाव			क्या प्रभाव पड़ता है
				अधिक	मध्यम	कम	
1.	कृषि	60परिवार	जल जमाव				<ul style="list-style-type: none"> • धान की खड़ी फसल को नुकसान होना। • जल जमाव वाले खेतों में खरीफ की फसल का कम उत्पादन होना। • धान की फसल में रोग इत्यादि लगाने की संभावना। • जल भराव वाले खेतों में रबी वाली फसल(गेंहूँ) की बुआई में देरी होने की संभावना।
2.		50 परिवार	बाढ़				<ul style="list-style-type: none"> • बाढ़ के कारण खरीफ की फसल को नुकसान होना। • अधिया/बटाई या किराये की भूमि पर खेती करने वाले परिवारों को अधिक नुकसान • ज्यादा समय तक बाढ़ के पानी जमा होने से रबी सीजन वाली फसलों की बुआई में देरी होना • फसलों को रोग लगने व कम उत्पादन होने की संभावना।
3.		250 परिवार	सूखा				<ul style="list-style-type: none"> • फसल हानि या कम फसल, उत्पादन में कमी होना। • कृषि सिंचाई की लागत में वृद्धि होना उत्पादित खाद्यान्न (अनाज) की गुणवत्ता में कमी होना। • छोटे एवं सीमांत किसानों (अधिया/बटाई) पर खेती करने वालों को ज्यादा नुकसान।
		15 परिवार	शीतलहर				<ul style="list-style-type: none"> • शीत ऋतु में पाला पड़ने के कारण आलू के कुल उत्पादन में कमी होना, फसल हानि होना • रबी सीजन वाली फसलों में कृषि सिंचाई करने में परेशानी
4.	दैनिक मजदूरी	350 परिवार	सूखा				<ul style="list-style-type: none"> • कृषि मजदूरी वाले कार्यों में कमी होना, फलस्वरूप आय में कमी • कृषिगत मजदूरी के अतिरिक्त अन्य दैनिक मजदूरी वाले कार्यों की पर्याप्त

					<ul style="list-style-type: none"> उपलब्धता नहीं होना खाद्यान्य संकट/कमी के कारण बाजार से खरीदने की विवशता एवं घरेलू खर्च में वृद्धि होना।
	50 परिवार	बाढ़			<ul style="list-style-type: none"> मजदूरी के लिए गाँव से बाहर आवागमन में परेशानी होना। कार्यस्थल में पानी भर जाने, जल भराव की आशंका। दुकान इत्यादि में रखे सामान/अनाज इत्यादि खराब होने की संभावना।
	220 परिवार	शीतलहर			<ul style="list-style-type: none"> ठंड लगने से से अचानक स्वास्थ्य खराब होना दैनिक मजदूरी वाले कार्यों में कमी होना एवं आय में कमी। आवागमन कम होना एवं व्यापार प्रभावित होना।
पशुपालन (गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी पालन)	150 परिवार	सूखा			<ul style="list-style-type: none"> पशुओं के लिए हरे चारे की उपलब्धता में कमी होना। तालाबों/जलस्रोतों के सूख जाने से पशुओं के लिए पीने के पानी का संकट उत्पन्न होना। तापमान बढ़ने के कारण बीमारियों संक्रामक रोगों से पशु हानि की संभावना होना। दुध उत्पादन में कमी होना। मुर्गी पालन व्यवसाय में चूजे मर जाना
	350 परिवार	शीतलहर			<ul style="list-style-type: none"> ठण्ड के कारण खुले में बंधे पशुओं की मृत्यु हो जाना। दुध उत्पादन में कमी होना। बकरी पालन व्यवसाय में ठण्ड एवं बीमारी के कारण हानि की ज्यादा संभावना। ज्यादा ठण्ड में मुर्गी पालन में चूजों की मृत्यु हो जाती है।
स्वयं का व्यवसाय / छोटी दुकान	15 परिवार	शीतलहर			<ul style="list-style-type: none"> दैनिक मजदूरी पर निर्भर ज्यादातर परिवारों की आय में कमी होने से गांवों की छोटी दुकानों से कम खरीद होती है मौसमी प्रभाव के कारण शीतलहर में व्यवसाय मन्द पद जाता है।

क्लाइमेट स्मार्ट मॉडल:

सहभागी पूर्ण कार्ययोजना निर्माण के तहत क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिए पाँच बिन्दुओं पर समुदाय के द्वारा विशेष रूप से केन्द्रित किया गया जिससे कि ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट बनाने में सहायता मिल सके-

1. मौसम केन्द्रित-

- मौसम के पूर्वानुमान के सम्बन्ध में ग्रामीणों विशेषरूप से जोखिमपूर्ण स्थितियों में जीवन यापन कर रहे परिवारों की समय-समय पर क्षमता निर्माण करना जिससे मौसम में हो रहे बदलाव व उसके प्रभाव को पूर्व तैयारी के द्वारा कम किया जा सके ।
- मौसम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित कृषि सलाहकार का नियोजन करना ।
- आघात सहन करने वाली फसलों (मोटे अनाज वाली फसलों) को बढ़ावा देना जिससे खरीफ, रबी व जायद में इसके अनुरूप फसलों का चयन कर आपदा विशेषकर सूखा जैसी प्रमुख आपदाओं की स्थितियों में हो रहे नुकसान को कम किया जा सके ।

2. जल केन्द्रित-

- विभिन्न तरीकों से वर्षा जल का संचयन करना जिससे जल का संरक्षण किया जा सके और वर्ष दर वर्ष भूजल के अतिदोहन के कारण गिरते भू-जल स्तर में वृद्धि करने में सहायक हो सके ।
- जल संसाधनों की बेहतर सफाई व गहरा कर पानी के ठहराव को लंबे समय के इस्तेमाल के लिए संरक्षित करना जिससे कम वर्षा या सूखे की स्थिति में उसका उपयोग सिंचाई व पशुओं के लिए पानी पीने आदि में किया जा सके ।
- घर से निकलने वाले गन्दे पानी व मलजल का उपयोग खेती व पोषण वाटिका इत्यादि में करना एवं इस हेतु किसानों/स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करना ।
- सिंचाई में नयी तकनीकी जैसे फ्रैवारा विधि (ड्रिप इरिगेशन) को अपनाना जिससे सिंचाई में लगने वाली लागत के साथ ही पानी की खपत को भी कम किया जा सके ।

3. कृषि केन्द्रित

- विभिन्न तकनीकों के द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देना । पारंपरिक खेती के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे-मिश्रित खेती, फसल चक्र, लघु सिंचाई साधनों का उपयोग करना । रसायन के प्रयोग में सूक्ष्म खुराक की आपूर्ति के लिए नयी तकनीकी का उपयोग करना ।
- दलहनी फसलों को बढ़ावा देना जिससे मिट्टी व उर्वरा शक्ति की वृद्धि किया जा सके । इसके अलावा सिंचाई में जल की खपत व खर्च को कम किया जा सके ।
- पॉलीहाउस तकनीकी से सब्जी की खेती व पौध के नर्सरी का विकास करना और अधिक से अधिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना ।

4. सूचना व जानकारी केन्द्रित-

- विकास क्षेत्रों में सामंजस्य बनाना । आपदा अनुकूलन पद्धति में आकस्मिक नियोजन ।
- वित्तीय प्रबंधन की क्षमता विकास । आजीविका प्रक्रियाओं में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना ।
- व्यवसाय में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना । समान कार्य के लिए समान पारितोषिक सुनिश्चित करना ।

5. ऊर्जा केन्द्रित-

- पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की बजाय नवीकरण और स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना ।
- जैविक कचरे व मल से बायोगैस का निर्माण ।
- गैर-नवीकरण ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना ।

‘क्लाइमेट स्मार्ट मॉडल’ को आकृत रूप में नीचे दर्शाया गया है -



संलग्नक 4-: ग्राम पंचायत का सामाजिक एवं संसाधन मानचित्र [संलग्न]

हरित स्थान और जैवविविधता को बढ़ाना

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियाँ	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
1	वृक्षारोपण गतिविधियाँ	<p>चरण 1: वर्तमान में ग्राम पंचायत में हो रही गतिविधियों के सामान (प्रधान के साथ परामर्श के दौरान जानना अनिवार्य है)</p> <p>चरण 2: भूमि की उपलब्धता के आधार पर वृक्षारोपण लक्ष्य को 500-1000 तक बढ़ाना।</p> <p>चरण 3: भूमि की उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य को 500-1000 तक और बढ़ाना।</p>	<p>वृक्षारोपण (तैयारी, पौधारोपण, श्रम आदि)⁹⁴ = ₹ 70 प्रति पेड़ (पौधे डीओईएफसीसी, उत्तर प्रदेश सरकार से निःशुल्क उपलब्ध हैं)</p> <p>ट्री गार्ड (धातु)⁹⁵</p> <p>= ₹ 1,200 प्रति इकाई</p> <p>वृक्षारोपण का रखरखाव: ₹ 1.5 लाख/हेक्टेयर</p>	<p>सागौन की प्रजातियों के आधार पर अनुक्रमण की क्षमता का अनुमान - प्रति पेड़ 5.6 से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO₂e)</p> <p>कृषि वानिकी के लिए वृक्षारोपण घनत्व 100 पेड़/हेक्टेयर माना जाता है</p>
2	आरोग्य वन	<ul style="list-style-type: none"> 300-400 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले ग्राम पंचायत के लिए, 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली ग्राम पंचायत के लिए, भूमि की उपलब्धता के आधार पर 0.2-0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। 		
3	कृषि वानिकी	<p>(यह व्यक्तिपरक हो सकता है और कृषि-वानिकी गतिविधियाँ चरण 1 से शुरू की जा सकती हैं)</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p> <p>चरण 3: शेष कृषि भूमि ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p>	<p>कृषि वानिकी की लागत⁹⁶ = ₹ 40,000/हेक्टेयर⁹⁷</p>	

94 वृक्षारोपण दिशानिर्देशों और ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

95 लागत बाजार भाव के अनुसार

96 कृषि वानिकी दिशानिर्देशों पर उप-मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अनुसार लागत

97 <https://link.springer.com/article/10.1007/s42535-022-00348-9>

सतत कृषि

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
1	सूक्ष्म सिंचाई-ड्रिप एवं स्प्रींकलर (छिड़काव) सिंचाई	<p>चरण 1: कुल कृषि भूमि का 30% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 70% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	₹ 1 लाख प्रति हेक्टेयर	
2	बांधों का निर्माण	<p>चरण 1: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 50%</p> <p>चरण 2: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 100%</p> <p>चरण 3: मेड़ों का रखरखाव</p> <p>- मेड़ों का निर्माण कृषि क्षेत्रों की परिधि पर किया जाता है</p> <p>- ग्राम पंचायत में किसानों के पास विभिन्न आकारों की भूमि होती है। अनुमान : सभी खेत वर्गाकार होते हैं।</p>	1 मी. मेड़बंदी के लिए ⁹⁸ = ₹ 150 रुपये	
3	कृषि तालाबों का निर्माण	<p>चरण 1: 5-10 तालाब</p> <p>चरण 2: 15-20 तालाब चरण : यदि आवश्यक हो तो अधिक + तालाबों का रखरखाव</p> <p>1 कृषि तालाब की क्षमता = 300 m³</p> <p>ग्राम पंचायत में बड़े खेतों की संख्या + तालाबों की आवश्यकता पर निर्भर करता है (प्रधान से की गई बातचीत के आधार पर)</p>	1 कृषि तालाब का निर्माण ⁹⁹ = ₹ 90,000	

98 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

99 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

4	प्राकृतिक खेती अपनाना	<p>चरण 1: कुल कृषि भूमि का 15% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	<p>a. प्रशिक्षण और प्रदर्शन (3 सत्र): ₹ 60,000</p> <p>b. प्रमाणीकरण (विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर): ₹ 33,000</p> <p>c. फसल प्रणाली का परिचय- जैविक बीज खरीद; नाइट्रोजन संचयन संयंत्र लगाना--> प्रति एकड़ लागत = ₹ 2,500</p> <p>d. एकीकृत खाद प्रबंधन- तरल जैव उर्वरक की खरीद और उसका उपयोग; तरल जैव कीटनाशकों की खरीद और उसका उपयोग; प्राकृतिक कीट नियंत्रण तंत्र की स्थापना; फॉस्फेट युक्त जैविक खाद---> प्रति एकड़ लागत = ₹ 2,500</p> <p>e. गणना (प्रति एकड़ परिवर्तन की लागत) = a + b + c + d = ₹ 1,00,000</p> <p>कुल लागत¹⁰⁰: क्षेत्र (हेक्टेयर) * e--> 2.471 * 1,00,000 = ₹2,47,100</p>	
---	-----------------------	---	---	--

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
1	वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं	<p>चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों में चरण 2: सभी पीआरआई भवनों + पुनर्भरण गड्डों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएच) की स्थापना (एचआरवीसीए में सुझाई गई)</p> <p>चरण 3: 1000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना + सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना</p>	<p>10 m³ क्षमता वाली 1 वर्षा जल संचयन संरचना की लागत¹⁰¹ = ₹ 35,000</p> <p>1 पुनर्भरण गड्डे की लागत¹⁰² = ₹ 35,000</p>	

100 यूपी राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी (UPSOCA_Tariff_20March.pdf (apeda.gov.in)) और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) दिशानिर्देश

101 छत पर वर्षा जल संचयन दिशानिर्देश, भारतीय मानक (IS 15797:2008)

102 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

2	जल निकायों का रखरखाव (यदि ये वृक्षारोपण समग्र हरित स्थान को बढ़ने के प्रयासों का हिस्सा हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है तो लागत की दोगुनी गणना नहीं की जाएगी)	चरण 1: जल निकायों की सफाई, गाद निकालना और बाड़ लगाना + जल निकायों की परिधि के आसपास वृक्षारोपण (1000) (ट्री गार्ड के साथ) चरण 2: जल निकायों के आसपास अतिरिक्त 100 वृक्षारोपण (वृक्ष रक्षकों के साथ) + जल निकायों का निरंतर रखरखाव चरण 3: जल निकायों का निरंतर रखरखाव	अनुमानित लागत ¹⁰³ : 1. 1 तालाब का जीर्णोद्धार (सफाई, गाद निकालना, जलग्रहण क्षेत्र में वृद्धि, आदि) = ₹ 7 लाख 2. 1 रिटेंशन तालाब (300 मीटर ³ क्षमता) का निर्माण = : ₹ 7 लाख 3. ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण = ₹ 1,200 प्रति यूनिट 4. रखरखाव की लागत: a. 1 तालाब/जल निकाय = ₹ 3, 75,000 b. 1 प्रतिधारण तालाब = ₹ 50,000 c. ट्री गार्ड वाला पेड़ = ₹ 20 प्रति यूनिट	
3	जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	चरण 1: मौजूदा नालियों की सफाई और गाद निकालना + जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना (नए नालों का निर्माण) चरण 2 और 3: चरण 1 में जारी गतिविधियाँ जारी जायें	अधिकतर एचआरवीसीए दस्तावेज़ में दी गई लागतों को देखें	
4	पाइपड पेयजल कनेक्टिविटी का विस्तार	३२५ घरों (कुल का 50%) के लिए पानी के पाइप के बुनियादी ढांचे का निर्माण लागत	₹ 25,00,000¹⁰⁴	

सतत और उन्नत गतिशीलता

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियाँ	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
1	मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	चरण 1: सड़क मरम्मत/रख-रखाव कार्य + सड़क आरसीसी/इंटरलॉकिंग कार्य चरण 2 और 3: सड़कों का निरंतर रखरखाव	सड़क रख-रखाव /मरम्मत की प्रति किमी लागत ¹⁰⁵ : ₹ 50,00,000 प्रति किलोमीटर	
2	माध्यम आकर के सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) को बढ़ाना	ग्राम पंचायत की आवश्यकतानुसार सुझावों के अनुसार ई-ऑटोरिक्शा	1 ई-ऑटोरिक्शा की कीमत: ~₹3,00,000 उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन 12,000 रुपये तक	

103 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

104 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

105 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) दर/किमी के अनुसार लागत और एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट

3	ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहन किराए पर लेने की सुविधा	<p>चरण 1: डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना + किसानों को ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के बारे में जागरूक करना</p> <p>चरण 2 & 3: निरंतर जागरूकता</p>	<p>1 ई-ट्रैक्टर की कीमत = ₹ 6,00,000</p> <p>1 कमर्शियल ई-वाहन की कीमत = ₹ 5 से 10 लाख</p>	
---	--	--	---	--

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
1	अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना	<p>चरण 1:</p> <p>a. ग्राम पंचायत की घर-घर कचरा संग्रहण प्रणाली के तहत 100% घरों को शामिल करना</p> <p>b. मौजूदा कचरे का 100% एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>c. कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>d. अन्य हितधारकों (एसएचजी, स्थानीय स्ट्रैप डीलर, स्थानीय व्यवसाय और एमएसएमई) के साथ साझेदारी बनाना</p>	<p>कुल उत्पन्न कचरा = प्राथमिक डेटा, यदि उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत में उत्पन्न प्रति व्यक्ति औसत कचरा लगभग 80 ग्राम प्रति दिन लें;</p> <p>बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट- 58%</p> <p>गैर-बायोडिग्रेडेबल/अकार्बनिक अपशिष्ट - 42%</p> <p>आवश्यक ई-कचरा वैन की संख्या = कुल उत्पन्न कचरा/प्रत्येक वैन की क्षमता (310 किग्रा)</p> <p>कूड़ेदानों की संख्या = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों की पहचान करके अनुमान लगाया जा सकता है</p> <p>स्थान (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि)</p>	
		<p>चरण 2:</p> <p>a. ग्राम पंचायत-स्तरीय पुनर्चक्रण और प्लास्टिक श्रेडर इकाई</p> <p>b. अतिरिक्त कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>c. अतिरिक्त इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>d. मौजूदा सुविधाओं/बुनियादी ढांचे का रखरखाव</p> <p>e. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>प्लास्टिक श्रेडर इकाई की संख्या = 1 प्रति पंचायत</p> <p>अतिरिक्त कूड़ादान = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि) की पहचान करके अनुमानित करना ।</p>	

		<p>चरण 3:</p> <p>a. रखरखाव कार्य</p> <p>b. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>लागत¹⁰⁶: 1. 1 इलेक्ट्रिक कचरा वैन = ₹ 95,000 से 1,00,000 2. 1 कूड़ादान/कंटेनर = ¹⁰⁷ ₹ 15,000</p>	
2	जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन	<p>चरण 1:</p> <p>a. सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट गड्डों की स्थापना</p> <p>b. पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल:</p> <p>1. कम्पोस्ट का उत्पादन एवं विक्रय</p> <p>2. कृषि अपशिष्ट की बिक्री</p>	<p>कुल उत्पन्न बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरा = प्राथमिक डेटा</p> <p>घरों, वाणिज्यिक दुकानों, सरकारी/पीआरआई भवनों, सार्वजनिक भवनों और खुले स्थानों आदि से जैविक कचरा = xxx किलोग्राम प्रति दिन (प्राथमिक डेटा के अनुसार)</p> <p>संभावित खाद की मात्रा (किलो प्रति दिन) जो उत्पन्न¹⁰⁸ की जा सकती है = xxx किग्रा/दिन जैविक अपशिष्ट / 2 प्रति वर्ष __ किलोग्राम कृषि अपशिष्ट की आवधिक खाद बनाना (प्राथमिक डेटा के अनुसार)</p>	
		<p>चरण II और III:</p> <p>a. रखरखाव और कम्पोस्ट गड्डों की क्षमता बढ़ाना</p> <p>b. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>लागत¹⁰⁹:</p> <p>1. कम्पोस्ट गड्डों की लागत संदर्भ: 30 वर्मीकम्पोस्टिंग और 15 नाडेप कम्पोस्ट गड्डे = ₹ 4,50,000</p> <p>2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड (जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कचरे के लिए) लागत संदर्भ: ₹ 35,00,000</p>	
3	एकल-उपयोग-प्लास्टिक पर प्रतिबंध	<p>चरण 1:</p> <p>a. सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध</p> <p>b. जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम</p> <p>c. रेस अभियान और लाइफ़ मिशन का लाभ उठाना</p> <p>d. पंचायत, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल</p>	<p>विनिर्माण के क्षेत्र में 100 महिलाओं की भागीदारी</p>	

106 लागत बाजार भाव के अनुसार

107 एसबीएम दिशानिर्देशों और एचआरवीसीए रिपोर्ट में इनपुट के अनुसार लागत

108 <https://www.biocycle.net/connection-co2-math-for-compost-benefits/#:~:text=In%20the%20process%20of%20making%20compost%20the%20microbes,food%20waste%20turns%20into%2050%20kg%20of%20>

109 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

		<p>चरण 2:</p> <p>a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम</p> <p>b. पंचायत और आस-पास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना</p>	अतिरिक्त 200 महिलाएं	
		<p>चरण 3:</p> <p>a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम</p> <p>b. पंचायत और आसपास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना</p>	अतिरिक्त 300 महिलाएँ	
4	बुनियादी स्वच्छता ढांचे को बढ़ाना	<p>चरण 1:</p> <p>a. गृहस्थी को बढ़ाना</p> <p>b. शौचालय कवरेज</p>	1 ट्विन पिट शौचालय की लागत = ₹15,000 से ₹20,000	
		<p>चरण 2 और 3 :</p> <p>a. शौचालय बढ़ाना</p> <p>b. का कवरेज और रखरखाव</p> <p>c. मौजूदा बुनियादी ढांचा</p>		

स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
	सौर छतें	<p>चरण 1: सरकारी/पीआरआई भवन (पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी, पीएचसी, सीएचसी, सीएससी आदि)</p> <p>अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता</p>	<p>कुल स्थापित रूफटॉप क्षमता = 5 वर्ग मीटर = 5 kW</p> <p>1 kWp ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने के लिए लगभग 10 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है¹¹⁰</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में) = स्थापित क्षमता (किलोवाट) * 310 (धूप वाले दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ) (प्रत्येक पीआरआई भवन के लिए इसकी गणना करें और कुल जोड़ें)</p> <p>स्थापित क्षमता- उपरोक्त वेबसाइट से कुल स्थापित क्षमता=पंचायत भवन+स्कूल 1+स्कूल 2....+कोई अन्य पीआरआई भवन</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹ 50,000</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = उत्पादित बिजली/365</p>	<p>उत्पन्न वार्षिक बिजली (किलोवाट)* 0.82/ 1000 = ____ टन CO<</p>
		<p>चरण 2 और 3:</p> <p>परिवार</p> <p>अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता</p>	<p>प्रति परिवार औसत स्थापित क्षमता = 3 किलोवाट पॉवर</p> <p>परिवार स्तर पर स्थापित कुल क्षमता = परिवारों की संख्या * 3 किलो वाट पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)= पारिवारिक स्तर पर स्थापित कुल क्षमता (किलोवाट)</p>	

		<p>मानी गई स्थापित क्षमता - 3 किलोवाट पॉवर</p> <p>चरण 2: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 40%</p> <p>चरण 3: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 100%</p>	<p>*310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹ 50,000¹¹¹</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	
2	कृषि-फोटोवोल्टिक	<p>चरण 2: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 25%</p> <p>चरण 3: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 50% उपयुक्त कृषि क्षेत्र – दलहनों और सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र (मूल्य 10 हेक्टेयर से कम रखें)</p>	<p>प्रति हेक्टेयर 250 किलोवाट स्थापित कुल स्थापित क्षमता = क्षेत्रफल (हेक्टेयर) * 250 किलोवाट पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)=कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹ 1 लाख¹¹²</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	
3	सौर पंप	<p>चरण 1: 20% डीजल पम्पों का बदला जाना चरण 2: 50% डीजल पम्पों का बदला जाना चरण 3: 100% डीजल पम्पों का बदला जाना</p>	<p>स्थापित क्षमता = 5.5 किलोवाट प्रति पंप</p> <p>कुल स्थापित क्षमता = बदले गए पंपों की संख्या * 5.5 किलोवाट</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली उत्पन्न= कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p> <p>प्रति पंप लागत = ₹ 3 से 5 लाख¹¹³</p>	<p>डीज़ल की खपत को कम करना =390 लीटर/प्रति/वर्ष</p> <p>प्रति वर्ष कम कुल डीजल खपत = बदले गए पंपों की संख्या * 390</p> <p>उत्सर्जन से बचाव = प्रति पंप प्रति वर्ष 1.05 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (CO2e)</p>

111 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

112 स्थापना/ लगाने की लागत बाजार दर के अनुसार

113 लागत बाजार दरों और पीएमकेएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार

4	स्वच्छ खाना पकाना	<p>चरण 1: 25% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय वर्ग में 25% घरों में सौर इंडक्शन कुकस्टोव + 50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं उनके पास बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p>चरण 2: 50% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + 50 शीर्ष आय वर्ग के % घरों में सौर इंडक्शन चूल्हे + वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 100% घरों में बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p>चरण 3: 100% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय समूहों में 100% घरों में सौर इंडक्शन और खाना पकाने का चूल्हे की उपलब्धता</p>	<p>1 बायोगैस प्लांट की लागत = ₹ 50,000 2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र की लागत, बिना बैटरी वाले डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव की लागत = ₹ 45,000</p> <p>1 बेहतर चूल्हे की लागत = ₹ 3,000¹¹⁴</p>	
5	ऊर्जा दक्षता (ईई)	<p>चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों को सभी फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर और पंखों से बदलना + सभी परिवारों के 1 तापदीप्त/सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से या 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना</p> <p>चरण 2: सभी तापदीप्त/सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्ब से और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना + सभी परिवारों में 1 पारंपरिक पंखे को ईई पंखे से बदला जाना ।</p> <p>चरण 3: सभी परिवारों में सभी पंखों को ईई पंखों से बदला जाएगा</p>	<p>1 एलईडी बल्ब की लागत = ₹ 70</p> <p>1 एलईडी ट्यूबलाइट की लागत = ₹ 220</p> <p>1 ईई पंखे की लागत = ₹ 1,110¹¹⁵</p>	
6	सौर स्ट्रीटलाइट्स	<p>प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर हाई-मास्ट सोलर स्ट्रीट लाइट - प्रत्येक सरकारी / पीआरआई भवन, तालाब/झील, हरित स्थान/पार्क/खेल का मैदान/उद्यान/आरोग्य वन के लिए 1 (या आवश्यकता के अनुसार अधिक)।</p>	<p>1 हाई-मास्ट की लागत = ₹ 50,000</p> <p>1 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत = ₹ 10,000¹¹⁶</p>	

114 बाजार दर के अनुसार लागत

115 विद्युत मंत्रालय द्वारा उजाला योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लागत (<https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specialdocs/documents/2022/jun/doc202261464801.pdf>)

116 बाजार दर के अनुसार लागत

आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
1	सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं किराये पर देना	कोल्ड स्टोरेज की स्थापना	क्षमता: 1 इकाई = 5 - 10 मीट्रिक टन सब्जियों और फलों/और/या दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन पर आधारित लागत: ₹ 8-15 लाख प्रति यूनिट	
2	स्वतंत्र सहायता समूहों (SHGs) को सतत उत्पादों के निर्माण में संलग्न करना	कृषि अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना	1 प्रसंस्करण इकाई की लागत ¹¹⁷ = ₹3,00,000	

117 बाज़ार दर के अनुसार लागत

संलग्नक 5: प्रासंगिक एसडीजी और लक्ष्य

एसडीजी 2: जीरो हंगर



लक्ष्य 2.3: भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और इनपुट, ज्ञान, वित्तीय सेवाओं, मूल्यवर्धन और गैर-कृषि रोजगार के लिए बाजार और अवसर तक सुरक्षित और समान अभिगम सहित, छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, पारिवारिक किसानों, चरवाहों और मछुआरों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।

लक्ष्य 2.4: वर्ष 2030 तक, सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना तथा लचीली कृषि पद्धतियों को लागू करना जो उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करती हैं, जो जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं के अनुकूलन की क्षमता को सुदृढ़ करती हैं एवं जो भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार करती हैं।

लक्ष्य 2.a; अनुच्छेद 10.3.e.: सतत सिंचाई कार्यक्रमों का विकास

एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली



लक्ष्य 3.3: एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करना तथा हेपेटाइटिस, जल-जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों से मुकाबला करना।

लक्ष्य 3.9: खतरनाक रसायनों और वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण और संदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या में काफी कमी लाना।

एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता



लक्ष्य 6.1: पीने के पानी तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुंच प्राप्त करना।

लक्ष्य 6.3: वर्ष 2030 तक, प्रदूषण को कम करके, डंपिंग को समाप्त करके और खतरनाक रसायनों और सामग्रियों की रिहाई को कम करके, अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करके और वैश्विक स्तर पर रीसाइक्लिंग और सुरक्षित पुनः इस्तेमाल को बढ़ाकर पानी की गुणवत्ता में सुधार करना।

लक्ष्य 6.4: सभी क्षेत्रों में जल-इस्तेमाल दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करना और स्थायी निकासी सुनिश्चित करना

लक्ष्य 6.5: सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन लागू करना

लक्ष्य 6.8: स्थानीय समुदायों की भागीदारी को समर्थन और सुदृढ़ करना

लक्ष्य 6.a : अपशिष्ट जल उपचार, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल प्रौद्योगिकियों सहित जल और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और कार्यक्रमों में विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण सहायता का विस्तार करना।

एसडीजी 7: किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा



लक्ष्य 7.1: किफायती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक अभिगम सुनिश्चित करना।


लक्ष्य 7.2: ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना

लक्ष्य 7.3: ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना

लक्ष्य 7.a : नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और उन्नत और स्वच्छ जीवाश्म-ईंधन प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक अभिगम की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, और ऊर्जा अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देना।

लक्ष्य 7.b: विकासशील देशों में उनके समर्थन कार्यक्रमों के अनुसार सभी के लिए आधुनिक और सतत ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति के लिए अवसंरचना का विस्तार और प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

एसडीजी 8: अच्छा कार्य और आर्थिक विकास



लक्ष्य 8.3: विकास-उन्मुख नीतियों को बढ़ावा देना जो उत्पादक गतिविधियों, सही रोजगार सृजन, उद्यमिता, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं, और वित्तीय सेवाओं तक अभिगम सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की औपचारिकता और विकास को प्रोत्साहित करती हैं।

एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और अवसंरचना



लक्ष्य 9.1: गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीला बुनियादी ढाँचा विकसित करना

एसडीजी 11: संधारणीय शहर और समुदाय



लक्ष्य 11.2: सभी के लिए सुरक्षित, किफायती, सुलभ और सतत परिवहन प्रणाली

लक्ष्य 11.4: विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा और सुरक्षा के प्रयासों को सुदृढ़ करना

लक्ष्य 11.7: वर्ष 2030 तक, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, हरे और सार्वजनिक स्थानों तक सार्वभौमिक अभिगम प्रदान करना।

एसडीजी 12: सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना



लक्ष्य 12.2: प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और कुशल इस्तेमाल प्राप्त करना

लक्ष्य 12.4: वर्ष 2020 तक, सहमत अंतरराष्ट्रीय ढाँचे के अनुसार रसायनों और उनके पूरे जीवन चक्र में सभी अपशिष्टों का पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन प्राप्त करना, और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए हवा, पानी और मिट्टी में उनकी रिहाई को काफी कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.8: वर्ष 2030 तक, सुनिश्चित करें कि हर जगह लोगों के पास सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन शैली के लिए प्रासंगिक जानकारी और जागरूकता हो।

एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्रवाई



लक्ष्य 13.1: सभी देशों में जलवायु संबंधी खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलापन और अनुकूली क्षमता को सुदृढ़ करना।

लक्ष्य 13.2: जलवायु परिवर्तन उपायों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजना में एकीकृत करना।

लक्ष्य 13.3: जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन, प्रभाव में कमी और प्रारंभिक चेतावनी पर शिक्षा, जागरूकता बढ़ाने और मानव और संस्थागत क्षमता में सुधार करना।

एसडीजी 15: भूमि पर जीवन



लक्ष्य 15.1: अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत दायित्वों के अनुरूप स्थलीय और अंतर्देशीय मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी सेवाओं, विशेष रूप से जंगलों, आर्द्रभूमि, पहाड़ों और शुष्क भूमि के संरक्षण, बहाली और सतत इस्तेमाल को सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 15.2: वर्ष 2020 तक सभी प्रकार के वनों के स्थायी प्रबंधन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, वनों की कटाई को रोकना, नष्ट हुए वनों को पुनर्स्थापित करना और विश्व स्तर पर वनीकरण और पुनर्वनीकरण में पर्याप्त वृद्धि करना।

लक्ष्य 15.3: वर्ष 2030 तक, मरुस्थलीकरण से निपटना, मरुस्थलीकरण, सूखे और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित खराब भूमि और मिट्टी को बहाल करना, और भूमि क्षरण-तटस्थ दुनिया को प्राप्त करने का प्रयास करना। लक्ष्य 15.5: प्राकृतिक आवासों के क्षरण को कम करने, जैवविविधता के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण कार्रवाई करना।

लक्ष्य 15.9: वर्ष 2020 तक, पारिस्थितिकी तंत्र और जैवविविधता मूल्यों को राष्ट्रीय और स्थानीय योजना, विकास प्रक्रियाओं, गरीबी उन्मूलन रणनीतियों में एकीकृत करना।

संलग्नक 6: वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए उपयुक्त प्रजातियाँ

इमारती लकड़ी के पेड़

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
अकेसिया निलोटिका	फैबेसी	बबूल	गाड़ियों के फ्रेम और पहियों, उपकरणों और औजारों जैसे उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है।
फ्रिक्स रिलिजियोसा	मोरेसी	पीपल	इसमें औषधीय गुण और इसका धार्मिक महत्व है।
आज़ादिराव्टा इंडिका ए. जस	मेलियासी	नीम	नीम के पेड़ के सभी भाग - पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल का उपयोग पारंपरिक रूप से उपचार के लिए किया जाता रहा है। इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए आदर्श है, क्योंकि यह मजबूत और दीमक प्रतिरोधी दोनों है।
डालबर्गिया सिस्सो	फैबेसी	शीशम	इसके कई उपयोग हैं, हवाई और समुद्री जहाज में, कोयले के रूप में भोजन को गर्म करने और पकाने के लिए, संगीत वाद्ययंत्र बनाने आदि
मधुका लॉगिफोलिया	सैपोटेसी	महुआ	यह विभिन्न उपयोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण इमारती लकड़ी प्रदान करता है।
शोरिया रोबस्टा	डिप्टेरोकार्पेसी	साल	इसका उपयोग रेलवे स्लीपर, जहाज और पुलों के निर्माण के लिए किया जाता है।
सिनामोमम तमाला	लौरेसी	भारतीय तेज पत्ता	यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है और खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है।

फल और जंगली खाद्य पौधे

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
मैंगीफेरा इंडिका	एनाकार्डिएसी	आम (मैंगो)	इसके सभी भागों का उपयोग पारंपरिक उपचार में किया जाता है
आर्टोकार्पस हेटरोफिलस	मोरेसी	कटहल , (जैकफ्रूट)	इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। पौधे के कई हिस्से, जिनमें छाल, जड़ें, पत्तियाँ और फल शामिल हैं, पारंपरिक और लोक चिकित्सा में अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं।
सिडियम गुजावा	मायर्टेसी	अमरूद (गुआवा)	यह विभिन्न गैस सम्बन्धी रोगों के लिए एक सामान्य और लोकप्रिय पारंपरिक उपचार है।
एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस एल	एगारिकेसी	धरती का फूल	एक प्रकार का मशरूम।
अंकोलसाल्विफोलियम (एलएफ) वांग	अलंगियासी	ढेरा (एको)	इसके पके फल खाए जाते हैं।
अमोर्फैलस पेओनीफोलियसडेनस्ट	अरेसी	हाथीपाँव, जिमी कंद	इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है।
क्रोटोलारियाजंशिया एल.	फैबेसी	सनई	हल्की उबली हुई कलियाँ सब्जी के रूप में खाई जाती हैं।

मणिलकारा हेक्सेंद्रा (रोक्सब) डब	सैपोएटेसी	खिरनी	इससे प्राप्त फलों से अचार और सॉस बनाया जाता है।
यूजेनिया जाम्बोलाना	मायर्टेसी	जामुन	इसकी जड़, पत्तियां, फल और छाल में असंख्य औषधीय गुण होते हैं।
एगल मार्मेलोस	रूटेसी	बेल	कच्चे फल, जड़, पत्ती और शाखा का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है।
मोरस रूबरा	मोरेसी	शहतूत	शहतूत को कच्चा खाया जा सकता है और इसका उपयोग जैम, प्रिजर्व, पाई बनाने के लिए भी किया जाता है। इनमें औषधीय गुण भी होते हैं।

औषधीय गुणों वाले पेड़

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
विधानियासोमिफेरा	सोलानेसी	अश्वगंधा	यह विभिन्न प्रकार के रोगों में उपयोगी है।
बकोपा मोनिएरी	प्लांटैगिनेसी	ब्राह्मी	इसका उपयोग विभिन्न सांस रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
एंद्रोग्राफीस पैनिकुलता	एकैथेसी	कालमेघ	यह प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है और इसका उपयोग सामान्य सर्दी, साइनसाइटिस और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
राउवोल्फिया सर्पेन्टिना	एपोसिनेसी	सर्पगंधा	इसका उपयोग कई अलग-अलग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है।

औषधीय गुणों वाले लुप्तप्राय पेड़

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
एकोरस कैलमस एल.	अरेसी	बाख, बाल, घोर्बच	ब्रोंकाइटिस, खांसी और सर्दी के इलाज के लिए एक उपयोगी जातीय औषधीय पौधा।
ऐस्पैरैगस ऐडसेंडेंसरॉक्सबी	लिलिएसी	शतावरी	हार्मोन असंतुलन से संबंधित स्थितियों के उपचार में मदद करता है।
सेलास्ट्रस पैनिकुलैटस वाइल्ड।	सेलास्ट्रेसी	उमजैन , मुजहानी , मलकांगनी, ककुंदन	विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में उपयोगी है।

अन्य पेड़

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
पोपुलस सिलियाटा	सैलिकेसी	सेमल, कपोक	इसकी पत्तियों का उपयोग पशुओं के चारे और हर्बल चाय के लिए किया जाता है।
यूकेलिप्टस ग्लोब्युलस	मायर्टेसी	तैलपत्र	खांसी और सामान्य सर्दी के उपचार के लिए दवाओं में उपयोग किया जाता है और आवश्यक तेल बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है।

નોટ્સ



